

UNIVERSAL
LIBRARY

OU_186832

UNIVERSAL
LIBRARY

OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY

Call No H320.42/D86B Accession No. GH.1002

Author दुबे, द० लाला लाला भठ /

Title ब्रिटिश साम्राज्य शासन 1945

This book should be returned on or before the date
last marked below.

ब्रिटिश साम्राज्य शासन

लेखक

दयाशंकर दुबे, एम० ए०, एल-एल० बी०

अर्थशास्त्र-अध्यापक, प्रयाग विश्वविद्यालय

और

भगवानदास केला

रचयिता, भारतीय शासन, देशी राज्य शासन, आदि

प्रकाशक

व्यवस्थापक, भारतीय ग्रन्थमाला, दारार्गज, प्रयाग ।

तीसरा संस्करण { सन् १९४५ ई० } मूल्य, सवा रुपया

प्रकाशक—

भगवानदास केला

भारतीय ग्रन्थमाला

दारागज (प्रयाग)

Checked 1965



मुद्रक—

श्री हरिवंश नारायण दुबे

गङ्गा प्रेस, दारागञ्ज,

प्रयाग ।

निवेदन

पिछले योरपीय महायुद्ध के बाद ज्यों ज्यों समय बीतता गया, वह अनुभव होता गया कि युद्ध के समय जो छोटे राष्ट्रों की स्वतंत्रता या स्वभाग्य-निर्णय आदि की बातें की गयी थीं, उनमें कुछ दम न था, वे ज्यादातर कृदनीति की चालें थीं। और, जो राजनीतिज्ञ कुछ ईमानदारी से विश्व-शान्ति की कोशिश करना चाहते थे, उनकी कुछ चली नहीं। धीरे धीरे यह धारणा हाँ गयी कि संसार अभी बहुत कुछ पुराने ढर्रे पर ही चलेगा, उसमें पराधीन या गुलाम देश भी रहेंगे, रङ्ग और जाति का भेद भी रहेगा, और हाँ, साम्राज्य भी अभी रहने वाले ही हैं। ऐसा विचार करके हमने संसार के सबसे बड़े साम्राज्य की शासनपद्धति का परिचय देने के लिए सन् १९२५ में यह पुस्तक पहली बार लिखी और प्रकाशित की थी।

हिन्दी संसार ने इस पुस्तक के पहले संस्करण को खपाने में चौदह वर्ष लगा दिये। अब दूसरा योरपीय महायुद्ध लोगों को परेशान कर रहा था। दूसरी चीजों के साथ कागज की भी बड़ी कठिनाई थी। ऐसे समय, आम तौर से ऐसी पुस्तक को छपाने के लिए कोई उत्साह नहीं होता, जिसकी माँग बहुत ही कम हो। तो भी हमने उन पाठकों का विचार करके जो ऐसे साहित्य की कदर करते हैं, सन् १९४३ में इस पुस्तक का दूसरा संस्करण छपाया। थोड़ी सी ही प्रतियाँ थीं, दो साल में समाप्त हो गयी। अब फिर इसे छपाने का सवाल सामने आया।

महायुद्ध समाप्त हो गया। पुनर्निर्माण की बातें चल रही हैं। विश्व-सुरक्षा-सम्मेलन में बड़ी बड़ी योजनाएँ बनी हैं। बड़े-बड़े राष्ट्र बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, पर उनकी उदारता वहीं तक है, जहाँ तक उन्हें

कुछ त्याग या कुरबानी न करनी पड़े, उनकी कोई हानि न हो। श्री० चर्चिल ने महायुद्ध के जोर से चलने के समय भी साफ-साफ कह दिया था कि मैं साम्राज्य का अन्त करने के लिए सम्राट् का प्रधान-मंत्री नहीं बना हूँ। लेकिन भविष्य की नकेल हमेशा चर्चिलपन्थियों के हाथ में रहनेवाला नहीं है। इस वर्ष (१९४५) के ब्रिटिश चुनाव ने ही दिखा दिया कि महायुद्ध के समय के नेता चर्चिल को जनता शान्ति-स्थापना और पुनर्निर्माण आदि की समस्याओं को सुलझाने के लिए योग्य नहीं समझती। फिर, इधर बहुत समय से ऐसे सज्जनों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो साम्राज्य की जगह 'कामनवेल्थ' (राष्ट्र-मंडल) शब्द का प्रयोग करना, और उसे असल में कामनवेल्थ बना देना अच्छा समझते हैं, क्योंकि साम्राज्य में दूसरे देशों का शोषण करने और लोगों को गुलाम बनाने की भावना होती है। इसमें मालूम हो जाना है कि हवा का रुख किधर है। तो भी हम मौजूदा हालात का अपनी आँखों से आँकलन नहीं कर सकते। ब्रिटिश साम्राज्य अभी तो बना ही है; और पाठकों का उसकी शासनपद्धति जानने की जरूरत है।

इसलिए हम 'ब्रिटिश साम्राज्य शासन' का यह तीसरा संस्करण उनकी सेवा में उपस्थित करते हैं। खासकर बर्मा के बारे में नया बातें बढ़ा दी गयी हैं। जहाँ जहाँ जरूरत मालूम हुई, विषय का साफ किया गया है, भाषा भी कुछ आसान की गयी है। आशा है, पाठक इसमें काफी लाभ उठावेंगे।

विनीत

५१ जवाहर लाल नेहरू

विषय-सूची

पहला खंड

ब्रिटिश संयुक्त राज्य

परिच्छेद	विषय	पृष्ठ
१	विषय प्रवेश	१
२	ऐतिहासिक परिचय	४
३	अंगरेजी शासनपद्धति की विशेषताएँ	७
४	बादशाह और प्रिवी कौंसिल	११
५	मंत्रिमंडल	१७
६	पार्लिमेंट का संगठन	२६
७	पार्लिमेंट की कार्यपद्धति	३८
८	शासन-नीति-विकास	४७
९	राजनैतिक दलबन्दी	५६
१०	न्यायालय	६१
११	उत्तरी आयरलैंड	६४
१२	स्थानीय शासन	६८

दूसरा खंड

ब्रिटिश साम्राज्य के अन्य भाग

परिच्छेद	विषय	पृष्ठ
१३	ब्रिटिश साम्राज्य का साधारण परिचय	७५
१४	स्वराज्य-प्राप्त प्रदेश और ब्रिटिश सरकार	८१
१५	आयर (दक्षिण आयरलैंड)	८२
१६	स्वराज्य-प्राप्त उपनिवेश	१०५
	(क) केनेडा	
	(ख) दक्षिण अफ्रीका का यूनियन	
	(ग) आस्ट्रेलिया	
	(घ) न्यूजीलैंड	
	(च) न्यूफाउंडलैंड	
१७	भारतवर्ष और बरमा	१२५
१८	उपनिवेश-विभाग के अधीन भू-भाग	१२७



पहला खंड ब्रिटिश संयुक्त राज्य

पहला परिच्छेद

विषय प्रवेश

शासन सम्बन्धी ज्ञान का महत्व—एक भारतीय विद्वान् का कथन है कि सब धर्मों का प्रवेश राज-धर्म में हो जाता है। आजकल इस कथन की सत्यता, थोड़ा विचार करने पर, भली भाँति मालूम हो सकती है। हमें देश की आर्थिक, सामाजिक या धार्मिक उन्नति के विविध कार्यों का प्रत्यक्ष या गौण रूप से राजनीति से सम्बन्ध होता है। नागरिक जीवन की रोजमर्रा की बहुत सी बातें ऐसी होती हैं, जिनमें उनके देश की शासनपद्धति, अनुकूल होने से, बहुत सहायक हो सकती है; और प्रतिकूल होने से, यह बहुत बाधक भी बन सकती है। किसी नागरिक का यह कहना ठीक नहीं है कि हम राजनीति में भाग नहीं लेते। सरकार के बनाये हुए कानूनों पर उन्हें अमल करना ही पड़ता है। सरकारी कर (टैक्स) उन्हें देने ही होते हैं, अपने भले या बुरे व्यवहार से, चाहे अप्रकट रूप में ही क्यों न हो, वे सरकार का शासन सम्बन्धी नये नियमों के निर्माण के लिए, अथवा पुराने कानूनों के परिवर्तन या संशोधन के लिए प्रेरित करते हैं। इस प्रकार

प्रत्येक नागरिक, किसी-न-किसी अंश में, राजनीति में सम्बन्ध अग्रस्त रहता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हरेक नागरिक, पुरुष हो या स्त्री, युवक हो या वृद्ध, शासन सम्बन्धी विषयों का यथेष्ट ज्ञान प्राप्त करे, और उन्हें भली भाँति अध्ययन और मनन करे, जिससे वह इस दिशा में अपने कर्तव्यों का उचित रीति से पालन कर सके।

ब्रिटिश साम्राज्य का शासन जानने की आवश्यकता—अपने ही देश की नहीं, हमें भिन्न-भिन्न देशों का शासनपद्धतियों का ज्ञान होना चाहिए। इससे हम यह सोच सकेंगे कि किस शासनपद्धति का कौनसा नियम ऐसा है, जिसके, हमारे देश में, जार्जी हो जाने से हमारा कल्याण होगा, तथा, कौनसे नियम हमारे लिए हानिकारक होंगे। यदि अवकाश के अभाव से हम बहुत से देशों की शासन पद्धतियों का ज्ञान प्राप्त न कर सकें, तो कम-से-कम ऐसे देशों के विषय में तो हमें अवश्य ही ज्ञान होना चाहिए, जिनमें हमारा घनिष्ठ सम्बन्ध है, या जिनका शासनपद्धति का प्रभाव हमारे देश की शासन पद्धति पर बहुत अधिक पड़ता है।

उदाहरण के लिए, पाठक जानते हैं कि वर्तमान अवस्था में भारतवर्ष ब्रिटिश साम्राज्य का एक हिस्सा है। इंग्लैंड का बादशाह यहाँ का सम्राट् कहलाता है। वहाँ की पार्लियमेंट द्वारा स्थिर की हुई शासन-नीति ब्रिटिश भारत में जार्जी है, और उस पार्लियमेंट को हमारी देशी रियासतों पर भी महत्वपूर्ण अधिकार हैं। भारतवर्ष का शासनपद्धति ब्रिटिश साम्राज्य के स्वार्धान उपनिवेशों के दृष्ट पर संशोधित की जा रही है। साम्राज्य के पराधीन भागों में भा भारतवर्ष का बहुत सम्बन्ध है; उनके कई स्थानों में तो कितने ही भारतीय निवास करते हैं, तथा कुछ वहाँ जाते-आते रहते हैं। इस प्रकार ब्रिटिश साम्राज्य के सभी भागों में हमारा सम्बन्ध है, और उन सब का शासनपद्धति का ज्ञान प्राप्त करना हमारे लिए उपयोगी तथा आवश्यक है।

शामन के विचार से ब्रिटिश साम्राज्य के दो भाग किये जा सकते हैं -- (१) ब्रिटिश संयुक्त राज्य, और (२) ब्रिटिश साम्राज्य के अन्य देश। इस पुस्तक के पहले खंड में ब्रिटिश संयुक्त राज्य की शामन-पद्धति का विचार किया जाता है।

ब्रिटिश संयुक्त राज्य— ब्रिटिश संयुक्त राज्य में ग्रैंट-ब्रिटेन (इंगलैंड, वेल्ज़, स्काटलैंड) और उत्तरी आयरलैंड, तथा मानद्वीप और खाड़ी के द्वीप सम्मिलित हैं। साधारण बोलचाल में इंगलैंड कहने से भी इस सब भू-भाग का आशय लिया जाता है। साधारण आदमियों का यह धारणा होती है कि ब्रिटिश संयुक्त राज्य कोई बड़ा राज्य होगा, लेकिन असल में यह बात नहीं है। क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि में ब्रिटिश संयुक्त राज्य बहुत साधारण सा है; वह भारतवर्ष के संयुक्त प्रांत से भी छोटा है। इसका क्षेत्रफल लगभग ६५ हजार वर्गमील है और सन् १९४१ में उसकी जनसंख्या लगभग चार करोड़ साठ लाख थी।

यूरोप महाद्वीप के पश्चिम भाग में चहुँ ओर समुद्र से सुरक्षित, ग्रैंट-ब्रिटेन एक टापू है। इसके दक्षिण भाग में इंगलैंड और वेल्ज़ हैं, तथा उत्तर भाग में कुछ ऊँचे पहाड़ों से परे स्काटलैंड है।

ग्रैंट ब्रिटेन के पाम आयरलैंड नाम का टापू है। इस टापू का उत्तरी भाग यानी उत्तरी आयरलैंड ब्रिटिश संयुक्त राज्य में शामिल है। खासकर इंगलैंड का, किनारा काफी कटा हुआ है। यहाँ कई बन्दरगाह बहुत उत्तम हैं। नदियों की गति भी जहाज़ों के जाने आने के लिए बहुत अनुकूल है।

ब्रिटिश संयुक्त राज्य यूरोप, अमरीका और अफ्रीका के बीच में ऐसे मौके की जगह पर है कि भिन्न-भिन्न देशों का व्यापारिक माल इस राज्य के पाम से गुजरता है, और सब जगहों का माल यहाँ आसानी से आ सकता है। इस तरह यह कहा जा सकता है कि यह खज्ज समुद्रों के चौराहे पर है। इन कारणों से इस राज्य के निवासियों को संसार के

भिन्न-भिन्न देशों से व्यापार करके लाभ उठाने की बड़ी सुविधा मिली है। इस राज्य की भौगोलिक स्थिति ब्रिटिश साम्राज्य के निर्माण में भी बहुत सहायक हुई है; इसका विशेष विचार आगे किया जायगा।

दूसरा परिच्छेद

ऐतिहासिक परिचय

ब्रिटिश संयुक्त राज्य की शासनपद्धति का वर्णन आरम्भ करने से पहले हमें यह विचार कर लेना चाहिए कि इस राज्य के भिन्न-भिन्न भाग कब और किस प्रकार आपस में मिले। पहले इंगलैंड को लेते हैं।

इंगलैंड का एकीकरण—अंगरेजों का इतिहास पाच-दस हजार वर्ष का नहीं है। यह डेढ़ हजार वर्ष से भी कम का है। उससे पहले अंगरेज जाति नहीं थी; इंगलैंड के मूल निवासी 'ब्रिटन', कहलाते थे। उन पर रोम वालों का राज्य था। रोम वालों ने ईसा से ५५ वर्ष पहले वहा राज्य करना आरम्भ किया था और लगभग साढ़े चार सौ वर्ष राज्य किया; उन्होंने वहा के मूल निवासियों की बहुत-कुछ उन्नति की, परन्तु उन्हें सदैव परावलम्बी बनाकर रखा। आत्म-रक्षा के लिए शस्त्र रखने की अनुमति नहीं दी। इसका परिणाम यह हुआ कि जब पाचवीं सदी में रोम पर उत्तरी योरप की असभ्य जातियों ने आक्रमण किया और इंगलैंड में रहनेवाले रोमन लोग अपने देश में लौट आये, तो बेचार ब्रिटन असहाय रह गये। सन् ४४६ ई० में पश्चिमी योरप की एल्ब नदी के किनारे रहनेवाले 'ज्यूट' लोगों ने आकर प्रथम बार इंगलैंड के कुछ भाग पर अधिकार कर लिया। पीछे धीरे धीरे पश्चिम योरप में ही 'एंगल' और 'मेक्सन' लोग आये और भिन्न-भिन्न भागों पर अधिकार करके

अलग-अलग राज्यों की स्थापना करने लगे। उपर्युक्त तीन जातियों के आदमी कुछ समय परस्पर में लड़ते भिड़ते रहे। आठवीं सदी तक इनके सात जुदा-जुदा राज्य थे। अन्त में, सन ८२७ ई० में एग्घर्ट नाम का बादशाह सारे इंग्लैंड में सर्वोच्च अधिकारी मान लिया गया। यद्यपि उस समय भी कई भागों में अलग-अलग बादशाह थे, उस वर्ष में इंग्लैंड एक राज्य समझा जाने लगा। 'इंग्लैंड' शब्द का अर्थ है, 'एंग्लो की भूमि'।

अंगरेज या ऐंग्लो-सेक्सन जाति—नवीं सदी में डेनमार्क (और नार्वे) में आकर 'डेन' लोगों ने इंग्लैंड पर आक्रमण किया, और अन्त में सन्धि करके कुछ भाग में अपना राज्य स्थापित कर लिया। ग्यारहवीं सदी में 'नार्मन' लोग इंग्लैंड पर आक्रमण करने लगे। नार्मंडी (फ्रांस) के ह्यूक विलियम ने यहाँ १०६६ में विजय प्राप्त की, और सब भूमि पर अधिकार कर लिया, वह बादशाह बन गया। इस घटना में, तथा इसके पश्चात्, नार्मन लोगों का अच्छा संख्या इंग्लैंड में आगयी और यहाँ रहने लगी। ये लोग उर्मा जाति के थे, जिसके, पूर्वोक्त 'डेन' लोग थे। बादशाह से जर्मन पाकर ये बड़े-बड़े सरदार बन गये। इंग्लैंड के वर्तमान सरदार घराने के आदमी प्रायः इन्हीं के वंशज हैं।

उपर्युक्त सब जातियों—ज्यूट, एंगल, सेक्सन, डेन और नार्मन के परस्पर मिलजुलने से अंगरेज (इंगलिश) जाति बनी है। इसे एंग्लो-सेक्सन भी कहते हैं; असल में यह शब्द पहले आर्या हुई एंगल और सेक्सन जातियों के मेल को जाहिर करने वाला है। नामना के बाद इंग्लैंड किसी विदेशी जाति के अधिकार में नहीं आया।

वेल्ज की विजय—जब ब्रिटनों पर सेक्सन आदि जातियों के आक्रमण हुए तो उनमें से कुछ तो खाड़ी पार करके 'गाल' (फ्रांस) चले गये थे, और कुछ ने वेल्ज के जंगलों में शरण ली थी। वेल्ज में अब भी उन प्राचीन ब्रिटनों के वंशज रहते हैं, ये अभी तक अपनी पुरानी भाषा का भी व्यवहार करते हैं। अस्तु, तेरहवीं सदी के अन्त में

वेल्ज़ को विजय करके इंग्लैंड के राज्य में मिला लिया गया। तब मे इंग्लैंड के बादशाह का बड़ा लड़का 'वेल्ज़ का राजकुमार' या 'प्रिंस-आफ़-वेल्ज़' कहलाता है। वर्तमान महायुद्ध के पहले तक वेल्ज़ के लिए स्वतन्त्र पार्लिमेन्ट स्थापित करने का आन्दोलन चल रहा था।

स्काटलैण्ड का मेल—इंग्लैंड और स्काटलैंड के बीच में ऊँचे पहाड़ होने से, आरम्भ में बहुत समय तक, इन देशों में आपसी सम्बन्ध बहुत कम रहा। कई बार इस बात का यत्न किया गया कि ये दोनों राज्य मिल जायें। सन् १६०३ ई० में इंग्लैंड की महारानी एलिज़बेथ का देहान्त होजाने पर, स्काटलैंड का बादशाह ही निकटतम उत्तराधिकारी होने के कारण, इंग्लैंड का भी बादशाह बना। स्काटलैंड में वह 'जेम्स छठा' कहलाता था; इंग्लैंड में उसका 'नाम जेम्स पहला' रहा। इस प्रकार दोनों राज्यों का एक ही बादशाह होगया, परन्तु दोनों की शासन-व्यवस्था तथा क़ानून जुदा जुदा रहे। धीरे-धीरे इस नीति की हानिया मालूम होती गयीं, तथापि दोनों राज्यों में पारस्परिक मनोमालिन्य रहने के कारण, इनका मेल न हो सका। अन्त में १७०७ ई० के क़ानून से दोनों राज्य मिलाये गये। दोनों की नयी सम्मिलित पार्लिमेन्ट का नाम 'ब्रिटिश पार्लिमेन्ट' होगया। स्काटलैंड में भी वेल्ज़ की तरह, वर्तमान महायुद्ध आरम्भ होने से पहले, स्वतन्त्र पार्लिमेन्ट स्थापित करने का आन्दोलन चल रहा था।

अस्तु, यह स्पष्ट है कि इङ्ग्लैंड और स्काटलैंड का परस्पर में मिले, अर्थात् डार्ड मो वर्ष भी नहीं हुए। इन दोनों देशों का संयुक्त नाम 'ग्रैंट ब्रिटेन' है। 'ग्रैंट' का अर्थ बड़ा या महान् है।

उत्तरी आयरलैंड—ग्रैंट-ब्रिटेन के पास आयरलैंड एक अलग टापू है। इन दोनों के बीच में आयरिश सागर है; इसलिए आरम्भ में बहुत समय तक, इन दोनों के निवासियों का मिलना जुलना कम रहा। इसके अतिरिक्त इङ्ग्लैंड आयरलैंड को अपने से छांटे दर्जे का मानता था। उसने महारानी एलिज़बेथ के समय में उसे जीत लिया। पश्चात्

सन् १७१६ ई० में ब्रिटिश पार्लिमेंट ने आयर्लैंड के लिए कानून बनाने के सम्बन्ध में अपने अधिकार की घोषणा की, परन्तु दोनों राज्यों के आपसी झगड़ों के कारण ये अलग-अलग ही रहे। सन् १७८० ई० में आयर्लैंड की अलग पार्लिमेंट हो गयी। अठारहवीं शताब्दी के अन्त तक वह राज्य अपना शासन स्वयं करता रहा। सन् १८०१ ई० में आयर्लैंड की अलग पार्लिमेंट रहनी बन्द हो गयी और वह ग्रेट-ब्रिटेन की पार्लिमेंट में मिल गयी। उसी में आयर्लैंड के प्रतिनिधियों की संख्या निश्चित कर दी गयी। दोनों राज्यों का बादशाह भी एक ही होगा। उन्नीसवीं सदी के अन्त में वहाँ 'होम-रूल' आन्दोलन होने लगा, जिससे अन्त में सन् १९१४-१८ के महायुद्ध के पश्चात्, केवल उत्तरी आयर्लैंड की पार्लिमेंट ही ब्रिटिश पार्लिमेंट के अधीन रही और शेष आयर्लैंड का 'आयरिश फ्री स्टेट' के नाम से एक अलग राज्य हो गया। इस राज्य की शासनपद्धति दूसरे खंड में बतायी गयी है।

अस्तु, इस विवेचन में यह मालूम हो गया कि ब्रिटिश संयुक्त राज्य के भिन्न-भिन्न भाग किस प्रकार मिलकर, एक राज्य बना। अगले परिच्छेद में हम इस राज्य की शासनपद्धति का वर्णन आरम्भ करते हैं।

तीसरा परिच्छेद

अंगरेजी शासनपद्धति की विशेषताएँ

किसी-किसी देश की शासनपद्धति में कुछ बातें ऐसी होती हैं, जो प्रायः दूसरे देशों की शासनपद्धतियों में कम पायी जाती हैं। जिस देश में ऐसा हो, उसकी शासनपद्धति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन

बातों का मिला भाति समझ लेना उचित है। इंग्लैंड की शासनपद्धति में तान बानें ऐसी हैं, जिन्हें हम उसकी विशेषताएँ कह सकते हैं।

१—**बादशाह शासन-कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं है—**

यद्यपि प्रकट रूप में समस्त शासन-कार्य बादशाह के नाम से होता है, पर वास्तव में बादशाह अपनी इच्छा के अनुसार कुछ नहीं करता। कानून बनाने तथा शासन और न्याय करने के लिए, अंगरेजी शासन-पद्धति के अनुसार पार्लियामेंट, मंत्रिमंडल तथा न्यायाधीश उत्तरदायी हैं, और बादशाह केवल इन संस्थाओं के आदेशानुसार काम करता है।

अंगरेजी शासनपद्धति का एक मिथान्त यह है कि बादशाह गलती नहीं कर सकता। इसका अभिप्रायः यह है कि वह किसी भी सरकारी कार्य का उत्तरदाता नहीं माना जाता। सब कार्यों के उत्तरदाता मंत्री ही होते हैं, और उनकी सम्मति के अनुसार ही बादशाह काम करता है। हा, बादशाह एक काम अपनी इच्छा के अनुसार करता है, वह काम है, प्रधान मंत्री का चुनाव। परन्तु इस कार्य की भी एक सीमा रहती है। बादशाह को इस पद के लिए ऐसा आदमी चुनना होता है जो 'कामन्स' (जनसाधारण) सभा के अधिकांश सदस्यों को अपनी नीति के पक्ष में रख सके: ऐसे आदमी इंग्लैंड ही होते हैं।

२ **यह शासनपद्धति परिवर्तनशील है—**अंगरेजी शासन-पद्धति की दूसरी विशेषता यह है कि यद्यपि उसके कुछ नियम ऐसे भी हैं, जिन्हें इंग्लैंड की कामन्स सभा ने बनाया है, उसके अधिकांश नियम इस प्रकार के हैं, जो किसी खास समय में इस सभा द्वारा नहीं बनाये गये, ये रीति रिवाज पर निर्भर हैं और इनके अनुसार वही परम्परा में काम होता आ रहा है। देश के लिखित कानून में उनका समावेश नहीं है। इसका कारण यह है कि इंग्लैंड के प्रतिनिधि तथा अन्य अधिकारी किसी खास समय यह निश्चय करके नहीं बैठे कि आखिरी अपने देश के राजप्रबन्ध के लिए इस-इस विषय के कानून बनावे, अतः से इस देश

का शासन इस नयी पद्धति के अनुसार होना चाहिए। अंगरेजी शासन-पद्धति के बहुत से नियमों को अपने वर्तमान रूप में आने के लिए यथेष्ट समय लगा है। इस प्रकार अंगरेजी शासनपद्धति का धीरे-धीरे विकास हुआ है, इसका स्वभाविक वृद्धि हुई है। इसलिए आवश्यकता होने पर इसमें परिवर्तन आसानी से हो सकता है, उसके लिए धीरे आन्दोलन नहीं करना पड़ता।

इसीलिए यहाँ का शासनपद्धति को परिवर्तनशील कहा जाता है। यह अमरीका आदि देशों का शासनपद्धतियों की भाँति अपरिवर्तनशील नहीं है। यहाँ शासनपद्धति सम्बन्धी नियमों में सुधार करने के लिए विशेष बन्धन नहीं है। मंत्रिमंडल आवश्यकतानुसार उसके संशोधन का प्रस्ताव कर सकता है। इसमें उसमें एक-दम महान परिवर्तन भी हो सकता है। व्यवहार में, मंत्रिमंडल या पार्लियामेंट लोकमत में आगे नहीं बढ़ सकती, और लोकमत प्रायः सहसा नहीं बदलता।

अस्तु, मंत्रिमंडल के प्रस्तावों के अतिरिक्त, न्यायालयों के निर्णय भी यहाँ शासनपद्धति बदलने में सहायक होते हैं। पार्लियामेंट के बनाये हुए कानूनों का अर्थ लगाने में मतभेद उपस्थित होने का दशा में उसका निर्णय न्यायालय करते हैं। इससे उन कानूनों पर न्यायालयों के निर्णयों का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही है। इस प्रकार शासनपद्धति में धीरे-धीरे परिवर्तन हुआ करते हैं, जो बहुधा उस समय ता कुछ विशेष महत्व के मालूम नहीं होते परन्तु पीछे जाकर उनमें से किसी-किसी विषय का कायापलट सा हो जाता है।

शासनपद्धति की परिवर्तनशीलता से इंग्लैंड को एक बड़ा लाभ यह है कि यहाँ जनता की इच्छानुसार सुधार हाने की सम्भावना बनी रहती है, इससे जनसाधारण का प्रायः क्रान्ति की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। उन्होंने समझ लिया है कि जैसा लोकमत होगा, वैसा नियम पार्लियामेंट में बन जायगा। इसलिए वे जब जैसा कानून बनवाना चाहते हैं, उसके अनुसार लोकमत तैयार करने तथा जनता को शिक्षित

करने में लग जाते हैं। यदि वे ऐसा करने में सफल न हो, अर्थात् वे लोगों को अपने अभीष्ट नियम की उपयोगिता न समझा सके तो वे जान लेते हैं कि उस विषय की क्रान्ति करने में जनता हमारे साथ न हाँगी, और इसलिए क्रान्तिकारी उपायों से भी सफलता न होगी। यही कारण है कि इंग्लैंड के इतिहास में यह बात खास तौर से देखने में आती है कि यह देश राजनैतिक क्रान्तियों और उथल-पुथल के भगाड़ों से प्रायः मुक्त रहा है। वास्तव में इंग्लैंड की शासनपद्धति का इतिहास बादशाह की शक्ति कम होकर, उस शक्ति के, प्रजा के हाथ में जाने का इतिहास है। और, यह कार्य क्रमशः प्रायः मंजिल-दर-मंजिल, और अधिकांश में बिना खून बहाये, हुआ है।

३—शासनपद्धति अलिखित है—अमरीका आदि देशों का शासन-पद्धति 'लिखित' कही जाती है, इसके विपरीत, इंग्लैंड की 'अलिखित' मानी जाती है। लिखित शासनपद्धति से अभिप्रायः उम शासनपद्धति से होता है, जिसके अधिकतर कानून किमी विशेष समय बनाये जाकर, लिखे हुए रहते हैं। अलिखित शासनपद्धति से उम शासनपद्धति का बोध होता है, जो राज्य की रीति-रस्म, रिवाज़, रूढ़ा या परम्परा के आधार से बनी होती है, जिसके कानून सर्वसाधारण में लोकमत के अनुसार होने से ही, मान लिये जाते हैं। इन कानूनों में से कुछ, सुभीते के लिए, लिख भी लिये जाते हैं; तो भी शासन पद्धति अलिखित ही कही जाती है। यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण कानून पार्लिमेंट द्वारा खास-खास समय पर स्वीकृत किये जाकर लिखे हुए हैं। तथापि इसमें संदेह नहीं कि इस शासनपद्धति में रिवाज या रूढ़ा का विशेष भाग है।

चीथा परिच्छेद

— ८७ —

बादशाह और प्रिवी कौंसिल

बादशाह के उत्तर अधिकार का नियम—नार्मन लागो की विजय (सन् १०६६ ई०) से पहले यहां बादशाह (वह पुरुष हो या स्त्री) प्रायः निर्वाचित होता था, परन्तु वह शाही परिवार के आदमियों में से ही चुना जाता था। उस वर्ष से जागीरदारी प्रथा आरम्भ होगयी और यह विचार बल पकड़ता गया कि अन्य जागीर की भांति राज-गद्दी भी वंशानुक्रम से मिलनी चाहिए। सोलहवीं सदी में वंशानुक्रम अधिकार की अपेक्षा निर्वाचन-सिद्धान्त की विजय अधिक रही। सन् १६४९ ई० में बादशाह चार्ल्स पहले को प्राणदंड देने के पश्चात् ग्यारह वर्ष बिना बादशाह के काम चलाकर, १६६० में बादशाह का पद फिर कायम किया गया। सन् १६८९ में बादशाह जेम्स पहले को निकालकर, उसकी जगह विलियम तीसरे को गद्दी पर बैठाया गया, और अन्त में १७०१ में उत्तराधिकारी का कानून बना दिया गया, जिससे यह तय होगया कि इङ्ग्लैंड में बादशाहत का अधिकार वंशानुक्रम से माना जाता है, परन्तु कोई बादशाह तभी तक राज्य कर सकता है, जब तक पार्लिमेंट उसे चाहे।

बादशाह के उत्तराधिकार-कानून को 'सेटलमेंट एक्ट' कहते हैं। इससे यह निश्चय किया गया था कि राज्य बादशाह जेम्स पहले की पोती, सोफिया के वंशजों को मिले। इस कानून के अनुसार ब्रिटिश राजसिंहासन का अधिकार पौरुषिक अर्थात् वंशागत है। बादशाह का पद किसी को गुण कर्मानुसार नहीं दिया जाता। किसी बादशाह के मरने पर उसके सब से बड़े लड़के को राजगद्दी मिलती

है। यदि सब से बड़ा लड़का जीवित न हो तो उसके सबसे बड़े लड़के को (और लड़का न होने की दशा में लड़की को) राजगद्दी पाने का अधिकार होता है। यदि बादशाह के बड़े लड़के की कोई सन्तान न हो, तो बादशाह का दूसरा लड़का, और उसके जीवित न होने पर उसकी सन्तान अधिकारी होती है। यदि बादशाह का कोई लड़का या उसकी सन्तान जीवित न हो तो बादशाह की सब से बड़ी लड़की या उसकी सन्तान अधिकारिणी होती है। परन्तु शर्त यह है कि प्रत्येक राज्याधिकारी को गद्दी पर बैठते समय यह शपथ लेनी होती है कि वह प्रोटेस्टेंट मत का ईसाई है। यदि वह रोमन कैथलिक मत का ईसाई, या किसी अन्य धर्म का अनुयायी हो तो वह राज्याधिकार से वञ्चित कर दिया जाता है।

बादशाह के अधिकार—बादशाह के अधिकार दो प्रकार के होते हैं:—(१) जो उसे कानून द्वारा प्राप्त हैं; (२) जो उसे बिना कानून की, बादशाह होने की हैसियत में, प्राप्त हैं। कानून द्वारा प्राप्त अधिकार परिमित हैं। इनके कुछ उदाहरण ये हैं— ऐसे नियमों के सम्बन्ध में नियम बनाना, जिनके लिए उसे कानून से अधिकार दिया गया है; अपने और अपने परिवार के खर्च के लिए पार्लियामेंट द्वारा स्वीकृत रकम प्राप्त करना। जो अधिकार उसे बिना कानून, बादशाह होने की हैसियत में प्राप्त हैं, उनके अनुसार वह यदि चाहे तो, पार्लियामेंट की अनुमति बिना ही, सेना के हथियार रखवा सकता है, सरकारों नौकरों को वर्खास्त कर सकता है, युद्ध और सन्धि कर सकता है, साम्राज्य के किसी भी निवासी को 'लार्ड' बना सकता है, अपराधियों को क्षमा प्रदान कर सकता है। इस प्रकार अंगरेजी शासनपद्धति के अनुसार चलता हुआ भी, बादशाह कई ऐसे कार्य कर सकता है, जिनमें देश की आन्तरिक उन्नति में तथा उसके अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में बहुत बाधा पहुँचे। परन्तु वास्तव में जैसा कि पहले कहा गया है, आजकल वह कोई भी कार्य अपनी इच्छा के अनुसार नहीं करता:

वह अपने अधिकारों को, अपने मन्त्रियों का सलाह बिना अमल में नहीं लाता। बादशाह जो भाषण देता है, वह भी प्रधान मन्त्री या अन्य मन्त्रियों द्वारा लिखा होता है; उसका अन्य राज्यों से जो पत्र-व्यवहार होता है, वह भी मन्त्रियों से लिखा नहीं रहता। बादशाह अपना विवाह भी मन्त्रियों की इच्छा के विरुद्ध नहीं कर सकता।

बादशाह के कार्य—बादशाह अपने कार्य, प्रधान मन्त्री की सलाह के अनुसार करता है, उनमें से मुख्य-मुख्य निम्नलिखित हैं:—
 (१) मन्त्रियों की नियुक्ति करना। (२) प्रति वर्ष पार्लिमेंट का उद्घाटन करना। (३) पार्लिमेंट के अधिवेशन को समाप्त करना। (४) पार्लिमेंट द्वारा स्वीकृत कानूनी सम्बन्धों को स्वीकार करके, उन्हें कानून का रूप देना। (५) प्रधान अधिकारियों तथा न्यायाधीशों को नियत करना। (६) पदाधिकारियों की नियुक्ति करना। (७) पार्लिमेंट में भाषण देना। (८) अपराधियों का क्षमा करना, और (९) बड़ी-बड़ी उपाधियाँ तथा पदवियाँ देना इत्यादि।

शासनपद्धति में बादशाह का स्थान—यद्यपि बादशाह सब काम मन्त्रियों के परामर्श से करता है तथापि शासनपद्धति में उसका कुछ-न-कुछ महत्व रहता ही है। वह मन्त्रियों को आवश्यकतानुसार प्रत्याहन या चेतावनी देता है। अपने अधिकारों का उचित रूप में उपयोग करके महारानी विक्टोरिया और जार्ज पञ्चम जैसे बादशाह इंग्लैंड के शासन-कार्य में बड़ा प्रभाव डालते रहे हैं। मन्त्रिमंडल बनते हैं और बदलते हैं, मन्त्री आते और जाते हैं, परन्तु बादशाह स्थायी है, वह शासन-कार्य की शृङ्खला को बनाये रखता है। वह राज्य के विविध रहस्यों को जानता है, और शासन-नीति के व्यवहार के सम्बन्ध में उसका अनुभव प्रायः मन्त्रियों की अपेक्षा अधिक होता स्वाभाविक ही है। विशेषतया विदेशों संबंधी विषयों में तो उसका प्रभाव बहुत ही पड़ता है। यह कहा जा सकता है कि समसदर बादशाह का प्रभाव, केवल प्रधान मन्त्री को छोड़कर और सब व्यक्तियों की अपेक्षा

अधिक रहता है। यही कारण है कि इङ्ग्लैंड में यद्यपि व्यावहारिक दृष्टि से बादशाह के अधिकार क्रमशः कम होते गये हैं, परन्तु इसके साथ ही जनता में उसका आदर-मान बढ़ता गया है। बादशाह ही ब्रिटिश साम्राज्य की एकता का प्रत्यक्ष चिह्न या निशान है, सारा साम्राज्य उससे प्रेम करता है।

स्वयं अपनी इच्छा के अनुसार बादशाह शासन-कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करता। पार्लिमेंट का प्रभाव इतना बढ़ गया है कि अब बादशाह कोई ऐसा कार्य करने का साहस नहीं करता, जो पार्लिमेंट के विचार या नीति के विरुद्ध हो। इस तरह बादशाह एक गैर (कास्टीचूशनल) शासक रह गया है। असल में शासन तो पार्लिमेंट अपने मंत्रिमंडल के जरिये करती है, लेकिन सब महत्वपूर्ण काम बादशाह के नाम से और उसके हस्ताक्षर करने पर होते हैं; इसलिए यह कहा जाता है कि वह सिर्फ राज करता है, शासन नहीं। वह सब राजनैतिक दलों (पार्टियों) से परे है, वह किसी दल का सदस्य नहीं हो सकता। अंगरेजी शासन-विधान में राजा सम्मान की वस्तु है, भय की नहीं। इङ्ग्लैंड में बादशाह का पद लगभग नौ सौ वर्ष से बराबर चला आ रहा है, केवल चार्ल्स पहले की फासी से, कुछ समय के लिए, यह सिलसिला टूट गया था। वहाँ इस पद की मान-मर्यादा अब तक बनी हुई है; हाँ, वहाँ के प्राचीन तथा आधुनिक बादशाहों के व्यावहारिक अधिकारों में जमीन-आसमान का अन्तर है। आजकल बादशाह पुरानी राजसत्ता की छाया-मात्र है।

शाही खर्च—बादशाह और उसके परिवार के निजी खर्च के लिए पार्लिमेंट प्रति वर्ष निर्धारित रकम स्वीकार करती है। सरकारों खर्च की इस मद को 'सिविल लिस्ट' कहते हैं। एक बादशाह के शासन-काल में यह रकम प्रति वर्ष बदलती नहीं। जब तक वह गद्दी पर रहता है, उसे ठहरायी हुई रकम मिलती रहती है। उसके मरने पर, शाही खर्च की जांच होती है, और नये बादशाह

की आवश्यकताओं के अनुसार शाही खर्च का रकम निर्धारित की जाती है। इसका निश्चय करने में पूर्व पार्लिमेंट में पूरी बहस होती है। अन्य विषयों की तरह पार्लिमेंट का उस पर पूर्ण नियन्त्रण है। एक बादशाह के शासन-काल के समाप्त होने पर शाही खर्च का व्योरा प्रकाशित किया जाता है। बादशाह के पास निजी जायदाद काफी होती है, पर सब जायदाद की आमदनी राष्ट्र को सौंप दी जाती है, और बादशाह को अपने परिवार के खर्च के लिए पार्लिमेंट का उदारता पर निर्भर रहना पड़ता है। आम तौर से बादशाह को, प्रति वर्ष मिलनेवाली कुल रकम ४,१०,००० पौंड होती है, इसमें से १,१०,००० पौंड बादशाह की प्रिवी पर्मे (निजी खर्च); १,३४,००० पौंड महल के कर्मचारियों का वेतन और पेन्शन; १,५२,८०० पौंड महल का खर्च, भोजन वस्त्र आदि; और १३,२०० पौंड दान और पारितोषिक आदि के लिए होते हैं। बादशाह की सन्तान तथा भाइयों आदि के लिए अलग-अलग रकमें निर्धारित रहती हैं। सब शाही खर्च मिला कर इंग्लैंड की कुल वार्षिक आय के एक प्रतिशत के पन्द्रहवें हिस्से में अधिक नहीं होता।

प्रिवी कौंसिल—बादशाह का उसके शासन-कार्य में सलाह देने के लिए एक सभा होती है, जिसे 'प्रिवी कौंसिल' (गुप्त सभा) कहते हैं। यह एक पुरानी सभा का धीरे-धीरे बदला हुआ स्वरूप है। नार्मन लॉगा के आने तक इंग्लैंड में 'विटन'-सभा (बुद्धिमानों की सभा) होता था, जो बादशाह को आवश्यक विषयों पर सलाह दिया करती थी। नार्मन बादशाहों के समय इसका स्वरूप कुछ बदल गया और यह अधिकतर जागीरदारों और बड़े-बड़े पादरियों की एक महासभा (ग्रेट कौंसिल) बन गयी। राज्य या दरबार के पदाधिकारियों में से जो व्यक्ति इस सभा के सदस्य होते थे, और अधिकतर बादशाह के पास रहा करते थे, उनकी धीरे-धीरे एक स्थायी कमेटी सी बन गयी। पीछे इस कमेटी के सदस्य भी इतने अधिक हो गये कि उन सबका बादशाह से घनिष्ठ सम्बन्ध

न रह सका। अतः पन्द्रहवीं सदी में बादशाह को सलाह देनेवाली इसकी एक छोटी कमेटी बनी; यह 'गुप्त सभा' कहलाने लगी।

इस सभा के अधिकार अब बहुत कम हो गये हैं। जब कभी बादशाह को ऐसी आज्ञा निकालनी होती है, जिसमें इस सभा की अनुमति की आवश्यकता हो, तब इस सभा का अधिवेशन किया जाता है। अधिवेशन की सूचना सभा के सब सदस्यों के पास नहीं भेजी जाती। अकसर छः ऐसे सदस्य बुला लिये जाते हैं जो मन्त्रिमंडल के सदस्य होते हैं। उनके उपस्थित होने पर सभा का कार्य हो जाता है। बादशाह इस सभा में उपस्थित नहीं होता। इस सभा के सभापति को 'लार्ड प्रेसिडेंट' कहते हैं। यह सदैव मन्त्रिमंडल का सदस्य होता है।

'बादशाह की परिषद' कहने से इसी सभा का आशय लिया जाता है। इस सभा की सलाह से बादशाह की जो आज्ञाएँ निकलती हैं, उन्हें सपरिषद बादशाह की आज्ञाएँ (आर्डर्स-इन-कौंसिल) कहा जाता है।

प्रिवी कौंसिल के सदस्य—इस सभा के सब सदस्यों की संख्या प्रायः तीन सौ से ऊपर होती है। इसमें निम्नलिखित व्यक्ति होते हैं:—(१) मन्त्रिमंडल के सब भूत-पूर्व तथा वर्तमान सदस्य (२) मुख्य राज्याधिकारी, (३) राजपरिवार के सदस्य, (४) कुछ 'विशप' और 'आर्कविशप', (५) बहुत से लार्ड, जिनमें प्रायः वे सब व्यक्ति होते हैं, जिन्होंने स्वदेश में तथा विदेश में उच्च पदों पर कार्य किया हो, (६) कुछ मुख्य-मुख्य भूतपूर्व तथा वर्तमान न्यायाधीश, (७) उपनिवेशों और भारतवर्ष के कुछ राजनीतिज्ञ, और (८) इस सभा के सदस्य की उपाधि पाये हुए दूसरे सज्जन।

बादशाह को अधिकार है कि वह किसी आदमी को इस सभा का सदस्य बनाये। इस सभा के सदस्य प्रायः ऐसे व्यक्ति बनाये जाते हैं, जिन्होंने राजनीति, सहित्य, विज्ञान, शासन या युद्ध आदि क्षेत्रों में विशेष सेवा की हो।

इस सभा के सदस्य आजीवन होते हैं, और 'राइट आनरैबल' की उपाधि से सम्मानित होते हैं। सभा के सब सदस्य उस समय बुलाये जाते हैं, जब नये बादशाह का राज्याभिषेक होता है, और वह प्रचलित कानून के अनुसार शासन करने की प्रतिज्ञा करता है। 'कामन्स' सभा का अधिवेशन कराने तथा स्थगित कराने के लिए, बादशाह के वापणा-पत्र इसी सभा में तैयार होते हैं।

प्रिवी कौंसिल को उपसमितियाँ—इस सभा की कई एक उपसमितियाँ हैं। सब से प्रधान उपसमिति मन्त्रिमण्डल है, जिसके द्वारा शासन का सब काम होता है। इसके बारे में खुलासा अगले परिच्छेद में लिखा जायगा। प्रिवी कौंसिल की दूसरी महत्वपूर्ण उपसमिति न्याय-समिति है। यह उपसमिति ब्रिटिश साम्राज्य के उपनिवेशों तथा ब्रिटिश भारत की सब से ऊँची अदालतों की अपील सुनती है, और साम्राज्यान्तर्गत देशों की सब से बड़ी अदालत है। इसके फैसलों की कहीं अपील नहीं होती। इसमें ब्रिटिश उपनिवेशों के मुकदमे तो बहुत कम आते हैं, अधिकतर भारतवर्ष के ही मामले पेश होते हैं। इस उपसमिति में कुछ न्यायाधीश हिन्दुस्तानी भी रहते हैं। प्रायः भारतवर्षी बोलचाल में इस उपसमिति को ही 'प्रिवी कौंसिल' कहते हैं। इसके सब सदस्यों का वेतन मिलता है।

+

पाँचवाँ परिच्छेद

~ ~ ~

मन्त्रिमण्डल

ऐतिहासिक परिचय—पिछले परिच्छेद में बादशाह की प्रिवी कौंसिल का वर्णन किया गया है। उसके बहुत बड़ी होने के कारण, उसके सदस्यों में से कुछ की एक छोटी कमेटी बनी, जिसे मन्त्रिमण्डल

कहते हैं, और जिस पर बादशाह का विशेप विश्वास होता है। शासन पद्धति सम्बन्धी अन्य विषयों का तरह इंग्लैंड की इस सस्था का भी धीरे-धीरे विकास हुआ।

चौदहवीं शताब्दी तक बादशाह अपने मन्त्रियों को स्वयं चुनता था। मन्त्री भी प्रायः बादशाह की इच्छानुसार काम करनेवाले होते थे। चाहे उनके ऐसे करने से राज्य का हित हो या न हो। परन्तु सतरहवीं शताब्दी के अन्त में लोगों की धारणा हुई कि यदि मन्त्रियों का कार्य कामन्स सभा के अधिकतर सदस्यों के मत के प्रतिकूल हो तो उन पर अभियोग लगाया जाना चाहिए। इस विषय पर विचार होते-होते अन्त में यह सोचा गया कि ऐसे सज्जनों को मन्त्री बनाया जाय करे, जिनके मत से पार्लिमेंट के अधिकतर सदस्य सहमत हों। अब यहाँ प्रथा जारी है। सन् १७१४ ई० में जार्ज पहला गद्दी पर बैठा। वह तथा उसका पुत्र जो पीछे जार्ज दूसरे के नाम से बादशाह बना, अंगरेजी भाषा न जानने के कारण मन्त्रिमण्डल या पार्लिमेंट में वादविवाद में भाग न ले सकते थे। इसलिए इनके समय में राज्य का शासन-सूत्र बादशाह के हाथ से निकल कर प्रधान मन्त्री के हाथ में चला गया, और मन्त्रिमण्डल के अधिकार बहुत बढ़ गये। यद्यपि पीछे जार्ज तीसरे ने मन्त्रियों का कुछ विरोध किया, पर वह सफल न हो सका, और उनकी शक्ति क्रमशः बढ़ती ही चली गयी।

मन्त्रिवर्ग का निर्माण—जब पार्लिमेंट का नया निर्वाचन होता है, या जब प्रधान मन्त्री अपने पद से इस्तीफा देता है, तो बादशाह 'कामन्स' सभा के ऐसे सदस्य को प्रधान मन्त्री बनाता है जो उस सभा के अधिकतम सदस्यों को अपनी नीति के पक्ष में रख सके। प्रधान मन्त्री अन्य मन्त्रियों को चुनकर मन्त्रिवर्ग ('मिनिस्ट्री') बनाता है। ये अन्य मन्त्री 'कामन्स' (जनसाधारण) सभा अथवा 'लार्ड' सभा के सदस्य होते हैं। मन्त्रिवर्ग में प्रायः प्रत्येक विभाग के दो-दो मन्त्री रहते हैं, एक कामन्स सभा का सदस्य होता है, और दूसरा लार्ड-सभा

का। इससे यह सुभीता होता है कि दोनों सभाओं में- ऐमे आदर्श रहते हैं, जिनका भिन्न-भिन्न सरकारी विभागों में घनिष्ठ सम्बन्ध हो, और जो अपने-अपने विभाग से सम्बन्ध रखनेवाले उन प्रश्नों का भली भाँति उत्तर दे सके, जो उन सभाओं के सदस्यों द्वारा समय-समय पर पूछे जायें।

बहुधा मन्त्री उसी दल के होते हैं, जिस दल का सदस्य प्रधान मन्त्री हो, परन्तु विशेष दशा में दो या अधिक दलों के सदस्य भी मन्त्रि-वर्ग में ले लिये जाते हैं। ऐमे वर्ग को सम्मिलित मन्त्रिवर्ग 'कोअलिशन-मिनिस्ट्री' कहते हैं। प्रधान मन्त्री द्वारा चुने हुए मन्त्रियों को बादशाह मन्त्री नियत कर देता है। चुनाव का यह कार्य बड़े महत्व का होता है, और, सरकार की स्थिरता इस चुनाव पर ही निर्भर होती है। ब्रिटिश मन्त्रिवर्ग में लगभग ५० मन्त्री होते हैं। प्रत्येक मन्त्री को कोई एक राजनैतिक विभाग सौंप दिया जाता है, और वह उसका उत्तरदायी होता है।

मन्त्रिमंडल—मन्त्रिमंडल ('केबिनेट') में मन्त्रिवर्ग के मुख्य मुख्य मन्त्री रहते हैं। इसके सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं है। इसका संगठन किसी निर्धारित नियम के अनुसार नहीं होता। साधारण तौर से लगभग बीस मन्त्री होते हैं। मन्त्रिमंडल, ब्रिटिश शासन सम्बन्धी सब कार्य के लिए कामन्स सभा के प्रति उत्तरदाता है। प्रधान मन्त्री सरकार की नीति ठहराता है और विविध राजनैतिक विभागों का निरीक्षण करता है।

मन्त्रिमंडल और पार्लिमेंट का सम्बन्ध—प्रत्येक मन्त्री अपने अपने विभाग के लिए, और सम्पूर्ण मन्त्रिवर्ग शासन नीति के लिए, पार्लिमेंट के प्रति उत्तरदायी होता है। यदि महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मन्त्रिमंडल 'कामन्स' सभा में हार जाय तो प्रधान मन्त्री अपने पद से इस्तीफा दे देता है, और मन्त्रिमंडल भङ्ग हो जाता है। स्मरण रहे कि शासनपद्धति का कोई ऐसा नियम नहीं है कि इस परिस्थिति में

प्रधान मन्त्री और मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना ही पड़े, परन्तु प्रचलित प्रथा के अनुसार वे इस्तीफा दे देते हैं। यदि वे इस्तीफा न दें, तो वार्षिक खर्च की मांगों की स्वीकृति के समय, कामन्स सभा उनका वेतन तथा उनके विभाग की मांग स्वीकार न करे, और उनका शासन कार्य चलना असम्भव हो जाय। परन्तु ऐसा होने का अवसर नहीं आता, मंत्रिमंडल पहले ही इस्तीफा दे देता है; तथापि यह नहीं कहा जा सकता कि पार्लिमेंट का मन्त्रियों पर पूर्ण प्रभुत्व है। जब कभी कोई मंत्रिमंडल अपना कार्यक्रम स्वीकार न करा सकने के कारण, भङ्ग होगा तो पार्लिमेंट को नया प्रधान मन्त्री चुनने का भार ग्रहण करना होगा। यदि इस नये प्रधान मन्त्री के बनाये हुए नये मंत्रिमंडल का भी कार्यक्रम स्वीकृत न किया गया तो कोई व्यक्ति सहसा प्रधान मन्त्री के पद को ग्रहण करना स्वीकार न करेगा, और शासन-यन्त्र चलने में बाधा उपस्थित होने की शंका होगी। इसलिए साधारण तौर पर मन्त्री जो प्रस्ताव उपस्थित करते हैं, वे पार्लिमेंट में स्वीकृत हो जाते हैं। इसके विपरीत, यदि पार्लिमेंट का कोई सदस्य अपना प्रस्ताव उपस्थित करना चाहे और मंत्रिमंडल उसके विरुद्ध हो, तो उसके स्वीकृत होने की सम्भावना बहुत कम होती है।

उसकी कार्यपद्धति—मन्त्रिमण्डल की बैठक में प्रधान मन्त्री सभापति होता है। इस सभा में शासन-नीति सम्बन्धी विचार होता है तथा यह निश्चय होता है कि सरकार की ओर से कौन-कौन से कानूना मसविदे या प्रस्ताव पार्लिमेंट में उपस्थित किये जायें। प्रत्येक मन्त्री अपने-अपने विभाग का उत्तरदाता होता है, और, उससे सम्बन्ध रखने-वाली साधारण बातों का निर्णय, जिनका अन्य विभागों से भी सम्बन्ध हो, मन्त्रिमण्डल की बैठक में होता है। मन्त्रिमण्डल में हरेक बात का निर्णय उपस्थित सदस्यों के बहुमत के अनुसार नहीं होता। प्रधान मन्त्री तथा कुछ खास-खास मन्त्रियों के मत को अधिक महत्व दिया जाता है, और प्रायः सब बातों का निर्णय उन्हीं के मतानुसार होता है।

यदि कोई मन्त्री इनके निर्णय से असन्तुष्ट हो तो वह अपने पद से इस्तीफा देने में स्वतन्त्र है, परन्तु जब तक वह ऐसा न करे, उसका कर्तव्य है कि वह पार्लिमेंट में प्रधान मन्त्री का साथ दे और उसका समर्थन करे।

मन्त्रिमण्डल की सब कार्रवाई गुप्त रखी जाती है। यदि किसी विषय के सम्बन्ध में मन्त्रिमण्डल के सदस्यों में मतभेद हो तो वह भी गुप्त रखा जाता है। पार्लिमेंट में तो सब मन्त्री प्रधान मंत्री के मत के अनुसार ही काम करते हैं। हाँ, यदि कोई मंत्री मतभेद के कारण इस्तीफा दे तो उसे अधिकार रहता है कि वह इस्तीफा देने के कारणों को पार्लिमेंट में प्रगट कर दे। यदि कोई मंत्री ऐसा काम करे, जो मन्त्रिमण्डल की एकता के विरुद्ध हो तो प्रधान मन्त्री को अधिकार है कि उस मंत्री को इस्तीफा देने के लिए बाध्य करे। मन्त्रिमण्डल के निर्णयों का कोई लिखित विवरण नहीं रखा जाता। महत्वपूर्ण निर्णयों की सूचना, प्रधान मंत्री बादशाह को दे देता है।

मन्त्रिमण्डल और बादशाह का सम्बन्ध—जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, बादशाह शासन सम्बन्धी सब काम, मन्त्रिमण्डल के सन्तव्यों तथा प्रधान मंत्री के परामर्श के अनुसार, करता है। यदि वह चाहें तो वह ऐसा करने में इनकार भी कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में प्रधान मन्त्री अपने पद से इस्तीफा दे देता है और, इसके फल-स्वरूप सभी मंत्रियों को इस्तीफा देना होता है, और बादशाह को नये प्रधान मंत्री का चुनाव करना होता है। नया प्रधान मन्त्री नये मन्त्रिमण्डल का चुनाव करता है। यदि नये प्रधान मन्त्री का मत पुराने प्रधान मन्त्री के अनुसार ही रहे तो बादशाह को अपना इच्छा के विरुद्ध उसकी बात मान लेनी पड़ती है, या पार्लिमेंट को भङ्ग करना होता है। बादशाह पार्लिमेंट को ऐसी दशा में ही भङ्ग करता है, जब उसे इस बात का विश्वास हो कि जनता नये चुनाव में बादशाह के निर्णय का समर्थन करेगी।

पार्लियमेंट के नये चुनाव के बाद नया प्रधान मन्त्री चुना जाता है, और वह अपना नया मन्त्रिमण्डल बनाता है। यदि यह प्रधान मन्त्री भी पुराने प्रधान मन्त्री की नीति का समर्थन करे तो बादशाह को अपनी इच्छा के विरुद्ध उसकी बात माननी पड़ती है; नहीं तो जनता के प्रतिनिधियों से उसका विरोध होने की सम्भावना होती है। प्रायः कोई बादशाह यह विरोध होने देना नहीं चाहता, क्योंकि वह जानता है कि भूत काल में ऐसे विरोध के कारण एक बादशाह (चार्ल्स पहले) का अपना मिर देना पड़ा और दूसरे बादशाह (जेम्स दूसरे) को अपना सिंहासन खोना पड़ा था। इसीलिए बादशाह आम तौर से अपनी इच्छा के अनुसार शासन-कार्य नहीं करता, बल्कि प्रधान मन्त्री और मन्त्रिमण्डल के मन्तव्यों के अनुसार ही सब कार्य करता है।

इस विचार से कुछ लोग इंग्लैंड के बादशाह को मन्त्रिमण्डल के हाथ की कठपुतली कहते हैं, परन्तु असल में जैसा कि पहले कहा जा चुका है, बादशाह के व्यक्तित्व का प्रभाव शासन सम्बन्धी कार्यों में थोड़ा-बहुत अवश्य रहता है।

मन्त्रिमंडल के सदस्य—मन्त्रिमण्डल के सदस्यों की संख्या निर्धारित नहीं है। आम तौर से प्रधान मंत्री की इच्छा से उस में घटबढ़ होती रहती है। प्रधान मंत्री को दस हजार पाँड वार्षिक वेतन मिलता है। अपने पद का काम छोड़ने पर उसे हर वर्ष दो हजार पाँड पेंशन दी जाती है। दूसरे मंत्रियों को हर वर्ष दो हजार से पाँच हजार पाँड तक वार्षिक वेतन मिलता है।

मन्त्रिमंडल के नीचे लिखे पदाधिकारी हैं, और उनका कार्य इस प्रकार है :—

१.—**प्रधान मंत्री और प्रधान कोषाध्यक्ष**—प्रधान मंत्री के कार्य पहले बताये जा चुके हैं। वह प्रधान कोषाध्यक्ष भी बन जाता है। वह 'कामन्स' सभा का नेता भी माना जाता है।

२—**लार्ड-प्रिंसिपल-ऑफ-द-कौंसिल**—यह प्रिन्सिपल का मन्त्रिमण्डल होता है। इसे विशेष कार्य करना नहीं होता; यह विचार किया करता है।

३—**लार्ड चान्सलर**—यह लार्ड सभा का, तथा ब्रिटिश संयुक्त राज्य के न्याय-विभाग का, प्रधान होता है और न्यायाधीशों को नियत करता है। इसके अलावा, यह सरकार का मुख्य कानूनी मन्त्रिमण्डल होता है। राजकीय मोहर इसी के पास रहती है। यह पद रोमन कैथलिक ईसाई को नहीं मिलता।

४—**लार्ड प्रिन्सिपल**—सन् १८८४ ई० से पहले यह पदाधिकारी बादशाह के हस्ताक्षर किये हुए महत्वपूर्ण आज्ञापत्रों पर मोहर लगाता था, और इस लिए उन आज्ञापत्रों का उत्तरदायी समझा जाता था। परन्तु उस वर्ष में इस मोहर की आवश्यकता न रही और यह कार्य भी न रहा। अब यह पद मन्त्रिमण्डल के किसी ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति को दिया जाता है, जो अपना सब समय राष्ट्र की शासन सम्बन्धी बातों पर विचार करने में लगा दे। प्रायः इस पद वाला मन्त्री लार्ड-सभा का नेता भी होता है। मन्त्रिमण्डल में इसके विचारों का बड़ा महत्व है।

५—**अर्थ-मन्त्री या चान्सलर-ऑफ़ एक्सचेंजर**—अर्थ विभाग का सब कार्य इसके अधीन होता है। यही बजट तैयार करता है, और पार्लियामेंट में पेश करता है।

६—**स्वदेश-मन्त्री या होम सेक्टररी**—इसका कार्य, प्रबन्ध करना और शान्ति रखना है। पुलिस, जेल, सुधार-गृह (रिफार्मेटरी) आदि इसके अधीन होते हैं। यह खान, कारखाने आदि विविध औद्योगिक संस्थाओं के इनस्पेक्टरों को नियत करता और उनके कार्य को देखता है। यह इस बात का भी प्रबन्ध करता है कि विदेशियों को किन-किन नियमों का पालन करने से नागरिक के अधिकार दिये जायें, तथा किन विदेशियों को इंग्लैंड में रहने ही न दिया जाय।

७—विदेश-मन्त्री—यह इस बात का निश्चय करता है कि इंग्लैंड का अन्य राज्यों से क्या नीति रहनी चाहिए। किसी राज्य में युद्ध की घोषणा करना, या शान्ति का व्यवहार करना, अथवा सन्धि करना उसका कार्य है। वास्तव में इस प्रकार के महत्वपूर्ण विषयों का निश्चय तो मन्त्रिमण्डल में ही होता है, विदेश-मन्त्री उस निश्चय को अमल में लाता है। इंग्लैंड का अन्य देशों से जो राजनैतिक पत्र-व्यवहार होता है, उसका भी उत्तरदाता विदेश-मन्त्री ही होता है।

८—उपनिवेश-मन्त्री—यह साम्राज्य के स्वाधीन भागों के शासन में कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकता, लेकिन दूसरे उपनिवेशों के अच्छे शासन और उन्नति के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी होता है।

९—भारत-मन्त्री—यह भारतवर्ष (और बर्मा) के मुशासन, शान्ति और उन्नति के लिए उत्तरदायी है। भारत-सरकार को इसकी आज्ञानुसार कार्य करना होता है। इसके कार्य में सहायता देने के लिए एक सभा रहती है, जिसे इंडिया कौंसिल कहते हैं। [भारत-मंत्री का पद और इंडिया कौंसिल तोड़ने का विचार हो रहा है।]

१०—लैंकेस्टर का डुच्ची का चान्सलर—यह बादशाह का निजी गिंयासत का प्रबन्ध करता है। इस पद का कार्य अधिक नहीं रहता, इसलिए यह मन्त्री अपना समय शासन सम्बन्धी बातों पर गम्भीरता पूर्वक विचार करने में लगाता है।

निम्नलिखित पदाधिकारियों का कार्य उनके नाम से स्पष्ट है :—

- ११—स्काटलैंड का मन्त्री। १२—व्यापारिक बोर्ड का सभापति। १३—युद्ध-मंत्री। १४—नौ सेना विभाग का प्रधान। १५—वायु-सेना मंत्री। १६—वायुयान-निर्माण-मंत्री। १७—स्वाधीन-उपनिवेश-मंत्री। १८—वातायात-मंत्री। १९—सूचना-मंत्री। २०—खाद्यपदार्थ मंत्री। २१—रसद-मंत्री। २२—विभाग-हीन मंत्री। २३—पोस्टमास्टर जनरल। २४—शिक्षा-मंत्री। २५—स्वास्थ्य-मन्त्री। २६—कृषिमंत्री। २७—मजदूर-विभाग-मन्त्री। २८—निर्माण-विभाग-मन्त्री।

युद्धकाल में युद्ध-कार्य का संचालन करने के लिए युद्ध-मन्त्रिमंडल बनाया जाता है। इसमें मन्त्रिमण्डल के आठ-दस प्रमुख सदस्य होते हैं।

पहले कहा जा चुका है कि मन्त्रिमण्डल के सदस्य मंत्रिवर्ग से ही लिये जाते हैं। उनके अतिरिक्त मन्त्रिवर्ग में ऐसे पदाधिकारी भी रहते हैं, जो मन्त्रिमंडल के सदस्य नहीं होते। ऐसे पदाधिकारी प्रायः निम्न-लिखित होते हैं:—पेंशन विभाग का मन्त्री; अटार्नी-जनरल; सालिसिटर-जनरल; स्काटलैंड का सालिसिटर-जनरल; युद्ध-राजस्व मन्त्री; लांड एंड वाकेट; स्काटलैंड का उपमन्त्री; भारतवर्ष का उपमन्त्री; और विविध विभागों के उपमन्त्री।

मन्त्री और सरकारी कर्मचारी—शासन-कार्य के प्रत्येक विभाग में एक मंत्री के अधीन कई एक स्थायी कर्मचारी रहते हैं। मंत्री अपने विभाग सम्बन्धी नीति निर्धारित करता है, उस नीति के अनुसार शासन-कार्य करना स्थायी सरकारी कर्मचारियों का काम है। कर्मचारी अपने पद पर बराबर बने रहने के कारण अपने विभाग की सब आवश्यक बातों तथा बहुत-सी शरीकियों को जानते हैं। मन्त्रिमण्डल समय-समय पर बदलते रहते हैं। नये-नये मन्त्री नियुक्त होते हैं; उन्हें अपने विभाग के सम्बन्ध में उतना ज्ञान नहीं हो सकता। वे अपने काम के लिए उक्त कर्मचारियों का ही आसरा लेते हैं। इन कर्मचारियों की ही बदौलत शासन कार्य का मिलसिला बना रहता है।

यदि कोई मन्त्री अपने विभाग की व्यंगेवार बातों में हस्तक्षेप करने लगे तो सरकारी कर्मचारी उसे हरेक विषय में इतनी बात बतला सकते हैं कि मन्त्री फाइलों के बोझ से दब जाय, उसे पार्लिमेंट के आवश्यक कार्यों के लिए अवकाश ही न रहे और, अन्त में लाचार होकर, उसे सरकारी कर्मचारियों की शरण लेनी पड़े।

यदि सरकारी कर्मचारियों का कार्य सन्तोषजनक न हो तो मन्त्री उन पर जुर्माना कर सकता है, वह उन्हें बरखास्त भी कर सकता है।

यदि सरकारी कर्मचारी द्वारा कोई त्रुटि हो जाय तो उसके लिए मन्त्री उत्तरदायी समझा जाता है। उसके अच्छे कार्य का श्रेय भी मन्त्री को ही मिलता है: सरकारी कर्मचारी को उसका पुरस्कार वेतन-वृद्धि या पदवी के रूप में प्राप्त होता है। कोई सरकारी कर्मचारी कामन्स सभा का सदस्य बनने के लिए उम्मेदवार नहा हो सकता।

सिविल सर्विस—भिन्न-भिन्न सरकारी विभागों के लिए जिन स्थायी सरकारी कर्मचारियों का ऊपर उल्लेख किया गया है, वे अधिकतर सिविल सर्विस की प्रतियोगी परीक्षा पास होते हैं; जिस वर्ष जितने कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, उस वर्ष उतने आदमी उन व्यक्तियों में से ले लिये जाते हैं, जिन्होंने यह परीक्षा दी हो, और क्रमानुसार अधिक से अधिक नम्बर पाये हों। कुछ ऊँचे पदों पर, उनसे नीचे पद वालों की तरक्की देकर, नियुक्ति की जाती है।

इन स्थायी कर्मचारियों के पदों का वेतन निश्चित रहता है और वह क्रमशः बढ़ता जाता है। ये उस समय तक अपने पद से जुदा नहीं किये जाते, जब तक वे नेकचलनी से अपना कार्य करते रहे। जब ये नौकरी में अवकाश ग्रहण करते हैं, तो इन्हें पेंशन मिलती है।

छुट्टा परिच्छेद

पार्लिमेंट का संक़ठन

प्राक्कथन—ब्रिटिश संयुक्त राज्य की सबसे बड़ी कानून बनानेवाली संस्था पार्लिमेंट है। अन्य देशों की आधुनिक व्यवस्थापक संस्थाओं में यह बहुत पुरानी है, और कई देशों ने इसके ही नमूने पर अपनी-अपनी व्यवस्थापक सभाओं की रचना की है। इसलिये इसे 'पार्लिमेंटों का

माता' कहा जाता है। यद्यपि साधारण बोलचाल में पार्लिमेंट से उसका एक ही सभा (कामन्स-सभा) का अभिप्राय होता है, असल में उसका दो सभाएँ हैं, १ — 'कामन्स' (जनसाधारण) सभा या 'हाउस-ऑफ़-कामन्स' और, 'लार्ड' सभा या 'हाउस-ऑफ़-लार्ड्स'। इस के आधुनिक मज़्जठन आदि के सम्बन्ध में आगे विचार करेंगे। पहले यह जान लेना चाहिए कि पार्लिमेंट की स्थापना किस प्रकार हुई।

पार्लिमेंट की प्रारम्भिक स्थिति—एंग्लो सेक्सन काल में अर्थात् दसवीं सदी तक, इङ्ग्लैंड में बादशाह ही सब नियमों का बनाता या बनवाता था। हां, वह मुख्य-मुख्य नियमों में, तथा असाधारण करों के निर्धारित करने में, 'विटन सभा' की सलाह ले लिया करता था, जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। बारहवीं सदी में राज्याधिकार नार्मन बादशाहों के हाथ में चला गया। इन्होंने इङ्ग्लैंड की भूमि, अपनी इच्छानुसार अपने अनुचरों या सैनिक सेवा करनेवालों में विभक्त कर दी। इनके समय में 'विटन सभा' का स्थान ('ग्रैंट कौंसिल') ने ले लिया। इस सभा के सदस्य जागीरदार, सरदार, प्रधान लाट पादरी और लाट पादरी आदि बड़े बड़े आदमी होते थे। बारहवीं सदी में कुछ बड़े-बड़े लोगों में यह भाव फैला कि कर निर्धारित करने का अधिकार उन्हें ही होना चाहिए, बादशाह को नहीं। पीछे, उन्होंने आवश्यकता समझ लेने पर, जनसाधारण को भी अपने साथ मिला लिया, और सम्मिलित शक्ति से बादशाह का विरोध करने लगे। अन्त में, सन् १२१५ ई० में प्रजा ने जाह्न बादशाह पर विजय पायी और, उससे बलपूर्वक 'मेगनाचार्ट' नाम का महान अधिकार पत्र पा लिया।

दो सभाएँ—इस अधिकार-पत्र के अनुसार यह व्यवस्था की गयी कि छोटें जमींदारों आदि को स्थानीय शासकों अर्थात् 'शेरिफों' के पास भेजे हुए साधारण आज्ञापत्रों द्वारा बुलाया जाय, और बड़े-बड़े जमींदारों को पृथक् आमंत्रण पत्रों ('समन') द्वारा बुलाये जायें। धीरे-धीरे छोटे जमींदारों का अपने क्षेत्र के निवासियों में से निर्वाचन होने

लगा और सभा में इनके बैठने का अलग प्रबन्ध हो गया। इस प्रकार महासभा की, जो इस समय पार्लिमेंट कही जाने लगी थी, दो सभाएँ हो गयीं, एक का नाम पड़ा 'कामन्स' (जनसाधारण) सभा, और दूसरी का नाम हुआ 'लार्ड' सभा।

कामन्स सभा—सन् १८८५ में 'कामन्स' सभा के सदस्यों की संख्या ५७० निर्धारित की गयी थी। सन् १९१८ के कानून से ग्रेट ब्रिटेन में प्रतिनिधित्व का आधार सत्तर हजार व्यक्तियों के लिए एक प्रतिनिधि किया गया। पीछे आयरलैंड में तेतालीस हजार व्यक्तियों के लिए एक प्रतिनिधि रखना निश्चित हुआ। इस प्रकार 'कामन्स' सभा के सदस्यों की संख्या ७०७ हुई। सन् १९२२ में आयरिश फ्री स्टेट (दक्षिण आयरलैंड) के लिए अलग पार्लिमेंट बन गयी। अब 'कामन्स' सभा में ६४० सदस्य होते हैं, जिनमें १३ सदस्य उत्तरी आयरलैंड के सम्मिलित हैं। सन् १९११ से निर्वाचन प्रति पांचवें वर्ष होता है। यह समय पार्लिमेंट की आठवां से बढ़ाया जा सकता है। मिमाल के तार पर सन् १९३५ के बाद सन् १९४० में चुनाव होना था, लेकिन महायुद्ध के कारण वह साल-दर-साल टलता रहा; आखिर जुलाई १९४५ में हुआ। इस प्रकार १९३५ में चुनी हुई कामन्स सभा दस वर्ष तक बनी रही।

प्रधान मंत्री की सिफारिश से, बादशाह नया चुनाव पांच वर्ष में पहले भी करा सकता है।

प्रत्येक सदस्य को भाषण-स्वतन्त्रता है, अर्थात् उस पर सभा में दिये हुए भाषण के लिए राजद्रोह या मानहानि का अभियोग नहीं चला सकता। वह दीवानी मामले में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। सन १९३७ ई० से प्रत्येक सदस्य को ६०० पौंड प्रति वर्ष मिलते हैं।

निर्वाचक होने के लिए अयोग्यताएँ—निम्नलिखित व्यक्ति कामन्स सभा के सदस्यों के निर्वाचक नहीं हो सकते:—

१—नाबालिग, चार्ड, विदेशी, दिवालिया और पागल । [विदेशी व्यक्ति कुछ शर्तों के पालन करने पर ब्रिटिश प्रजा बन सकते हैं; उन शर्तों में मुख्य ब्रिटिश संयुक्त राज्य में पांच वर्ष निवास करना है ।]

२—किसी घोर अपराध या राजद्रोह के अपराधी, जब तक ये अपने अपराध का दण्ड न भुगतें, या उसके लिए क्षमा प्राप्त न करें ।

३—जो निर्वाचन के समय किसी निर्वाचन सम्बन्धी अपराध के अपराधी हों । [ये व्यक्ति अपराधी ठहराए जाने के समय से सात वर्ष तक निर्वाचन के अधिकारी नहीं होते]

निर्वाचक कौन हो सकता है ?— ब्रिटिश संयुक्त राज्य में निर्वाचक-संघ तीन तरह के हैं—(१) साधारण, (२) व्यावसायिक और (३) विश्वविद्यालय के । कोई व्यक्ति दो से अधिक निर्वाचक-संघों में मत नहीं दे सकता, और इन दो में से एक, साधारण निर्वाचक-संघ होना आवश्यक है । निर्वाचक-सूची प्रति वर्ष तैयार की जाती है ।

साधारण निर्वाचक-संघ के मतदाताओं की सूची में वही व्यक्ति नाम लिखा सकता है, जिसमें निर्वाचक होने की अयोग्यता न हो, और जो उस वर्ष अपने निर्वाचन-क्षेत्र की सीमा में, तीन महीने रहा हो । व्यावसायिक निर्वाचक-संघ में वही व्यक्ति मतदाता हो सकता है, जिसकी दस पौंड वार्षिक किराये वाली दुकान हो । ऐसे व्यक्ति की स्त्री या पति भी मताधिकारी होता है । स्त्रियों को पुरुषों के समान ही मताधिकार है । किसी विश्वविद्यालय के निर्वाचक-संघ में वही व्यक्ति मतदाता हो सकते हैं जो उस विश्वविद्यालय के ग्रेजुएट हों, और जिनकी आयु इक्कीस वर्ष या इससे अधिक हो ।

निर्वाचन-अपराध और उसका नियन्त्रण— सन् १८८३ ई० के कानून के अनुसार निम्नलिखित उपायों से, निर्वाचन सम्बन्धी अनुचित व्यवहार रोका जाता है:—

१- रिश्वत देना, दावत देना, अनुचित प्रभाव डालना और भूठे नाम से काम करना, अपराध माना गया है।

२- निर्वाचन-कार्य के लिए होनेवाले खर्च की सीमा निर्धारित कर दी गयी है। [आम तौर से, प्रति निर्वाचक देहाती क्षेत्र में दो पेंस, और बाहरी क्षेत्र में एक पेंस से अधिक खर्च न होना चाहिए।]

३-प्रत्येक उम्मेदवार को अपने निर्वाचन-व्यय का पूरा हिमाव, सरकार द्वारा नियुक्त कर्मचारी को देना होता है।

४-जो व्यक्ति किसी निर्वाचन-अपराध के अपराधी माने जाते हैं, उन्हें दण्ड दिया जाता है।

इस कानून के होने पर भी इंग्लैंड में निर्वाचन-अपराधों की संख्या काफी अधिक रहती है।

उम्मेदवारी के नियम—निम्नलिखित व्यक्ति कामन्स-सभा के उम्मेदवार नहीं हो सकते:—

१-जो व्यक्ति निर्वाचक नहीं हो सकते।

२-पादरी, चाहे वह रोमन कैथलिक हो, या प्रोटेस्टेंट।

३-स्थायी सरकारी कर्मचारी, जज, पेन्शन पानेवाले व्यक्ति; और सरकारी कामों के ठेकेदार, 'शेरिफ' (स्थानीय अधिकारी) और निर्वाचन-स्थान के निर्वाचन-अफसर।

उम्मेदवार को अपना नाम दर्ज कराने के लिए, नामज़दगी का पत्र भर कर निर्वाचन अफसर को देना होता है। इस पद पर कम-से-कम दस ऐसे आदमियों के हस्ताक्षर होने चाहिए, जो उस उम्मेदवार का समर्थन करते हों। इसके अलावा उम्मेदवार को १५० पौंड ज़मानत के रूप में जमा करने होते हैं। अगर उसे अपने निर्वाचक-संघ के तमाम मतों में से आठवें हिस्से से कम मत मिलें तो यह जमानत ज़प्त हो जाती है। आठवें हिस्से से अधिक मत मिलने की हालत में, उम्मेदवार को ज़मानत की रकम वापिस मिल जाती है, चाहे वह उम्मेदवार चुनाव में हार ही जावे।

सदस्यों और निर्वाचकों का सम्बन्ध - कामन्स-सभा का प्रत्येक सदस्य अपने निर्वाचक-संघ का प्रतिनिधि होता है। उसका कर्तव्य है कि सभा में अपने निर्वाचन-क्षेत्र के शासन के सम्बन्ध में आवश्यक प्रश्न करता रहे। उसे चाहिए कि पालिमेंट का अधिवेशन समाप्त होने पर वह अपने निर्वाचन-क्षेत्र में जाकर निर्वाचकों को यह समझाये कि पालिमेंट में क्या हो रहा है, और उसमें उसने क्या भाग लिया है। उसका यह भी कर्तव्य है कि उन विविध प्रश्नों के सम्बन्ध में जो पालिमेंट में पेश होते हैं, या पेश होनेवाले हों, वह अपने निर्वाचकों की राय जानने का यत्न करे। परन्तु उसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह उसी राय के अनुसार कामन्स-सभा में अपना मत देता रहे। हाँ, उसे इस बात का अवश्य ध्यान रखना होता है कि वह कामन्स-सभा में जो कार्य करे, वह उसकी निर्वाचन के समय की प्रतिज्ञा के विरुद्ध न हो। परन्तु यदि वह ऐसा काम करे, तो उसे कोई रोक नहीं सकता। शासनपद्धति सम्बन्धी कोई नियम ऐसा नहीं है, जो उसे उक्त प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए बाध्य करे। कभी-कभी तो सदस्य अपना पुराना दल या पार्टी छुड़ा कर दूसरे नये दल में आ मिलते हैं। परन्तु जो विवेकशील होते हैं, वे अपने विचार-परिवर्तन के सम्बन्ध में अपने निर्वाचकों की राय जानना आवश्यक समझते हैं। इसलिए वे नाममात्र के काम वालों कोई सरकारी नौकरा स्वीकार करके कामन्स-सभा में पहले अपना स्थान खाली कर देते हैं और फिर सरकारी नौकरी छुड़ा देते हैं। पाछे जब उनके निर्वाचक-संघ से फिर निर्वाचन होता है, तो वे नये दल के सदस्य बनकर, कामन्स-सभा के लिए उम्मेदवार बन जाते हैं।

[निर्वाचित हो चुकने पर कोई व्यक्ति अपने प्रतिनिधि-पद से इस्तीफा नहीं दे सकता; यदि वह कामन्स-सभा से पृथक् होना चाहे तो उसके लिए कोई सरकारी नौकरा स्वीकार कर लेना आवश्यक है।]

‘कामन्स’-सभा के पदाधिकारी—‘कामन्स’-सभा के मुख्य पदाधिकारी निम्नलिखित होते हैं:—(१) ‘स्पीकर’ अर्थात् अध्यक्ष । (२) कमेटियों का सभापति तथा ‘कामन्स’-सभा का उपसभापति, (३) क्लर्क । कामन्स-सभा का नया चुनाव हो जाने पर, प्रथम अधिवेशन में, सबसे पहले स्पीकर (अध्यक्ष) का चुनाव होता है । बादशाह इस चुनाव का स्वीकार कर लेता है । ‘स्पीकर’ सभा का नेता नहीं होता, उसका काम केवल सभा को सुचारु रूप से चलाना है । वह किसी प्रस्ताव पर केवल उस समय अपना मत देता है, जब उस प्रस्ताव पर दोनों पक्ष के मत बराबर हों । वह निश्चय करता है कि किसी प्रस्ताव पर व्हिस बन्द करने का प्रस्ताव किया जाय या नहीं । वह ऐसे सदस्य का भाषण बन्द कर सकता है, जो पुनरुक्ति करता है, यानी अपनी एक बार कही हुई बात को दुबारा कहता है, या बेमतलब की या अनावश्यक बात कहता है । यदि कोई सदस्य उसकी आज्ञा का पालन न करे तो वह उसे सभा से निकाल सकता है, या उसका कुछ समय तक सभा में आना बन्द कर सकता है । इन विषयों में उसका निर्णय अन्तिम माना जाता है, उसकी कहीं अपील नहीं होती । उसका बहुत आदर किया जाता है । उसे रहने को सरकारी मकान तथा हरसाल ५,००० पौंड वेतन मिलता है । अपने काम से अवकाश ग्रहण करने पर वह ‘लार्ड’ बना दिया जाता है ।

कमेटियों का सभापति मंत्रिमंडल द्वारा नियुक्त किया जाता है । वह सब कमेटियों में अध्यक्ष का स्थान ग्रहण करता है और ‘कामन्स’-सभा में उप-सभापति होता है ।

क्लर्क स्थायी सरकारी कर्मचारी होता है, यह ‘कामन्स’-सभा के चुनाव के साथ बदलता नहीं । इसका कर्तव्य यह है कि सभा की कारबाई की रिपोर्ट रखे, तथा उसे प्रकाशित करे ।

‘कामन्स’-सभा की कमेटियाँ—इस सभा की सबसे महत्वपूर्ण कमेटी ‘पूरी सभा की कमेटी’ होती है, इसमें अध्यक्ष का आसन

‘स्पीकर’ ग्रहण नहीं करता, कमेटियों का सभापति करता है। इस कमेटी में प्रत्येक सदस्य किसी प्रश्न पर एक-से-अधिक बार भी बोल सकता है। कार्य के अनुसार इस कमेटी के भिन्न-भिन्न नाम होते हैं। उदाहरणवत् जब यह कमेटी आगामी वर्ष के खर्च के सम्बन्ध में विचार करती है, इसे खर्च-कमेटी कहते हैं। जब यह आय प्राप्त करने के उपायों अर्थात् करा का विचार करती है, तो इसे आय-साधन-कमेटी (‘कमेटी-आफ-वेज़ एन्ड मीन्ज़’) कहते हैं। जब यह भारत के हिसाब पर विचार करता है, तो इसे भारतीय-राजस्व-कमेटी कहते हैं।

कामन्स-सभा की अन्य कमेटियों में मुख्य ये हैं:—(१) सिलेक्ट कमेटी—यह आवश्यकतानुसार किसी कानूनी मसविदे पर विचार करने के लिए नियुक्त होती है। इसमें आम तौर से १५ सदस्य होते हैं। (२) स्थायी कमेटियाँ—ये छः होती हैं। साधारणतया कानूनी मसविदे इन्हीं के पाम भेजे जाते हैं। प्रत्येक कमेटी में २० से ८० तक सदस्य होते हैं। (३) नियुक्ति-कमेटी या कमेटी-आफ-सिलेक्शन—इस कमेटी को कामन्स-सभा अपने अधिवेशन के आरम्भ में चुनती है। इसका काम सिलेक्ट कमेटी तथा स्थायी कमेटियों के सदस्यों की नियुक्ति करना है। इसमें ११ सदस्य होते हैं। (४) व्यक्तिगत या ‘प्राइवेट’ मसविदों की कमेटी। (५) सार्वजनिक हिसाब कमेटी। (६) सार्वजनिक दरखास्तों की कमेटी। और (७) भोजनालय तथा जलपान की कमेटी।

सिलेक्ट कमेटी को, और व्यक्तिगत मसविदों की कमेटी को उपस्थित मसविदों के सम्बन्ध में गवाह लेने का अधिकार है; अन्य कमेटियों को यह अधिकार नहीं है। जब किसी महत्वपूर्ण मसविदे पर ऐसी सिलेक्ट कमेटी नियुक्त की जाती है, जिसमें ‘कामन्स’ सभा और ‘लार्ड्स’ सभा दोनों के सभासद होते हैं, तो उसे संयुक्त सिलेक्ट कमेटी कहते हैं।

‘कामन्स’-सभा और मन्त्रिवर्ग का सम्बन्ध—जैसा कि हम पहले कह आये हैं, मन्त्रिवर्ग सब शासन-कार्य के लिए ‘कामन्स’-सभा

के प्रति उत्तरदायी होता है। सभा के सदस्यों को यह अधिकार है कि वे मन्त्रियों से विविध प्रश्न पूछ सकते हैं, मंत्रियों के कार्यों की आलोचना कर सकते हैं, और प्रस्ताव उपस्थित कर सकते हैं। यदि किसी विभाग का कार्य असन्तोषप्रद हो तो वे उसका स्वर्च कम कर सकते हैं, या उसके मन्त्री का गैतन घटा सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में मन्त्रिवर्ग को हस्तीफा देना होता है।

इतना होने पर भी इंग्लैंड में मन्त्रिवर्ग की शक्ति दिन-पर-दिन बढ़ती जा रही है। यदि मन्त्रिवर्ग 'कामन्स'-सभा के ऐसे दल के सदस्यों का हो, जिसका संख्या इस सभा में साढ़े तीन सौ से अधिक हो तो प्रधान मन्त्री कामन्स-सभा की परवाह न करके, सब कार्य अपनी इच्छानुसार कर सकता है; इसमें शर्त यह है कि वह कामन्स-सभा में अपने दल के सदस्यों की एकता बनाये रख सके, और उन्हें दूसरे दल में सम्मिलित होने से रोक सके।

‘लार्ड’-सभा

दूसरी सभा की आवश्यकता—कुछ सज्जनों का मत तो यह है कि देश में व्यवस्था-कार्य के लिए एक ही सभा (जनसाधारण सभा) का होना पर्याप्त है; क्योंकि यदि दूसरी सभा रहेगी तो दो में से एक बात होगी, यह दूसरी सभा या तो कामन्स-सभा से सहमत होगी, या उसका विरोध करेगी। पहली दशा में यह सभा अनावश्यक साबित होगी, और दूसरी दशा में यह सभा काम में बाधा डालनेवाली होगी। इसलिए इस मत के अनुसार दूसरी सभा नहीं होनी चाहिए।

इसके विपरीत, दूसरे राजनीतिज्ञों का मत है कि किसी देश में कानून बनाने की शक्ति एक ही सभा के हाथ में न रहने देना चाहिए। किसी नियम के अमल में आने से पहले उसके बारे में दूसरी सभा का निर्णय जान लेना चाहिए। इससे यह लाभ होगा कि जल्दबाज़ी न हो सकेगी, तथा पहली सभा उतनी खुदमुखतार या स्वच्छन्द न होगी,

जितनी, दूसरी सभा न होने से, हर समय अपनी विजय का विश्वास रखने की दशा में, उनका होजाना सम्भव है। आजकल कितने ही देश इस सिद्धान्त का ध्यान में रखते हैं कि दूसरी सभा शासन-नीति की उचित रक्षा करते हुए ऐतिहासिक शृंखला बनाये रखे और अज्ञानक कोई परिवर्तन न होने दे।

इंग्लैंड का अनुभव—सतरहवीं सदी के मध्य में इंग्लैंड ने एक सभा से काम चलाने की पद्धति की परीक्षा की थी। जैसा दूसरी जगह कहा गया है, सन् १३४६ ई० में बादशाह का पद हटा दिया गया था। उसी समय 'लार्ड'-सभा भी अनावश्यक ठहरायी गयी थी। इंग्लैंड ने ग्यारह वर्ष बिना बादशाह, और केवल एक ही व्यवस्थापक सभा द्वारा, राजकार्य चलाया, परन्तु अन्त में यह अनुभव सन्तोषजनक न रहा और उसे, बादशाह तथा लार्ड-सभा, दोनों को फिर स्थापित करना पड़ा।

यह नहीं कहा जा सकता कि यहाँ इस दूसरी सभा के सदस्य ऐसे सुयोग्य अनुभवी, और सार्वजनिक हित चाहने वाले होते हैं, जैसे वे हाने चाहिएँ। अधिकांश लार्ड बड़े ज़मींदार या धनी व्यापार आदि हाने के कारण आलसी, ऐश्वर्य-प्रेमी और अनुदार हैं; वे सुधारों का विरोध करना और जैसे-वने अपने निजी तथा पारिवारिक (या सामाजिक) अधिकारों की रक्षा करना ही अपना कर्तव्य समझते हैं। परन्तु कामन्स-सभा के सदस्यों का भी तो आज़ार-व्यवहार इतना उन्नत नहीं है, जितना कि वह उस दशा में होना चाहिए जब कि एक ही सभा द्वारा निश्चित की हुई व्यवस्था यथेष्ट उपयोगी हो सके। इस लिए यहाँ 'लार्ड'-सभा चली आरही है, और कुछ सीमा तक उपयोगी भी समझी जाती है।

'लार्ड'-सभा का संगठन—लार्ड-सभा के सदस्य नीचे लिखे हुए लगभग ७४० लार्ड हैं—शाही खानदान के ३, बादशाह द्वारा बनाये हुए खानदानी या पुश्तैनी अधिकार वाले ६३७,

आर्कविशप (प्रधान लाटपादरी) २, विशप २४, आयर्लैंड के जन्म भर के लिए निर्वाचित २८, स्काटलैंड के, पार्लिमेंट की अवधि तक के लिए निर्वाचित, १६। सन् १६२२ में आयरिश फ्री स्टेट (दक्षिण आयर्लैंड) ब्रिटिश संयुक्त राज्य से अलग होगया; वहाँ के लार्ड जन्म भर के लिए लार्ड थे, ज्यों ज्यों वे मरते गये, उनके स्थान खाली होते गये। इसके विरुद्ध, ब्रिटिश संयुक्त राज्य में समय समय पर नये लार्ड बनते रहे हैं। कुल मिला कर लार्डों की संख्या बढ़ती ही जाती है। यह संख्या पहले से बहुत अधिक है। डेढ़ सौ वर्ष पहले सिर्फ दो सौ लार्ड थे, अब वे सात सौ से अधिक हैं।

यह स्पष्ट है कि इस सभा में विशेष अधिकार उन्हीं लोगों को होता है जो वंशागत होते हैं, निर्वाचित नहीं होते। ये प्रायः स्वभाव से ही परिवर्तन-विरोधी होते हैं।

नये 'लार्ड' केवल बादशाह ही बना सकता है। इस पद को कोई छोड़ नहीं सकता। निम्नलिखित व्यक्ति लार्ड-सभा के सदस्य नहीं हो सकते—(१) स्त्रियाँ, (२) नाबालिग, (३) विदेशी, (४) दिवालिये, और (५) राजद्रोह या किसी घोर अपराध के अपराधी।

सदस्यों के विशेषाधिकार—इस सभा के सदस्यों के विशेषाधिकार निम्नलिखित हैं:—(क) लार्ड-सभा में भाषण-स्वतंत्रता, (ख) पार्लिमेंट का अधिवेशन आरम्भ होने से चालीस दिन पहले से लेकर अधिवेशन समाप्त होने के चालीस दिन बाद तक, किसी दीवाना मामले में गिरफ्तार न हो सकना, (ग) सार्वजनिक विषय की बात करने के लिए बादशाह से मिलना, और, (घ) राजद्रोह या अन्य घोर अपराध लगाया जाये, तो उसकी लार्ड सभा द्वारा ही जांच होना।

शासन सम्बन्धी अधिकार—'लार्ड' सभा को धन सम्बन्धी कानूनों मसविदों पर कोई अधिकार न होने के कारण उसे मंत्रिमंडल पर नियंत्रण करने का भी अधिकार नहीं है। मंत्रिमंडल अपने शासन-कार्य के लिए कामन्स-सभा के प्रति उत्तरदायी है, 'लार्ड'-सभा के प्रति नहीं।

यद्यपि 'लार्ड'-सभा का प्रत्येक सदस्य किसी भी शासन-कार्य के सम्बन्ध में प्रश्न पूछ सकता है, परन्तु उसका विशेष महत्व नहीं होता। यदि मन्त्रिमंडल किसी प्रस्ताव के सम्बन्ध में 'लार्ड'-सभा में हार जाय तो उसे इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं होती। हा, लार्ड-सभा का शासन-कार्य में गौण रूप में काफी प्रभाव रहता है। उसके कई सदस्य मन्त्रिमंडल के सदस्य होते हैं, और उनका इस पर प्रभाव पड़ता ही रहता है।

'लार्ड'-सभा का सुधार—जैसा कि पहले कहा जा चुका है, 'लार्ड'-सभा के अधिकांश सदस्य वंशागत होते हैं। इसलिए इस सभा का देश की किसी श्रेणी के लोगों की प्रतिनिधि नहीं कहा जा सकता। सन् १९११ ई० के कानून में यह निश्चय किया गया था कि इस सभा के सदस्य प्रतिनिध्यात्मक सिद्धान्तों पर चुने जाया करें, परन्तु अभी तक इस सम्बन्ध में कोई ऐसी योजना तैयार नहीं हो पायी, जो सब दलों का मान्य हो। समस्या बहुत जटिल है। यदि इस सभा के सदस्य निर्वाचित रखे जायें तो यह प्रश्न उपस्थित होता है कि उनका निर्वाचन करने के लिए किस योग्यता वालों को मताधिकार दिया जाना चाहिए। जब लार्ड-सभा निर्वाचित सदस्यों की सभा होगी, तो वह धन सम्बन्धी कानूनों मसौदों पर अधिकार रखना तथा मन्त्रियों का नियन्त्रण करना भी चाहेगी। कामन्स-सभा इसे ये अधिकार देना पसन्द न करेगी। दोनों सभाओं के कार्य में बड़ी उलझन पड़ जायेगी। इन कठिनाइयों के कारण लार्ड-सभा के सङ्गठन का सुधार करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव स्वीकार नहीं हो पाता।

सातवाँ परिच्छेद

~ ~ ~ ~ ~

पार्लिमेंट की कार्य-पद्धति

पार्लिमेंट के संगठन का वर्णन कर चुकने पर अब हम इसकी कार्य-पद्धति बतलाते हैं। पहले 'कामन्स'-सभा की बात ले।

'कामन्स'-सभा के सदस्यों का 'फोरम'—'कामन्स'-सभा का काम करने के लिए, सदस्यों की कम से कम संख्या चालीस ठहरायी गयी है, अर्थात् चालीस सदस्यों का 'फोरम' होता है। कभी-कभी उपस्थिति चालीस से भी कम होती है। जब कभी कोई सदस्य 'स्पीकर' (अध्यक्ष) का ध्यान इस कमी की ओर दिलाता है तो दो मिनट तक सारे भवन में एक-साथ बिजली की घण्टी बजती है, और ऐसे सदस्य जो इधर-उधर कमरों में बैठे होते हैं, सभा-भवन में आ जाते हैं।

मत गिनने की शैली—जब किसी प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष में सदस्यों की संख्या गिननी होती है तो निम्नलिखित शैली से काम किया जाता है। 'स्पीकर' प्रस्ताव को प्रश्न के रूप में रखता है और कहता है कि जो सदस्य इसके पक्ष में हैं, वे 'हां' कहें, और जो इसके विपक्ष में हैं, वे 'नहीं' कहें। सदस्य अपनी इच्छा के अनुसार 'हां' या 'नहीं', कहते हैं। 'स्पीकर' इन मतों को सुनकर कहता है कि मेरे विचार से बहुमत 'हां' के पक्ष में है, (या 'नहीं' के पक्ष में है)। यदि कोई सदस्य इसका विरोध करता है तो पक्ष और विपक्ष के मत गिने जाते हैं।

मत गिनने के लिए सारे भवन में दो मिनट घण्टी बजती है और जो सदस्य इधर-उधर कमरों में बैठे होते हैं, वे सभा-भवन में आकर उपस्थित हो जाते हैं। इस पर 'स्पीकर' प्रस्ताव को फिर प्रश्न के रूप में रखता है; जो सदस्य उसके पक्ष में होते हैं, वे 'हां' कहते हैं और

जो विपक्ष में होते हैं, वे 'नहीं' कहते हैं। तब अध्यक्ष फिर कहता है कि मेरे विचार से बहुमत 'हां' के पक्ष में है (या 'नहीं' के पक्ष में है)। यदि कोई सदस्य इसका विरोध करे तो 'स्पीकर' कहता है कि जो 'हां' के पक्ष में हों, वे दाहिने कमरे में जायें, और जो 'नहीं' के पक्ष में हों, वे बायें कमरे में जायें। प्रत्येक कमरे के दरवाज़े पर दो-दो गिननेवाले रहते हैं। इनमें से एक सरकारी पक्ष का होता है और दूसरा विरोधी दल का। जब सदस्य इन कमरों में जाते हैं तो उनके नाम क्लर्क द्वारा लिख लिये जाते हैं। अन्त में गिननेवाले व्यक्ति 'स्पीकर' को पक्ष और विपक्ष के सदस्यों की संख्या बतलाते हैं, और वह इसके अनुसार प्रस्ताव के, बहुमत से स्वीकृत या अस्वीकृत होने के सम्बन्ध में, अपना अन्तिम निर्णय देता है।

सभा के अधिवेशन; बादशाह का भाषण—कामन्स-सभा के नये निर्वाचन के बाद 'स्पीकर' का चुनाव हो जाने पर पहिला कार्य यह होता है कि प्रत्येक सदस्य राजभक्ति की शपथ ले। हर साल 'कामन्स'-सभा का पहला अधिवेशन फरवरी के आरम्भ में होने लगता है। बादशाह 'लार्ड'-सभा के भवन में अपना भाषण देता है, इसे सुनने के लिए 'कामन्स'-सभा के सदस्य वहां बुलाये जाते हैं। यह भाषण बहुत महत्व का होता है, इसके द्वारा मंत्रिमण्डल पार्लिमेंट को अपनी शामन सम्बन्धी नीति की सूचना देता है, और यह बतलाना है कि उसका, उस वर्ष में, क्या-क्या महत्वपूर्ण कार्य करने का विचार है।

पछ्छे बादशाह का यह भाषण 'कामन्स'-सभा में स्पीकर द्वारा पढ़ा जाता है। कोई मंत्री यह प्रस्ताव उपस्थित करता है कि बादशाह को उसके भाषण के लिए धन्यवाद दिया जाय। विरोधी दल के सदस्य इस प्रस्ताव पर संशोधन उपस्थित करते हैं, जिसमें वे यह बतलाते हैं कि सरकार कौन-कौनसा आवश्यक कार्य करना नहीं चाहती, और कौन-कौनसा कार्य ऐसा कर रही है, जो अनावश्यक है। इन संशोधनों पर विचार करने में दो-तीन सप्ताह लग जाते हैं। यदि

विरोधी दल का कोई संशोधन बहुमत से स्वीकार हो जाय तो इसका आशय यह होता है कि कामन्स-सभा मंत्रिमंडल की शासन-नीति से सहमत नहीं है। इस दशा में मन्त्रिमंडल को इस्तीफा देना होता है।

सभा की बैठक—कामन्स-सभा की बैठक सोमवार, मंगल, बुध और बृहस्पत को साधारण तौर पर पोने तीन बजे से साढ़े ग्यारह बजे रात तक होती है; यदि कोई बहुत ही आवश्यक कार्य हो तो इसके बाद भी जारी रहती है। बैठक सवा आठ बजे से साढ़े आठ बजे तक जलपान के लिए स्थगित होती है। इस प्रकार इन दिनों में दो-दो बैठके होती हैं। शुक्र के दिन बैठक साढ़े पांच बजे तक ही रहती है। शनिवार और इतवार को बैठक नहीं होती।

सभा का कार्य; प्रश्न और प्रस्ताव—सभा का कार्य शुरू होने से पहले, हर रोज प्रार्थना होती है। पीछे स्पीकर अपना स्थान ग्रहण करता है, और जनता की दरखास्ते पेश की जाती हैं। यह कार्य तीन बजे तक पूरा हो जाता है और तब प्रश्न पूछने का कार्य आरम्भ होता है। इस कार्य के लिए चालीस मिनट का समय निर्धारित है। जिन प्रश्नों का उत्तर पोने चार बजे तक नहीं दिया जाता, वे रिपोर्ट में अन्य कार्रवाई के साथ प्रकाशित किये जाते हैं। सदस्यों को प्रश्न पूछने की सूचना पहले से देनी होती है। प्रत्येक सदस्य किसी प्रश्न के सम्बन्ध में ऐसा प्रश्न पूछ सकता है, जिससे पहले प्रश्न के उत्तर पर कुछ और प्रकाश पड़े। इसे 'फ्लूर' (सप्लिमेंटरी) प्रश्न कहते हैं। यदि किसी प्रश्न का उत्तर संतोषप्रद न हो और वह विषय जनता के लिए तत्काल आवश्यक हो, तो कोई सदस्य यह प्रस्ताव कर सकता है कि उस पर विचार करने के लिए सभा का कार्य स्थगित कर दिया जाय। यदि यह प्रस्ताव उस समय स्वीकार हो जाय, तो उस विषय पर उसी दिन साढ़े आठ बजे बहस शुरू हो जाती है। आम तौर पर चार बजे बाद प्रस्तावों और मसविदों पर विचार होता है। साल भर में 'कामन्स'-सभा प्रायः सौ दिन काम करती है, अर्थात् उसकी लगभग दो सौ बैठके होती हैं। इनमें से

अधिकतर बैठकों में वह काम होता है, जो मंत्रिमंडल द्वारा उपस्थित किया जाता है। प्रायः तीस बैठकें ही ऐसी होती हैं, जिनमें गैर-सरकारी सदस्य अपने प्रस्ताव या कानूनी मसविदे उपस्थित कर सकते हैं।

गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा बहुत-से प्रस्तावों और कानूनी मसविदों की सूचना आती है, परन्तु समय की कमी के कारण उन सब पर विचार नहीं हो सकता। इसलिए किन प्रस्तावों या कानूनी मसविदों पर विचार होना चाहिए तथा किस क्रम से विचार होना चाहिए, इसका निश्चय चिट्ठी डालकर अर्थात् 'बेलट' द्वारा किया जाता है।

कानून कैसे बनते हैं ? , सार्वजनिक कानूनी मसविदे—
कानूनी मसविदे तीन प्रकार के होते हैं:—(१) सार्वजनिक (धन सम्बन्धी छोड़कर), धन सम्बन्धी, और (२) स्थानीय तथा व्यक्तिगत कानूनी मसविदे।

सार्वजनिक कानूनी मसविदा, कोई भी सदस्य पेश कर सकता है; यदि मंत्रिमण्डल का कोई सदस्य पेश करना चाहे तो उसके लिए दिन का निश्चय आसानी से हो जाता है। दूसरे सदस्य को उसका अवसर तभी मिलेगा, जब चिट्ठी डालकर अर्थात् 'बेलट' द्वारा उसका निश्चय हो जाय। प्रत्येक सदस्य को, कानूनी मसविदा उपस्थित करने की सूचना कुछ समय पहले देनी होती है, सूचना के साथ ही कानूनी मसविदा भी भेजना होता है।

नियत किये हुए दिन, सदस्य यह प्रस्ताव करता है कि उसे उसका मसविदा पेश करने की इजाजत दी जाय। इस प्रस्ताव पर बहस नहीं होती; कभी कभी तो केवल मसविदे का शीर्षक ही पढ़ दिया जाता है, और इजाजत मिल जाती है। इसे मसविदे का 'प्रथम वाचन' (फर्स्ट रीडिंग) कहते हैं।

यह कार्य समाप्त होने पर उसके 'द्वितीय वाचन' (सेकण्ड रीडिंग) के लिए तारीख निश्चय कर दी जाती है। उस निश्चित दिन सदस्य यह प्रस्ताव करता है कि मसविदा दूसरी बार पढ़ा जाय। इस समय

मसविदे के सिद्धान्त पर बहस होता है, परन्तु कोई संशोधन पेश नहीं किया जा सकता। यदि प्रस्ताव उस समय स्वीकार न हुआ तो कुछ दिन बाद फिर वह प्रस्ताव रखा जाता है। जो सदस्य यह चाहते हैं कि मसविदे पर विचार ही न किया जाय, वह यह प्रस्ताव करते हैं कि यह मसविदा छः महीने बाद दूसरी बार पढ़ा जाय। यदि यह प्रस्ताव स्वीकार हो जाय, तो उस समय उस मसविदे सम्बन्धी सब काम बन्द कर दिया जाता है।

द्वितीय वाचन का प्रस्ताव स्वीकार होने पर मसविदा साधारण तौर पर स्थायी कमेटी के पास, विचार करने के लिए भेजा जाता है। 'कामन्स' सभा यदि चाहे तो उसे 'पूरी सभा की कमेटी' के पास भेज सकती है। यदि मसविदा बहुत महत्वपूर्ण हो तो स्थायी कमेटी या 'पूरी सभा की कमेटी' के पास भेजे जाने से पहले 'सिलेक्ट कमेटी' के पास भेजा जाता है। यह कमेटी उसकी प्रत्येक धारा पर, उसके सम्बन्ध में गवाही देने वालों के वक्तव्य पर विचार करके, अपनी रिपोर्ट देता है। स्थायी कमेटी या 'पूरी सभा की कमेटी' में मसविदे की प्रत्येक धारा पर विचार होता है, और संशोधन उपस्थित होने पर स्वीकृत या अस्वीकृत किये जाते हैं। मसविदे के इस कार्य को कमेटी-मंजिल (कमेटी-स्टेज) कहते हैं। इसके तय हो जाने पर, मसविदा कामन्स सभा में फिर पेश किया जाता है, और वहाँ फिर प्रत्येक धारा तथा उसके संशोधन पर विचार किया जाता है। इसे रिपोर्ट मंजिल (रिपोर्ट स्टेज) कहते हैं।

सब धाराओं पर विचार हो चुकने के बाद यह प्रस्ताव किया जाता है कि यह संशोधित मसविदा स्वीकार किया जाय। इसे मसविदे का 'तीसरा वाचन' (थर्ड रीडिंग) कहा जाता है। इस समय कोई संशोधन उपस्थित नहीं किया जाता। प्रस्ताव स्वीकार होने पर 'कामन्स' सभा सम्बन्धी सब मंजिलें पूरी हो जाती हैं, और मसविदा 'लार्ड'-सभा में भेजा जाता है।

[लार्ड, सभा का कार्य ४॥ बजे आरम्भ होता है, और ८ बजे समाप्त हो जाता है । इस सभा में काम करने के लिए सदस्यों की कम-से कम संख्या तीन रखी गयी है । परन्तु किसी कानूनी मसविदे पर विचार करने के लिए तीन सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होती है ।]

लार्ड सभा में भी ऊपर बताये हुए तरीके से ही मसविदे का प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, कमेटी मंजिल, रिपोर्ट मंजिल, और तीसरा वाचन होता है । यदि मसविदा लार्ड-सभा में ठीक उसी रूप में स्वीकार हो जाय जिस रूप में वह कामन्स सभा में स्वीकार हुआ है, तो वह बादशाह की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है, और उसकी स्वीकृति मिलने पर वह कानून का रूप धारण करता है ।

यदि 'लार्ड'-सभा ने कानून के मसविदे में कुछ संशोधन किये तो उन संशोधनों पर विचार करने के लिए वह मसविदा कामन्स सभा में लौटाया जाता है; यदि कामन्स सभा उन संशोधनों को स्वीकार कर ले तो मसविदा बादशाह की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है ।

यदि कामन्स सभा लार्ड-सभा के संशोधनों को अस्वीकार करदे और लार्ड-सभा उनके लिए आग्रह करे, तो उस अधिवेशन (सेशन) में उस मसविदे सम्बन्धी कार्रवाई बन्द कर दी जाती है, और दूसरे अधिवेशन में वह मसविदा कामन्स सभा में उसी रूप में पेश किया जाता है, और वहां ऊपर बतायी हुई सब मंजिलें तय करके लार्ड-सभा में पहुँचता है । यदि लार्ड-सभा ने फिर वैसे ही संशोधन पेश किये तो उस अधिवेशन में भी उस मसविदे की आगे की कार्रवाई बन्द कर दी जाती है, और तीसरे अधिवेशन में मसविदा फिर कामन्स सभा में उपस्थित किया जाता है, और वहाँ सब मंजिलें तय करके फिर लार्ड सभा में पहुँचता है । इस बार चाहे लार्ड सभा उसमें संशोधन उपस्थित भी करे, बादशाह की स्वीकृति के लिए वह उसी रूप में भेजा जाता है, जिस रूप में कामन्स सभा ने उसे तीसरी बार स्वीकार किया था ; इसमें शर्त यह है कि इस बीच में दो वर्ष का समय बीत गया हो ।

बादशाह के मंजूर कर लेने पर मसविदे को कानून का रूप मिल जाता है ।

इससे यह स्पष्ट है कि लार्ड-सभा धन सम्बन्धी छोड़कर अन्य सार्वजनिक कानूनी मसविदों को अधिक-से-अधिक दो वर्ष तक कानून बनने से रोक सकती है । उसके बाद, उसके विरोध करने पर भी, कामन्स सभा द्वारा तीन बार स्वीकार किये जाने पर मसविदा कानून बन जाता है । कामन्स सभा को लार्ड सभा का विरोध होते हुए भी, कानून बनाने का यह अधिकार सन् १६११ ई० के कानून से मिला हुआ है ।

धन सम्बन्धी कानूनी मसविदे; (क) खर्च सम्बन्धी—धन सम्बन्धी कानूनी मसविदे दो प्रकार के होते हैं—(क) खर्च सम्बन्धी मसविदे ['कन्सोलिडेटेड फंड्स बिल'] और (ख) कर सम्बन्धी मसविदे ['फाइनेन्स बिल'] । पहले हम खर्च सम्बन्धी मसविदों पर विचार करते हैं ।

हर साल मार्च महीने के शुरू में, खर्च सम्बन्धी पूरी सभा की कमेटी में, खर्च की मदों के प्रस्तावों पर विचार किया जाता है; ये प्रस्ताव मंत्रियों द्वारा किये जाते हैं । कोई भी सदस्य किसी मद में खर्च की रकम कम करने का संशोधन पेश कर सकता है । जब खर्च सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकार हो जाते हैं तो 'आय-साधन कमेटी' में यह प्रस्ताव किया जाता है कि खर्च-कमेटी ने जो खर्च मंजूर किया है, उसकी रकम सरकारी कोष से दी जाय । इन प्रस्तावों को कानून का रूप देने के लिए 'कामन्स' सभा में खर्च सम्बन्धी कानूनी मसविदा उपस्थित किया जाता है, और वह दूसरे सार्वजनिक कानूनी मसविदों के समान, विविध मंजिलें तय करके लार्ड-सभा में पहुँचता है । इस सभा में भी वह सब मंजिलें तय करता है; और, लार्ड सभा द्वारा संशोधित किये जाने पर भी, बादशाह के पास स्वीकृति के लिए वह उसी रूप में जाता है, जिसमें वह कामन्स सभा द्वारा स्वीकार हुआ है ;

(ख) कर सम्बन्धी कानूनी मसविदे अप्रैल महीने के शुरू में, 'आय-साधन कमेटी' में, अर्थ-मंत्री सरकारी आय-व्यय का अनुमान-पत्र उपस्थित करता है और करों की दर घटाने-बढ़ाने के, या नये कर लगाने के प्रस्ताव करता है। कोई भी सदस्य कर की दर घटाने के संशोधन पैदा कर सकता है। प्रस्तावों और संशोधनों पर क्रमशः विचार होता है, और जो प्रस्ताव स्वीकार किये जाते हैं, उन्हें कानून का रूप देने के लिए कर सम्बन्धी कानूनी मसविदा उपस्थित किया जाता है, और वह अन्य सार्वजनिक मसविदों के समान विविध मंजिले तय करके लार्ड-सभा में पहुँचता है और इस सभा में भी वह सब मंजिले तय करता है। लार्ड-सभा द्वारा संशोधित किये जाने पर भी, वह बादशाह के पास स्वीकृति के लिए उसी रूप में भेजा जाता है, जिसमें वह कामन्स-सभा द्वारा स्वीकार होता है।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि 'लार्ड'-सभा धन सम्बन्धी कानूनी मसविदों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती; चाहे वह मसविदे खूब सम्बन्धी हों, या कर सम्बन्धी। परिवर्तन करने का अधिकार लार्ड-सभा से, सन् १६११ ई० के कानून से ले लिया गया है।

स्थानीय या व्यक्तिगत कानूनी मसविदे—स्थानीय या व्यक्तिगत कानूनी मसविदा उसे कहते हैं, जिसका सम्बन्ध सर्व-साधारण से न होकर खास स्थान से हो, और जिसके द्वारा किसी कम्पनी आदि को विशेष अधिकार दिये जायें। जो सदस्य इस प्रकार का कानूनी मसविदा उपस्थित करना चाहता है, उसे एक दरखास्त देनी होती है। इस दरखास्त की जांच खास अफसरों द्वारा की जाती है। यदि दरखास्त नियमों के अनुसार ठीक समझी जाय तो कामन्स-सभा में उसका प्रथम वाचन होता है, तब मसविदे की शैली की जांच होती है और द्वितीय वाचन किया जाता है। फिर मसविदा स्थानीय मसविदों की कमेटी के पास भेजा जाता है और उसकी प्रत्येक धारा पर विचार होता है। यह कमेटी गवाहों के बयान पर विचार करती है। पश्चात् इस कमेटी की

रिपोर्ट पर, कामन्स-सभा विचार करती है। इसके बाद मसविदे का तामरा वाचन होकर वह 'लार्ड' सभा में भेजा जाता है और वहां मय मंजिले तय कर चुकने पर वह बादशाह की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। परन्तु यदि लार्ड-सभा ने इसमें कोई ऐसा मंशोधन उपस्थित कर दिया हो जो कामन्स-सभा को स्वीकार न हो, तो मसविदे पर आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाती।

इस तरह के कानून बनाने में बहुत रुपया खर्च होता है। पहले तां दरखास्त के साथ ही कुछ फीस देनी होती है, फिर मसविदा बनानेवाले को तथा उसे कामन्स-सभा में पेश करनेवाले को भी काफी फीस दी जाती है। कमेटी के सामने गवाही दिलाने में भी कुछ रुपया खर्च हो जाता है। इसलिए ऐसे मसविदे बहुत कम उपस्थित किये जाते हैं।

इस परिच्छेद को समाप्त करने से पहले कमीशन और कमेटियों का भी उल्लेख कर देना आवश्यक है।

कमीशन और कमेटियाँ—किसी विषय का यथेष्ट कानून बनाने के लिए यह आवश्यक है कि उस समय की परिस्थिति का ठीक ज्ञान प्राप्त करके उसका मसविदा बनाया जाय। इसलिए सामयिक समस्याओं पर विचार करने के लिए समय-समय पर शाही कमीशन नियत किया जाता है, जिसके सदस्य सरकार (मन्त्रिमंडल) द्वारा नियुक्त होते हैं। इसे उस विषय के सम्बन्ध में योग्य पुरुषों के बयान या गवाही लेने का अधिकार होता है। कमीशन की जांच का हाल एक रिपोर्ट में दर्ज किया जाता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि सब सदस्य एकमत नहीं होते, उनमें से कुछ अपना मत अलग देते हैं, या कुल सदस्यों का दो रिपोर्टें हो जाती हैं, एक अल्पमत-रिपोर्ट, दूसरी बहुमत-रिपोर्ट। कमीशन की रिपोर्ट (या रिपोर्टों) में ऐसी सिफारिशें भी होती हैं कि अमुक विषय का कानून बनना चाहिए। इस प्रकार कानून बनानेवालों को, शासकों की, तथा शासनपद्धति अध्ययन करनेवाले विद्यार्थियों को, बहुत उपयोगी सामग्री मिल जाती है।

आवश्यकता होने पर किसी राजनैतिक विषय सम्बन्धी कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए, पार्लियमेंट कुछ सज्जनों की कमेटी भी नियत कर सकती है। भिन्न-भिन्न सरकारी विभाग भी कभी-कभी कोई कमीशन नियत कर सकते हैं। आधुनिक काल के बहुत से स्थायी सरकारी विभाग समय समय पर नियुक्त किये हुए जांच-कमीशनों की रिपोर्टों के आधार पर कायम हुए हैं।

आठवाँ परिच्छेद

१८७०

शासन-नीति-विकास

“जब एक बार स्वाधीनता का संग्राम छिड़ जाता है तो पीढ़ियों तक रक्तपात पूर्वक चलता है। चाहे अनेक बार घबराहट हो, अन्त में विजय अवश्य ही होती है।”
—लार्ड बाइरन

पहले यह बताया जा चुका है, ब्रिटिश संयुक्त राज्य में, आरम्भ में शासन-अधिकार बहुत कुछ बादशाह को था, प्रजा को बहुत कम अधिकार था। अब स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है; व्यावहारिक रूप से बादशाह के अधिकार बहुत कम हैं, प्रजा-प्रतिनिधि ही सारे शासन-कार्य का सञ्चालन और नियन्त्रण करते हैं। यह परिवर्तन किस प्रकार हुआ, क्या क्या मंजिलें तय की गयीं, उपस्थित कठिनाइयाँ किस तरह हल हुईं, इन बातों का विचार इस परिच्छेद में करना है।

महान अधिकार-पत्र—छठे परिच्छेद में यह बताया जा चुका है कि किस प्रकार प्रजा ने कुछ विशेष अधिकार पहले पहल ‘मैगना चार्टा’ (महान अधिकार पत्र) द्वारा, सन् १२१५ ई० में, प्राप्त किये थे। इसकी कुछ धारारें इस प्रकार थीं :—

१—कामन्स सभा की अनुमति बिना कोई कर नहीं लगाया जायगा ।

२—गैर कानूनी दंड से किसी की जान माल या वैयक्तिक स्वतन्त्रता नहीं छीनी जायगी, किसी को कानून की रक्षा से वाञ्छित नहीं किया जायगा । सब के साथ नियमों के अनुसार, जुरी द्वारा समान न्याय किया जायगा ।

इस अधिकार-पत्र में और भी बहुत सी महत्वपूर्ण बातें थीं । परन्तु सब का मूल यह था कि (क) बादशाह अपने कार्यों में प्रजा की सलाह अवश्य ही लिया करे, तथा देश का राजप्रबन्ध जनता की इच्छा के अनुसार हुआ करे; और (ख) प्रजा पर एक आदमी (बादशाह) की हुकमत न होकर, कानून का शासन हो । इन दो सिद्धांतों के आधार पर पीछे नागरिक अधिकारों सम्बन्धी बहुत से कानून बने हैं । इसलिए 'मेगना चार्टा' को ब्रिटिश नागरिकों के भावी अधिकारों का आधारशिला कहा जा सकता है ।

पार्लियमेंट और बादशाह के अधिकार—तेरहवीं, चौदहवीं और पन्द्रहवीं सदी में पार्लियमेंट ने कई प्रकार के राजनैतिक अधिकार प्राप्त किये । इसने एडवर्ड-दूसरे, रिचर्ड-दूसरे, (तथा पीछे रिचर्ड-तीसरे और चार्ल्स-पहले) से उनके मनमाने कामों के लिए जवाब तलब किया । इसका परिणाम यह हुआ कि इंग्लैंड का शासन, धीरे धीरे वैध राजतन्त्र हो गया ।

सोलहवीं सदी के मध्य तक लोगो को जैसे-जैसे युद्धों से छुटकारा माने की चिन्ता थी । उन्हें शान्ति की, तथा अपना जीवन निर्वाह करने के उपायों की, खोज थी । इन्हें प्राप्त कर, वे सोलहवीं सदी के पिछले हिस्से में राजनैतिक अधिकारों को प्राप्त करने की ओर ध्यान देने लगे । स्ट्यूअर्ट वंश के शासकों ने, और विशेषतया महारानी एलिजबेथ ने, बुद्धिमानी से राज्य करके प्रजा के सुख का सामान इकट्ठा किया, और शत्रु-देशों को हराया । इसलिए लोगों का इनसे विशेष विरोध न हुआ ।

परन्तु शिक्षा और व्यापार बढ़ने पर लोगों में स्वतन्त्रता के भावों का उदय हुआ; और मतरहवी सदी में स्टुअर्ट वंश के म्बेन्छाचागी बादशाहों से पार्लिमेंट का स्वयं संघर्ष हुआ ।

बादशाहों ने व्यापार पर कर लगाये और जयगदस्ती श्रृण भी लिया परन्तु काम चलता न देख, इन्होंने बारबार पार्लिमेंट की शरण ली । जब पार्लिमेंट ने इनकी अच्छानुमार धन देना या कर लगाना स्वीकार न किया तो इन्होंने उसे भंग कर दिया । इस प्रकार धन की समस्या बराबर बनी रही । चार्ल्स-पहले ने तीसरी बार सन् १६२७ ई० पार्लिमेंट का अधिवेशन कराया, तो पार्लिमेंट ने अधिकारों की दरखास्त ('पिट्रीशन-आफ-राइट्स') पेश कर दी, जिसकी मुख्य धाराएँ ये थीं:—

(१) जब तक पार्लिमेंट की स्वीकृति न मिले, बादशाह किसी को कर या श्रृण देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता ।

(२) बादशाह किसी आदमी को कैद नहीं कर सकता, जब तक कि वह ऐसा करने का कारण न बतादे, जिसमें वह आदमी न्यायाधीशों द्वारा अपना निर्णय करा सके ।

चार्ल्स को, न चाहते हुए भी ये बातें स्वीकार करना पड़ी । अधिकांश की दरखास्त कानून बन गया । और, बादशाह को काफी धन मिल गया । परन्तु इसके बाद उसने ग्यारह वर्ष (सन् १६२६-४०) तक बिना पार्लिमेंट के शासन किया । पीछे पार्लिमेंट ने गैर-कानूनी कर बन्द कर दिये तथा कई उपयोगी नियम बनाये ।

प्रजा की विजय—सन् १६४१ ई० में 'कामन्स'-सभा ने महान विरोध-पत्र (ग्रांड रिमास्ट्रेस) पेश किया, इसमें एक माग यह भी थी कि जब तक पार्लिमेंट स्वीकार न करे, मन्त्रियों की नियुक्ति न की जाय । बादशाह के अवहेलना करने पर, उसका पार्लिमेंट से युद्ध हुआ, जिसमें बादशाह की हार हुई, और अन्त में उसे, मुकुदमा चलने पर, न्यायाधीशों के फैसले के अनुसार प्राणदंड भोगना पड़ा । इस

प्रकार पार्लिमेंट की अनोखी विजय हुई। हा, कुछ समय बाद वह मैनिक शक्ति में दब गयी। इसने ग्यारह वर्ष (१६४६—६०) बिना बादशाह के शासन करने की परीक्षा की, परन्तु इसमें यह सफल न हुई; और, बादशाह के पद की दुबारा स्थापना ('रिस्टोर्ेशन') करनी पड़ी। परन्तु जब चार्ल्स-दूसरे तथा उसके बाद जेम्स-दूसरे ने प्रजा के अधिकारों का लिहाज न रखकर कैथलिक धर्म वालों का पक्षपात किया, तथा बादशाह के 'दैवी' (ईश्वर के दिये हुए) अधिकार' के सिद्धान्त को व्यवहार में लाना चाहा तो प्रजा ने यथेष्ट विरोध किया। जेम्स के समय, इंग्लैंड में महान् क्रान्ति ('ग्रेट रिवोल्यूशन') हुई। पार्लिमेंट ने उसके दामाद विलियम को, जो आरेंज का ड्यूक था, बुला भेजा। उसके, एक भारी डच सेना सहित, आजाने पर मारा इंग्लैंड उसकी ओर होगया और जेम्स को वहा में भाग कर ही अपना पिंड छुड़ाना पड़ा। इंग्लैंड के शासन का भार विलियम (तीसरे) और उसकी स्त्री मरी को सौंप दिया गया। उसी अवसर पर (१६८६) पार्लिमेंट ने अधिकारों का समविदा ('बिल-ऑफ-राइट्स') स्वीकार किया जिसकी मुख्य बातें इस प्रकार हैं :-

- १—कोई कैथलिक मतवाला आदमी बादशाह न हो सकेगा।
- २—बादशाह को राजनियम भंग करने का अधिकार नहीं है।
- ३—पार्लिमेंट ('कामन्स'-सभा) का निर्वाचन स्वतंत्र हुआ करेगा।
- ४—पार्लिमेंट में मभासदों को भाषण करने की स्वतंत्रता होगी, और उसकी अनुमति बिना कोई कर न लगाया जायगा।

यह भी निश्चय किया गया कि बादशाह को भारी सेना रखने का अधिकार नहीं है।

इस तरह, इस क्रांति से राजसत्ता प्रजा के हाथ में आगयी, पार्लिमेंट को राजकोष पर पूरा अधिकार होगया, और उसकी शक्ति यहाँ तक बढ़ गयी कि बादशाह के निजी खर्च (सिविल लिस्ट) के लिए भी पार्लिमेंट की स्वीकृति अनिवार्य होगयी।

थोड़े में, यह कहा जा सकता है कि सोलहवीं सदी तक 'कामन्स'-सभा पर बादशाह (तथा लार्ड-सभा) का प्रभुत्व रहा । सत्रहवीं सदी में कामन्स सभा का प्रभाव बढ़ने लगा । कुछ प्रयत्नों के बाद यह निश्चय हो गया कि सार्वजनिक तथा धन सम्बन्धी कानूनी मसविदे पहले कामन्स-सभा में पेश किये जायें, उनके बाद लार्ड सभा में; और अन्त में बादशाह की स्वीकृति से काम में लाये जायें । फिर धीरे-धीरे कामन्स-सभा के अधिकार बढ़ते गये ।

शारीरिक स्वाधिनता—बहुधा ऐसा होता था कि बादशाह या दूसरे अधिकारी अपने विरोधियों को बेकसूर होने पर भी बेहद समय के लिए कैद या नजरबन्द कर देते थे । इसे रोकने के लिए पार्लियमेंट ने कई कानून बनाये; उनमें सन् १३७६ का 'हेवियम कार्पम एक्ट' मुख्य है । इसके अनुसार, गैर-कानूनी ढङ्ग से नजरबन्द या कैद किया हुआ आदमी (या उसकी तरफ से कोई दूसरा आदमी) हाईकोर्ट में यह दरखास्त दे सकता है कि अधिकारियों को यह आज्ञा दी जाय कि वे नजरबन्द या कैद आदमी को हाईकोर्ट में उपस्थित करें । उस आदमी के हाईकोर्ट में उपस्थित किये जाने पर, यदि हाईकोर्ट का उसका नजरबन्दी या कैद गैर-कानूनी होने का विश्वास हो जाय तो हाईकोर्ट उसे स्वतंत्र किये जाने की आज्ञा दे देता है ।

सुधार-कानून—अठारहवीं सदी के अन्त तक, बादशाह और उनके मन्त्री होशियारी से लोगों को रिश्वते देकर तथा उजड़े हुए नगरों की ओर से चुने जानेवाले प्रतिनिधियों पर अपना दबाव डालकर पार्लियमेंट में, जैसे लोगों को चाहते थे, वैसे लोगों की बड़ी संख्या में भेजने में सफल हो जाते थे । यह संख्या पार्लियमेंट के कुल सदस्यों की संख्या के आधे से अधिक हो जाती थी । धीरे-धीरे लोगों में राजनैतिक विषयों की दिलचस्पी बढ़ने लगी । इस पर सन् १८३२ ई० में पार्लियमेंट के चुनाव के सुधार का कानून ('रिफार्म बिल') पास हुआ । इससे पार्लियमेंट का संगठन बहुत बदल गया । जिन उजड़े हुए नगरों की ओर

में केवल उनके स्वामी अमीर लोग ही प्रतिनिधि चुन देते थे, उनके प्रतिनिधि लेना बन्द या कम कर दिया गया। जो नये-नये व्यापारी नगर बस गये थे, उन्हें प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया। इस प्रकार अमीरों की शक्ति कम होकर, व्यापारियों के अधिकार बढ़ गये।

जनता का अधिकार-पत्र—इस सुधार-कानून के पास होजाने पर भी बहुत-से आदमी असन्तुष्ट थे। व्यापारियों और दुकानदारों को मताधिकार प्राप्त हो गया था, परन्तु मजदूरों को नहीं मिला था। इसलिए लोगों में आन्दोलन होता रहा, और अन्त में बहुत-से आदमी जनता के अधिकार-पत्र (‘पीपल्स चार्टर’) का समर्थन करने लगे। इन्हें ‘चार्टिस्ट’ कहा जाता है। सन् १८४८ ई० में इन्होंने ये मांगें रखीं—

१—इक्कीस वर्ष या इससे अधिक आयु वाले सब आदमियों को मताधिकार हो।

२—निर्वाचन के लिए राज्य को, बराबर-बराबर के निर्वाचन-क्षेत्रों में बांटा जाय।

३—मत या ‘वोट’, पचें डालकर (‘बैलट’ द्वारा) लिये जायें।

४—प्रत्येक बालिग आदमी निर्वाचित किया जा सके, चाहे उसके पास कुछ जायदाद हो या न हो।

५—पार्लिमेंट के सदस्यों को तनख्वाह मिला करे।

सरकार ने उस समय तो इस आन्दोलन का दमन कर दिया। परन्तु उसे १८६७ में दूसरा सुधार-कानून पास करके, नगरों में रहने वालों को मताधिकार देना पड़ा। पीछे सन् १८८४ ई० में तीसरा सुधार-कानून पास करके ग्रामों में भी मत देनेवालों की संख्या बढ़ा दी गयी। ऊपर बतलायी हुई मांगों में से नं० ३ और ५ कानून बन चुकी हैं।

सन् १८११ का पार्लिमेंट एक्ट; कामन्स सभा की विजय—इङ्ग्लैंड की राजनैतिक दलबन्दी का वर्णन आगे किया जायगा।

उर्ध्वमर्चा सदा में बड़ा दा दल या पार्टियां मुख्य थीं। उदार और अनुदार। 'लार्ड'-सभा के ज्यादातर सदस्य प्रायः अनुदार होते हैं। इसलिए जब कभी 'कामन्स'-सभा में उदार दलवालों का बहुमत हुआ और उन्होंने कोई सार्वजनिक हित का नियम जारी करना चाहा तो अकसर लार्ड-सभा उसे रद्द कर देती। बार-बार की हार ने उदार दलवालों का लार्ड-सभा का विरोधा बना दिया। उन्होंने ठान लिया कि इस सभा में होनेवाली बाधा को दूर कर दें। इस इरादे से मन् १६१० ई० में कामन्स सभा ने एक कानूनी मसविदा पास किया। लार्ड-सभा उसे पास करना नहीं चाहती थी। लेकिन जब उसे मालूम हुआ कि इसे पास कराने के लिए बादशाह काफी संख्या में ऐसे आर्दामियों को 'लार्ड' बना कर लार्ड-सभा में भेज देगा, जो उस कानून का समर्थन करें, तो लार्ड-सभा ने अपना विरोध हटा लिया, और वह मसविदा पास हो गया। यह "सन १६११ का पार्लिमेन्ट-एक्ट" कहलाता है। इसकी मुख्य धाराएँ इस प्रकार हैं :—

१.—किसी धन सम्बन्धी मसविदे को, यदि कामन्स-सभा स्वीकार करले, तो चाहे लार्ड-सभा उसे न भी स्वीकार करे, बादशाह की मम्मति से वह अमल में आ जायगा।

२. यदि किसी सार्वजनिक कानूनी मसविदे पर लार्ड-सभा और कामन्स-सभा में मतभेद हो तो वह मसविदा ज्यों-का-त्यों कामन्स सभा के अगले अधिवेशन में पेश होगा। कामन्स-सभा के तीसरी बार उसे पास कर लेने पर, तथा दो वर्ष का समय बीत जाने पर, फिर लार्ड-सभा से पूछने की आवश्यकता न रहेगी; बादशाह की स्वीकृति से वह कानून बन जायगा। इस प्रकार लार्ड-सभा के निषेध ('वीटो') अधि-कार का अन्त होकर, उस सभा को दो वर्ष तक कार्रवाई स्थगित करने का अधिकार रह गया।

३.—कामन्स-सभा का नया चुनाव प्रति पांचवें वर्ष होगा।

इस कानून से सरकारी कोष तथा धन सम्बन्धी कानूनी मसविदों पर कामन्स-सभा का पूरा अधिकार हो गया। सरकारी आय का बड़ा भाग सावजनिक करों में वसूल होता है, इसलिए इस विषय में जनता के प्रतिनिधियों का अधिकार होना ही चाहिए। अब इस कानून में इङ्गलैंड की शासन-नीति के सम्बन्ध में भी, लार्ड-सभा पर, कामन्स-सभा का दबदबा हो गया। रहा बादशाह; प्रत्येक विषय में उसकी स्वीकृति तो अवश्य ली जाती है, परन्तु वह एक रिवाज मात्र है। इस प्रकार इङ्गलैंड का शासन वास्तव में कामन्स-सभा के हाथ में आ गया।

स्त्रियों का मताधिकार—इङ्गलैंड में स्त्रियों के राजनैतिक अधिकारों का प्रश्न उन्नीसवीं सदी के शुरू में उठा था। परन्तु साठ वर्ष तक सर्वसाधारण ने इस ओर ध्यान न दिया। पीछे धीरे-धीरे स्त्रियों के मताधिकार सम्बन्धी संस्थाएँ स्थापित हुईं। आन्दोलन बढता गया। पार्लिमेंट में कई बार इस विषय के प्रस्ताव और बादविवाद हुए; परन्तु विरोधियों का बल अधिक रहने के कारण प्रस्ताव स्वीकार न हो पाये। तथापि मताधिकार चाहने वाली स्त्रियाँ तथा उनके उद्देश्य से महानुभूति रखनेवालों के लगातार आन्दोलन का यह परिणाम हुआ कि अनेक राजनीतिज्ञ तथा पार्लिमेंट के कई प्रभावशाली पदाधिकारी स्त्रियों को यह अधिकार देने के पक्ष में हो गये। अन्त में सन् १८१८ ई० में तीस या अधिक वर्ष की उम्र वाली स्त्रियों को मताधिकार मिल गया। पीछे सन् १८२८ ई० में स्त्रियों को पुरुषों के समान ही, (अर्थात् २१ वर्ष या इससे अधिक उम्र की स्त्रियों को) मताधिकार मिल गया। [सन् १८३५ में ग्रेट ब्रिटेन में ३०३ लाख निर्वाचक थे:—१४४ लाख पुरुष और १६२ लाख स्त्रियाँ। इस प्रकार पार्लिमेंट की रचना में स्त्रियों का प्रभाव पुरुषों से अधिक है।]

उपसंहार—अंगरेज जाति ने लगातार आन्दोलन करके अपने राज्य के शासन को खुदमुखतार या स्वेच्छाचारी राजतंत्र से, परिमित या वैध राजतंत्र में बदल लिया; यहा तक कि अब बादशाह प्रायः नाममात्र का शासक

है, और शासनाधिकार मंत्रिमंडल का है, जो जनता के प्रतिनिधियों द्वारा बनी हुई 'कामन्स' (जनसाधारण)-सभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यद्यपि प्रजातंत्र के आदर्श को प्राप्त करने में अभी और भी बहुत से सुधारों की आवश्यकता है, इंग्लैंड में प्रजातंत्र का युग आरम्भ होगया है। यह युग ठोक कब से आरम्भ हुआ, यह तो नहीं बताया जा सकता; हा, मोटे हिमाव से यह कह सकते हैं, कि यह युग उन्नीसवीं सदी, तथा उसमें भी सन् १८३२ ई० में शुरू हुआ। इसमें स्पष्ट है कि यह युग अभी सवा सौ वर्ष का भी नहीं हुआ। इसमें पहले भी जनता ने बहुत-से अधिकार प्राप्त किये थे, पर उनमें ज्यादातर धनवानों की ताकत बढ़ी थी। पिछले सौ वर्षों में साधारण जनता को शासन-कार्य में विशेष स्थान मिलने लगा है।

अभी यह नहीं कहा जा सकता कि इंग्लैंड में असल में प्रजातंत्र शासनपद्धति जारी हो गयी है, या कामन्स-सभा साधारण जनता की प्रतिनिधि है। राजनैतिक दलों के सम्बन्ध में आगे लिखा जायगा। प्रायः कामन्स सभा में अनुदार दल के सदस्यों की संख्या बहुत अधिक रही है, और इनमें से कितने ही व्यक्तियों का, बड़ी-बड़ी व्यापारिक, औद्योगिक या बीमा कम्पनियों में सम्बन्ध होता है, या वे कोयले, लोहे या अस्त्र-शस्त्र आदि के कारखानों के हिस्सेदार या संचालक होते हैं। ये सदस्य जैसे बने अपने वर्ग का स्वार्थ मिट्ट कराने में लगे रहते हैं। मंत्रिमंडल में इनका काफी प्रभाव रहता है। यही नहीं, अनुदार दल के कितने ही सदस्य मंत्रिमंडल में आने से पहले स्वयं किसी कम्पनी या कारखाने आदि के डायरेक्टर रह चुकते हैं; ये लोग मंत्रिमंडल में शामिल होते समय, डायरेक्टरी से इस्तीफा दे देते हैं, और पीछे मंत्रिमंडल से जुदा होते ही फिर अपना पुराना पद ले लेते हैं। इनका कुछ-न-कुछ सम्बन्ध कम्पनियों या कारखानों से बना रहता है। इसलिए ये राष्ट्रीय समस्याओं के बारे में जो निर्णय करते हैं, वह निस्पक्ष या सार्वजनिक हित की दृष्टि से नहीं होता, यहाँ तक कि युद्ध छेड़ने या चलाने में भी लोकमत की

उपेक्षा की जा सकती है। इस शीघ्रताय दशा में आशा की किम्मा यहा है कि इङ्गलैंड में मजदूर दल बढ़ रहा है, कुछ आदर्मी कम्यूनिष्ट विचारों के भी होने लगें हैं। ये लोग निर्जा स्वार्थ-साधन में नहीं लगें रहते, और पर्जावादी विचारों के विरोधी होते हैं। ज्यों-ज्यों उनकी संख्या और शक्ति बढ़ेगी, शासन-कार्य में जनता की भावना अधिक जाहिर होगी।

नवाँ परिच्छेद

• १९००—

राजनैतिक दलबन्दी

प्राक्कथन—राजनैतिक दल या 'पार्टी' ऐसे मनुष्यों के समूह को कहते हैं, जिनके मुख्य मुख्य राजनैतिक प्रश्नों पर एक ही तरह के विचार हों, और जो राजकाज में इन विचारों का प्रचार करने के लिए संगठित हुए हों। इङ्गलैंड में सरकार का कभी एक राजनैतिक दल के हाथ में होना, फिर उसके हाथ से निकलकर दूसरे दल के हाथ में चला जाना, वहाँ के शासन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इस परिच्छेद में हम यह बतलायेंगे कि इंगलैंड के शासन-कार्य में दलबन्दी की प्रथा कैसे आरम्भ हुई और कैसे उसका विकास हुआ।

पहले बहुत समय तक इंगलैंड में अलग-अलग राजनैतिक दल नहीं थे। अमल में सैलहवीं सदी तक दलबन्दी के लिए अनुकूल स्थिति ही नहीं थी। जनता में उस समय तक राजनैतिक जागृति नहीं हुई थी; वह बहुत कुछ अपने बादशाहों के अधीन था। पार्लियमेंट के अधिवेशन बहुत कम होते थे। उसके सदस्यों को ऐसा अवसर नहीं मिलता था कि वे एक-दूसरे की अच्छी तरह जान लें और किसी विषय पर अपना मत संगठित कर सकें। बादशाह खास-खास आदमियों को ही मंत्री

चुनता था, दूसरो को सरकारी कार्य का ज्ञान या अनुभव बहुत कम होता था। इसलिए मंत्रियों का भी असली विरोध उस समय तक नहीं होता था, जब तक कि पार्लिमेंट उनके विरुद्ध अपने अधिकार का उपयोग करने के लिए पूरी तौर से तैयार न हो जाय।

दलबन्दी का सूत्रपात—इंग्लैंड में राजनैतिक दलों की पहली भाँकी स्टुअर्ट खानदान के बादशाहों के समय में होती है। ये बादशाह अपने अधिकारों को ईश्वर के दिये हुए समझते थे। इसके खिलाफ, पार्लिमेंट के बहुत-से सदस्यों का मत था कि उन्हें बादशाहों का नियंत्रण करने का अधिकार है। इस मतभेद के कारण इंग्लैंड में बड़ा गृह-युद्ध (‘सिविल वार’) हुआ। उसमें पार्लिमेंट की सेना की विजय हुई। बादशाह चार्ल्स-पहले को फाँसी दी जाने का उल्लेख पहले किया जा चुका है। इस समय से पार्लिमेंट में दो दल हो गये—एक बादशाह का समर्थक; दूसरा, प्रजा के पक्ष का।

कुछ वर्ष प्रजापक्षवाले लोगों का बोलबाला रहा। उनका नेता आलिवर क्रामवेल देश-रक्षक की उपाधि से, प्रधान अधिकारी रहा। राजगद्दी खाली पड़ी रही। परन्तु क्रामवेल की मृत्यु के बाद, यह बात दूर हो गयी। उसका पुत्र अयोग्य था। बादशाह के पक्ष के लोगों का बहुमत हो गया। चार्ल्स-पहले का पुत्र चार्ल्स-दूसरा राजगद्दी पर बैठा दिया गया।

‘टोरी’ और ‘विग’—इस बादशाह का भाई (जेम्स-दूसरा) पक्का रोमनकेथलिक था। उसे गद्दी पर बैठने का अधिकार न रहे, इस आशय का कानूनो मसविदा पार्लिमेंट में पेश किया जाने पर, फिर दोनों दलों का आपस में विरोध हुआ। जेम्स-दूसरे के तरफदार ‘टोरी’ और उसके विरोधी ‘विग’ कहलाने लगे। संक्षेप में शासनपद्धति के लिए ‘टोरी’ अनुदार भाव रखते थे, और ‘विग’, सुधारक।

सरकार की बागडोर कभी एक दल के हाथ में चली जाती, कभी दूसरे के हाथ में। पहले कहा जा चुका है कि अठारहवीं सदी में दो

बादशाह—जार्ज-पहला, और जार्ज-दूसरा—अंगरेज़ी भाषा न समझ सकने के कारण मंत्रिमण्डल के वादाबवाद में भाग नहीं ले सकते थे; इससे शासन-अधिकार बहुत-कुछ प्रधान मंत्री के हाथ में चला गया। यह मंत्री उस दल का नेता होता था, जिसके सदस्यों की पार्लिमेण्ट में, अधिक संख्या होती थी। सर राबर्ट वालपोल पहला प्रधान मंत्री था।

जार्ज-तीसरे के शासन-काल में इंगलैंड के उन उपनिवेशों ने स्वतंत्र होने का प्रयत्न किया, जिन्हें अब अमरीका के संयुक्त राज्य कहने हैं। 'विग' दल के सदस्यों की उनसे सहानुभूति थी, वे उनकी इस भाँगी का स्वीकार करने के पक्ष में थे कि उनकी राजमन्दी के बिना उन पर कर न लगाया जाय। परन्तु टोरी दल का मंत्रिमण्डल होने के कारण उन उपनिवेशों से युद्ध किया गया, जिसमें आखिर उनकी विजय होने से 'टोरी' दल का प्रभाव घट गया और सरकार की बागडोर 'विग' दल के हाथ में चली गयी।

सन् १७८१ ई० में फ्रांस की राजक्रान्ति हुई। कुछ वर्ष बाद क्रान्तिकारियों के अत्याचार हुए तो इंगलैंड में 'विग' दल का प्रभाव कम रह गया; और 'टोरी' दल ने झोर पकड़ लिया; और, नेपोलियन के साथ युद्ध रहने तक 'टोरी' दल का ही प्रभुत्व रहा। युद्ध समाप्त हो जाने पर लोगों के विचारों में धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, तो मंत्रिमण्डल फिर 'विग' दल का हो गया; और उसके प्रयत्न में १८३२ ई० में पार्लिमेण्ट के निर्वाचन सम्बन्धी सुधार के लिए 'रिफार्म बिल' पास हुआ जिसका जिक्र पहले किया जा चुका है।

उदार और अनुदार दल—उन्नीसवीं सदी के शुरू में 'विग' और 'टोरी' दलों के नाम धीरे-धीरे 'लिबरल' और 'कंज़र्वेटिव' हो गये। 'लिबरल' का अर्थ उदार है; और कंज़र्वेटिव का अर्थ है दकियानूसी या पुरानी बातों पर अड़ा रहनेवाला। उदार दल का विरोधी होने के कारण यह दल साधारण बोलचाल में अनुदार कहा जाता है। 'लिबरल' दल में अक्सर ऐसे आदमी होते हैं, जो वर्तमान परिस्थिति से असंतुष्ट तथा

उसका सुधार चाहनेवाले हों। कंजर्वेंटिव वह कहलाते हैं जो वर्तमान स्थिति को बनाये रखना, और उसमें कोई विशेष परिवर्तन न करना चाहते हों। ये लोग प्रायः धनवानों और धर्माचारियों की सत्ता के समर्थक होते हैं।

उदार और अनुदार शब्द, असल में इन दलों पर पूरे तौर से लागू नहीं होते। इङ्गलैंड के इतिहास में कभी-कभी उदार दल ने अनुदारता का, और अनुदार दल ने उदारता का भी व्यवहार किया है। विदेश-नीति और विशेषतया भारतवर्ष के सम्बन्ध में दोनों दलों के विचारों में व्यास अन्तर नहीं रहा है। किसी ने ध्वंग में कहा है—‘जैसे लिबरल जैसे टोरी, जैसे नाला जैसे मोरी’।

मजदूर दल—उन्नीसवीं सदी के मध्य में एक नये दल का जन्म हुआ, यह मजदूर दल या ‘लेबर पार्टी’ कहलाता है। इसके सदस्य अकसर मजदूर-संघों, सहकारी समितियों आदि के प्रतिनिधि होते हैं। इनका एक प्रधान सिद्धान्त यह होता है कि मजदूरों आदि के सार्वजनिक हित को लक्ष्य में रखकर सरकार को चाहिए कि वह उद्योग-धन्धों आदि का पूर्ण नियंत्रण करे। पहली बार सन् १८८५ ई० में, मजदूर दल के सदस्य पार्लियामेंट के निर्वाचन में चुने गये।

कम्यूनिस्ट दल—सन् १८१४-१८ के योरोपीय महायुद्ध के बाद, रूस में जागृति और उन्नति होने पर, इङ्गलैंड में भी कम्यूनिस्ट दल का जन्म हुआ। यह दल समाजवादी विचारों का है, इसके विचार मजदूर दल से बहुत मिलते हैं। सब से पहले, सन् १८३५ के चुनाव में इस दल का एक आदमी कामन्स सभा का सदस्य चुना गया था।

इन दलों के अलावा और भी कई दल हैं, पर वे छोटे-छोटे हैं। समय-समय पर नये दल बनते रहते हैं, और कुछ पुराने दलों का लोप होता रहता है। किसी किसी दल में दो तीन दलों के सदस्य भी मिल जाते हैं। जिस अकेले या संयुक्त दल के सदस्यों का मन्त्रिमंडल बनता है, वह सरकारी दल कहलाता है। और, जिस एक या अधिक

दलों के सदस्य सरकारी नीति का विरोध या आलोचना करते हैं, उन्हें विरोधी दल कहा जाता है।

आधुनिक स्थिति—सन १८२४ से पहले उदार या अनुदार दल का ही मंत्रिमण्डल बनता रहा। मजदूर दल ने सब से पहले १८२४ में अपना मंत्रिमण्डल बनाया। लेकिन कामन्स सभा में इस दल के सदस्यों की संख्या काफी नहीं थी, इसलिए ये उदार दल वालों के सहयोग से काम कर सके। आखिर, नौ महीने में ही यह दल हार गया, और शासन की डोर अनुदार दल के हाथ में चली गयी। दूसरी बार सन् १८२६ में मजदूर दल का मंत्रिमण्डल बना, पर इस बार भी इसकी वैसी ही दशा रही। इंग्लैंड के इतिहास में सबसे पहले १८४५ के चुनाव में इस दल को स्पष्ट और स्वतन्त्र बहुमत हुआ, और इसका स्वावलम्बी मंत्रिमण्डल बना। इस वर्ष कामन्स सभा के ३४० सदस्य चुने गये। हमें इस पुस्तक के छपने के समय ३२७ का ही व्योरा मालूम हो सका है; उनमें विविध दलों के सदस्य इस प्रकार रहे—मजदूर ३६०, अनुदार १६५, उदार ११, राष्ट्रीय उदार १४, स्वतन्त्र १०, राष्ट्रीय १, कामनवेल्थ १, कम्यूनिष्ट २, स्वतन्त्र मजदूर ३। इन दलों को निर्वाचकों के कुल मत इस प्रकार मिले थे। मजदूर १,१६,४१,५०१; अनुदार ६०,५६,६७२; उदार २२,२१,१४५; राष्ट्रीय उदार ७,७६,७८१; स्वतन्त्र ५,३६,२२८; राष्ट्रीय १,३७,७१८; कामनवेल्थ १,२४,७३०; कम्यूनिष्ट १,०२,७८०; और स्वतन्त्र मजदूर ४६,६७६।

दलबन्दी से हानि-लाभ—पराधीन देशों में आदमियों का मुख्य कर्तव्य, देश की गुलामी दूर करना, होता है। गुलामी दूर करने के उपायों के बारे में कभी कभी कार्यकर्ताओं के विचारों में कुछ भेद या फरक होता है। अगर इस भेद को दूर करके आपसी समझौते से काम न लिया जाय तो गुलामी दूर करने का उद्देश्य पूरा होना कठिन है। इसलिए पराधीनता की दशा में दलबन्दीयों का होना बहुत घातक होता है।

परन्तु जब देश स्वाधीन हो, तब यदि उसकी उन्नति के लिए अलग-अलग विचार वाले कार्यकर्ता अपना जुदा-जुदा संगठन कर लें और राजशाक्ति प्राप्त करने में एक-दूसरे से प्रतियोगिता या होड़ करें तो राजनैतिक दृष्टि से कोई हानि नहीं है; बल्कि इससे लाभ ही है, क्योंकि प्रत्येक दल अपने-आपको जनता में दूसरे दलों से अधिक प्रिय बनाने के लिए, देशोन्नति के कार्यों में अधिक प्रयत्नशील होगा। हाँ, नागरिकों की निजी अथवा नैतिक दृष्टि में, स्वाधीन देशों में भी दलबन्दी नीति का समर्थन नहीं किया जा सकता। सदस्य अपने दल (पार्टी) की उन्नति या वृद्धि के लिए दूसरों को तरह-तरह का प्रलोभन देते हैं, और अपनी विजय के लिए बड़े दाव-पेच का जीवन बिताते हैं। उन्हें विषय का ज्ञान न होते हुए, अथवा खिलाफ राय रखते हुए भी, उस ओर मत देना पड़ता है, जिस ओर उनके दल के दूसरे सदस्य देते हैं। सच्चे स्वराज्य में, आत्मा और सत्य पर चोट करनेवाली, ऐसी बातों को छोड़ देना चाहिए।

दसवाँ परिच्छेद



न्यायालय

प्रत्येक राज्य के कार्यों के तीन भाग किये जा सकते हैं:—(१) व्यवस्था या कानून बनाना, (२) शासन, और (३) न्याय। इनमें से पहले दो कामों का वर्णन हो चुका। इस परिच्छेद में न्यायालयों के विषय में आवश्यक बातें बतलायी जायेंगी।

न्याय-कार्य—ब्रिटिश संयुक्तराज्य के न्याय-कार्य की विशेषताएँ ये हैं:—

१— ब्रिटिश संयुक्त राज्य में प्रत्येक आदमी का कानून का समान रूप से पालन करना होता है। वहाँ सभी वर्गों के आदमियों के लिए साधारण न्यायालय हैं, किसी वर्ग के लिए विशेष नहीं। बादशाह के बारे में तो हम पहले ही बता चुके हैं कि उसके कामों के उत्तरदाता मन्त्री होते हैं। मन्त्रियों तथा शासकों के विरुद्ध मामले भी उन्हीं अदालतों में सुने जाते हैं, जिनमें दूसरे नागरिकों के विरुद्ध सुने जाते हैं; और, हरेक आदमी को अपनी वैयक्तिक स्वतंत्रता में अनुचित और गैर-कानूनी हस्तक्षेप करनेवालों के विरुद्ध कानूनी कारवाई करने का अधिकार है। इसका विशेष विचार पहले ही चुका है।

२—न्यायाधीशों को बादशाह, प्रधान मन्त्री या लाउ-चांसलर (लार्ड-सभा के अध्यक्ष) की सिफारिश से नियत करता है। वे अपने पद से उस समय तक नहीं हटाये जा सकते, जब तक कि वे नेकचलनी में अपना कार्य करते रहें, और पार्लियमेंट की दोनों सभाएँ बादशाह को उन्हें उनके पद से जुदा करने की सिफारिश न करें। यही कारण है कि इङ्ग्लैंड में न्याय-कार्य स्वतंत्रता पूर्वक होता रहता है, और उस पर शासकों का किसी प्रकार अनुचित प्रभाव नहीं पड़ने पाता।

३—सब फौजदारी मामलों और अधिकांश दीवानी मामलों का फैसला 'जूरी' के निर्णय के अनुसार किया जाता है। प्रत्येक मुकदमे के आरम्भ होने के समय, न्यायाधीश ऐसे पाँच-सात स्थानीय आदमियों को चुन लेता है, जो उसके साथ मुकदमे का हाल सुनते हैं और अन्त में मुकदमे की घटनाओं के सम्बन्ध में अपनी राय देते हैं। न्यायाधीश इनकी राय के आधार पर, कानून के अनुसार, मुकदमे का फैसला करता है। इससे मुकदमे पर अच्छी तरह विचार हो जाता है और अन्याय होने की सम्भावना बहुत ही कम रह जाती है।

४—स्त्रियाँ न्यायाधीश अथवा जूरी की सदस्य हो सकती हैं।

फौजदारा सम्बन्धी न्याय की विशेषताएँ—(१) इङ्ग्लैंड में किसी आदमी पर फौजदारी का मुकदमा तब तक नहीं चल सकता,

जब तक उसके अपराध की जाँच कोई अप्रमर अच्छी तरह न कर ले, और उसे उसके अपराधी होने की सम्भावना मालूम न हो।

(२) अभियुक्त यानी जिस पर मुकदमा चलाया जाय, उसे अपराधी साबित करने का सब भार मुकदमा चलानेवाले पर रहता है।

(३) अभियुक्त का विचार 'जूरी' द्वारा होता है। यदि अभियुक्त की जूरी के किसी सदस्य के निस्पक्ष होने के बारे में संदेह हो तो वह, कार्यवाई आरम्भ होने से पहले, एतराज कर सकता है।

(४) अभियुक्त का विचार खुली अदालत में होता है, और उसके खिलाफ जो गवाहिया ली जाती हैं, वे शपथ देकर ली जाती हैं।

(५) जूरी का निर्णय अन्तिम निर्णय होता है। प्रत्येक अपराध के दण्ड की सीमा कानून से ठहरायी हुई है।

इन विशेषताओं के कारण, इङ्ग्लैंड में, फौजदारी मामलों में, अन्य देशों, और खासकर भारतवर्ष की अपेक्षा अधिक न्याय होता है।

न्याय की प्रधान अदालत—इङ्ग्लैंड की सब से बड़ी अदालत को सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। इस अदालत के दो भाग हैं :—(१) हाई-कोर्ट और (२) अपील-कोर्ट। हाईकोर्ट में दीवानी, फौजदारी तथा अन्य प्रकार के सब मुकदमों पर विचार होता है। इसमें लगभग बीस न्यायाधीश रहते हैं। हाईकोर्ट नीचे की अदालतों के काम का निरीक्षण करता है तथा उनके किये हुए फैसलों की अपील सुनता है। अपील-कोर्ट में भी न्यायाधीश होते हैं। अपील-कोर्ट हाईकोर्ट के, तथा कुछ खास हालतों में नीचे की अदालतों के, फैसलों की अपील सुनता है।

लार्ड-सभा के न्याय सम्बन्धी अधिकार—पहले बताया जा चुका है कि किसी लार्ड की राजद्रोह या अन्य घोर अपराध सम्बन्धी जांच लार्ड-सभा में ही होती है। मिसाल के तौर पर भारतवर्ष के गवर्नर-जनरल लार्ड बार्नहेस्टिंग्स पर उनके भारतीय शासन सम्बन्धी कार्यों के

लिए मुकदमा लार्ड-सभा में ही चलाया गया था। लार्डों की जागीर से सम्बन्ध रखने वाले मुकदमों का निर्णय भी लार्ड-सभा ही करती है। यदि कामन्स सभा किसी लार्ड पर इलजाम लगाती है, या उसमें जवाब-तलब करती है तो यह कार्य लार्ड-सभा में ही होता है। अपील-कोर्ट के फैसलों का अपील भी लार्ड-सभा में ही होता है। इस प्रकार लार्ड-सभा ब्रिटिश संयुक्त राज्य की सबसे ऊँची अदालत है। सिद्धान्त से तो पूरी लार्ड-सभा ही न्यायालय का कार्य कर सकती है, परन्तु व्यवहार में न्याय-कार्य लार्ड-चांसलर और दो 'ला' (कानून)-लार्डों द्वारा होता है जो कानून के अच्छे जानकर होते हैं, और न्याय करने के लिए जन्म भर के वास्ते लार्ड बनाये जाते हैं। इन्हें कभी-कभी कानून के दूसरे जानकारों से सहायता मिलती है।

ब्रिटिश उपनिवेशों, तथा भारतवर्ष की ऊँची अदालतों के फैसलों का अपील, 'प्रिवी कौंसिल' की न्याय-समिति में होता है, इसका वर्णन पहले किया जा चुका है।

ब्रिटिश संयुक्त राज्य में, किसी कानून का अर्थ लगाने में मतभेद हो जाने पर उसका निर्णय न्यायालय करता है, और वह निर्णय मान्य होता है। परन्तु न्यायालय को, यह अधिकार नहीं है कि वह किसी कानून के विषय में यह निश्चय करे कि वह उचित है, या अनुचित।

ग्यारहवाँ परिच्छेद

उत्तरी आयरलैंड

उत्तरी आयरलैंड से मतलब यहाँ आयरलैंड के अल्स्टर प्रान्त के उन छः जिलों से है, जिनका शासन-प्रबन्ध शेप (दक्षिण) आयरलैंड से अलग है। वैसे अल्स्टर प्रान्त में तीन जिले और भी हैं (जो दक्षिण

आयरलैंड में हैं), साधारण बोलचाल में उत्तरी आयरलैंड को आयरलैंड ही कह दिया जाता है। उत्तरी आयरलैंड का क्षेत्रफल ३४ लाख एकड़, आबादी तेरह लाख, और राजधानी बेलफास्ट है।

पहले बताया जा चुका है कि सन् १६२० ई० में उत्तरी आयरलैंड को अपने भीतरी शासन-प्रबन्ध के कुछ अधिकार दिये गये, और इसके लिए एक अलग पार्लिमेंट का संगठन किया गया, जो ब्रिटिश पार्लिमेंट के निरीक्षण और नियंत्रण में कुछ निर्धारित विषयों के कानून बनाने लगी। इंग्लैंड, वेल्ज, और स्कॉटलैंड में कोई ऐसा हिस्सा नहीं है, जिसे उत्तरी आयरलैंड की तरह अपना अलग शासन-प्रबन्ध करने और कानून बनाने का अधिकार हो। पहले की तरह अब भी यहाँ के तरह प्रतिनिधि ग्रेट-ब्रिटेन की 'कामन्स'-सभा में भाग लेते हैं।

गवर्न और प्रबन्धकारिणी सभा—उत्तरी आयरलैंड का प्रधान शासक गवर्नर कहलाता है, वह बादशाह का प्रतिनिधि होता है और उसके द्वारा ही छः वर्ष के लिए नियुक्त होता है। वह प्रबन्धकारिणी सभा के परामर्श से शासन सम्बन्धी उन कार्यों को करता है, जो उत्तरी आयरलैंड को सौंपे गये हैं। सन् १६४१ से प्रबन्धकारिणी सभा में आठ मंत्री हैं, जो अपने शासनकार्य के लिए यहाँ की 'कामन्स'-सभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इन मंत्रियों में से प्रधान मंत्री को ३,२०० पौंड और अन्य मंत्रियों में से हरेक को २,००० पौंड वार्षिक वेतन दिया जाता है।

पार्लिमेंट—उत्तरी आयरलैंड का पार्लिमेंट में दो सभाएँ हैं :—
(१) सिनेट और, (२) कामन्स सभा। सिनेट में २३ सदस्य होते हैं; उनमें से दो 'एक्स-ऑफिशो' अर्थात् अपने पद के कारण सदस्य होते हैं। शेष चौबीस सदस्य निर्वाचित होते हैं; ये उत्तरी आयरलैंड की कामन्स सभा द्वारा आठ वर्ष के लिए चुने जाते हैं; इनमें से बारह सदस्यों का निर्वाचन प्रति चौथे वर्ष होता है।

[ब्रिटिश साम्राज्य में यही एकमात्र सिनेट है, जिसके सदस्य 'कामन्स' सभा द्वारा चुने जाते हैं ।]

'कामन्स' सभा का कार्यकाल साधारणतया पांच वर्ष होता है । इसमें ५२ सदस्य होते हैं । उत्तरी आयरलैंड की जनता का निर्वाचन का अधिकार वैसा ही है, जैसा इंग्लैंड की जनता का है ।

यहां लार्ड दोनों सभाओं के सदस्य हो सकते हैं, और उन्हें मताधिकार है । सन् १६२८ के कानून से स्त्रियों को मताधिकार पुरुषों के समान दिया गया, और सन् १६२९ में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रथा हटा कर 'प्रत्येक निर्वाचक संघ के लिए एक-एक सदस्य' की प्रणाली जारी की गयी ।

धन सम्बन्धी कानूनी मसविदों का विचार कामन्स सभा में ही आरम्भ हो सकता है, सिनेट को उन मसविदों में कोई परिवर्तन करने का अधिकार नहीं होता । यदि कोई कानूनी मसविदा कामन्स सभा में संजूर होकर, सिनेट द्वारा अस्वीकार हो जाय तो कामन्स सभा के दूसरे अधिवेशन में फिर स्वीकार होने पर वह 'पार्लियामेंट' की दोनों सभाओं के संयुक्त अधिवेशन में उपस्थित किया जाता है, और बहुमत के निर्णय के अनुसार, रावनर के स्वीकार कर लेने पर, कानून बन जाता है ।

कानून बनाने का अधिकार—उत्तरी आयरलैंड का पार्लियामेंट को अपने क्षेत्र के लिए, कुछ विषयों को छोड़कर, दूसरे सब विषयों के सम्बन्ध में कानून बनाने का अधिकार है । जिन विषयों के लिए वह कानून नहीं बना सकती, वे ये हैं:—बादशाह, युद्ध, शान्ति तथा सन्धिया, जल सेना, स्थल सेना, वायु सेना, सम्मान सूचक पद, राज-द्रोह, विदेशी व्यापार, जहाज़ चलाना, समुद्र का तार, बे तार का तार, वायुयान यात्रा, मुद्रा डलाई और हुन्डी आदि, तेल और माप, व्यापार-चिन्ह (ट्रेड-मार्क), आयात निर्यात कर, मादक द्रव्य कर, मुनाफे पर कर, आय कर, डाक विभाग, मेरिग बैंक, सरकारी दस्तावेज़ों

की रजिस्ट्री आदि। यह पार्लियमेंट कोई ऐसा भी कानून नहीं बना सकती, जिसमें धार्मिक विषय में हस्तक्षेप होता हो, या जिससे किसी विशेष धर्म के अनुयाइयों का पक्षपात या उनसे सख्ती होती हो, या जिसके द्वारा किसी व्यक्ति या संस्था की जायदाद बिना मुआवज़े के ली जाय।

न्याय-हार्ड — उत्तरी आयरलैंड की सबसे बड़ी अदालत 'सुप्रीम कोर्ट' है; उसके दो भाग हैं :— हाईकोर्ट और अपील-कोर्ट। अपील कोर्ट के फैसले की अन्तिम अपील इंग्लैंड का लार्ड-सभा में होती है। यदि किसी कानूनी मसविदे के सम्बन्ध में यह प्रश्न उठे कि उत्तरी आयरलैंड की पार्लियमेंट को उसके बनाने का अधिकार है या नहीं, तो उसका अन्तिम निर्णय इंग्लैंड की 'प्रिंसीपैल' की न्याय-समिति करती है।

इस परिच्छेद में इंग्लैंड के पास के द्वीपों या टापुओं के शासन के सम्बन्ध में भी आवश्यक बातें दे दी जाती हैं।

खाड़ी के द्वीप — ये द्वीप 'इंगलिश चैनल' नाम की खाड़ी में फ्रांस के पश्चिमात्तर किनारे पर हैं। पहले ये नार्मंडी (फ्रांस) के ड्यूक के अधिकार में थे, जो ग्यारहवीं सदी में इंग्लैंड का बादशाह हुआ; तब से ये बग़र इंग्लैंड के ही अधीन रहे हैं, हालांकि नार्मंडी आदि पर इंग्लैंड के बादशाह का अधिकार बहुत समय से हट गया है। इन द्वीपों की व्यवस्थापक सभाओं तथा न्यायालयों में प्रायः पुरानी फ्रांसीसी भाषा का प्रयोग होता है, और कानून का आधार अधिकतर नार्मंडी का पुराना कानून है। इनके शासन प्रबन्ध में यहाँ के रिवाजों का बहुत ध्यान रखा जाता है। यहाँ की व्यवस्थापक सभाएँ स्थानीय उपयोग के कुछ कानून बना सकती हैं। ब्रिटिश पार्लियमेंट के कानून इन द्वीपों के निवासियों पर लागू नहीं होते, जब तक कि उन कानूनों में इन द्वीपों का साफ जिक्र न हो।

मानद्वीप—यह द्वीप इंग्लैंड के पश्चिमोत्तर में आयरिश समुद्र में, इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच में है। इसका शासन-प्रबन्ध एक लेफ्टिनेंट-गवर्नर करता है, जो बादशाह द्वारा नियुक्त होता है, और अपने कार्य के लिए इंग्लैंड के स्वदेश-विभाग के प्रति उत्तरदायी होता है। यहाँ स्थानीय कानून बनाने के लिए दो सभाएँ हैं। शासन यहाँ के रिवाज के अनुसार होता है। ब्रिटिश पार्लियामेंट जब इस द्वीप के लिए कोई कानून बनाती है तो उसमें इसका साफ जिक्र किया जाता है।



बारहवाँ परिच्छेद



स्थानीय शासन

हर एक देश में कुछ ऐसे कार्य होते हैं, जिन्हें केन्द्राय या प्रान्तीय सरकार सुभीते में नहीं कर सकती, उन कार्यों को स्थानीय संस्थाओं से कराना अच्छा होता है। ये संस्थाएँ उन्हें स्थानीय परिस्थिति तथा आवश्यकताओं के अनुसार अच्छी तरह कर सकती हैं। स्थानीय बोर्ड या कमिटी अपने क्षेत्र के महत्वपूर्ण विषयों का निर्णय करती, और साधारण नीति ठहराती हैं। ब्यांरवार बातों का प्रबन्ध करने के लिए भिन्न-भिन्न उपसमितियों को विविध विषय सौंपे जाते हैं। ये उपसमितियाँ बोर्ड या कमिटी की देखरेख में अपना कार्य करती हैं। बोर्ड, कमिटी तथा उपसमितियों के निर्णयों को अमल में लाने के लिए हर एक स्थान में कुछ स्थायी कर्मचारी रहते हैं।

स्थानीय संस्थाएँ—ब्रिटिश संयुक्त राज्य की स्थानीय संस्थाएँ यहाँ की अन्य संस्थाओं की तरह समय और स्थान के अनुसार जुदा-जुदा ढङ्ग से बड़ी हैं। ये संस्थाएँ पुरानी हैं, और किसी खास विधान

की बनायी हुई नहीं हैं। इनकी वर्तमान व्यवस्था पिछले सौ वर्ष में आरम्भ हुई है। सन् १८३५ के म्युनिसिपल कार्पोरेशन एक्ट और १८८८ और १८९४ के लोकल-गवर्मेंट-एक्ट से जुदा-जुदा हिस्सों के स्थानीय प्रबन्ध में कुछ समानता कर दी गयी है। अब इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड में से हरेक कुछ काउंटियों तथा काउंटी-बारों में बंटा हुआ है। जिस बड़े शहर की जनसंख्या ७५ हजार या इससे अधिक होती है, उसे काउन्टी-बरो कहते हैं। हरेक काउन्टी के स्थानीय कार्य के लिए एक काउन्टी-कौंसिल होती है। हरेक काउन्टी ग्राम-ज़िलो, नगर-ज़िलो तथा म्युनिसिपल बरो में बंटी होती है। हरेक नगर-ज़िले तथा ग्राम-ज़िले में ज़िला-कौंसिल है, और म्युनिसिपल बरो में म्युनिसिपल कौंसिल। नगर-ज़िले और ग्राम-ज़िले 'पेरिशो' में बंटे हुए हैं। पेरिश एक बड़ा ग्राम या कुछ ग्रामों का समूह होता है। पेरिशो में पेरिश-कौंसिल होती है। स्थानीय संस्थाओं के सब मदन्य अवेतनिक होते हैं।

काउन्टी कौंसिल—काउन्टी-कौंसिल में महापति, एलडरमैन और साधारण सदस्य (कौंसिलर) होते हैं। काउन्टी में प्रत्येक ज़िले से एक या अधिक साधारण सदस्य हर तीसरे वर्ष चुने जाते हैं। एलडरमैन साधारण सदस्यों द्वारा छः वर्ष के लिए चुने जाते हैं, परन्तु आधे एलडरमैनों का चुनाव तीसरे वर्ष हो जाता है। कुल एलडरमैनो की संख्या साधारण सदस्यों की एक-तिहाई होती है। साधारण सदस्यों की संख्या काउन्टी के विस्तार पर निर्भर है। महापति कौंसिल द्वारा चुना जाता है। निर्वाचन अधिकार उन सब बालिग पुरुषों तथा स्त्रियों को है, जो निर्वाचन के समय छः महीने तक काउन्टी में रह चुके हों।

काउन्टी-कौंसिल के कार्य अनेक हैं, उनका ब्योरेवार वर्णन करना बहुत कठिन है। उनके कार्यों के मुख्य भेद ये हैं:—(१) शिक्षा, (२) सार्वजनिक स्वास्थ्य, (३) सड़कों का निर्माण, (४) पुलिस, (५) जनता की सहायता, बेकारों की आर्जाविका और बूढ़ों की

पेन्शन, (३) गृह-निर्माण, और (७) म्युनिसिपल (स्थानीय) व्यापार । यह कौंसिल जिला-कौंसिलों के कार्य का निरीक्षण करने के अलावा बच्चा मड़को और पुलों की मरम्मत करवाती है; किसानों को छुंटे-छुंटे खेत दिवाने का प्रवन्ध करता है; काउन्टी-पुलिस का नियन्त्रण करता है; ढाई के काम (नर्सिंग) और बच्चों की सुरक्षा सम्बन्धी नियमों का पालन कराती है । यह काउन्टी में प्रारम्भिक शिक्षा की उत्तरदायी है, और उच्च शिक्षा के लिए सहायता देती है । यह अस्पताल, रिफार्मेटरी (लुट्टी उम्र के अपराधियों के सुधार-गृह) और पागलखानों का प्रवन्ध तथा निरीक्षण करता है; और नाचघर और थियेट्रो आदि का लाइसेंस भी देती है । यह निम्नलिखित विषयों के कानून को अमल में लाती है:—पशुओं की छूत की बीमारी, जङ्गली पशु, तेल और माप, स्फोटक पदार्थ, नदियों की गन्दगी आदि । काउन्टी-कौंसिल अपने कर्मचारियों को खुद ही नियत करता है । यह अपनी काउन्टी की मुख्यवस्था के लिए आवश्यक उपनियम बनाती है और उन्हें भंग करनेवालों पर जुर्माना कर सकती है । यह एक निर्धारित सीमा तक कर (काउन्टी-रेट) भी लगा सकती है । परन्तु इसकी आय का मुख्य साधन वह रकम है, जो इंग्लैंड की सरकार द्वारा इसे ग्राम-ग्राम कामों के लिए मिलती है । कौंसिल का हिस्सा एक आय-व्यय-निरीक्षक जाचता है, जिसे स्वास्थ्य-मन्त्री नियत करता है ।

जिला-कौंसिल—हरेक जिला-कौंसिल के सदस्य तीन साल के लिए चुने जाते हैं, परन्तु एक तिहाई सदस्यों का चुनाव हर साल होता है । जो सदस्य छः महीने तक, बिना किसी विशेष कारण, कौंसिल की मीटिंग में गैरहाजिर रहता है, उसकी जगह खाली हो जाती है । सभापति सदस्यों द्वारा चुना जाता है । स्वास्थ्य-विभाग के इन्स्पेक्टर कौंसिल की मीटिंग में, निमन्त्रित किये जाने पर, भाषण दे सकते हैं ।

जिला-कौंसिल के मुख्य कार्य ये हैं:—यह जिले की गलियों, बाजारों और नालियों की सफाई कराती है, सड़को पर पानी छिड़कवाती है,

मकानों का मैला और कूड़ा हटवाती है, साफ पानी का प्रबन्ध करती है, खाने पीने की खराब चीजों को फिक्रवाती है। यह प्रधान सड़कों को छोड़कर दूसरी सड़कें बनवाती है तथा उनकी मरम्मत करवाती है। छूत की बीमारियों को रोकने के लिए इसे विशेष अधिकार हैं। यह गाड़ियों, मरायों, और जञ्जाखाने आदि का लाइसेंस देती है। यह मैलों का प्रबन्ध करती, तथा काग़खानों आदि का समय ठहराती है। नगर-जिला-कौंसिलों के विशेष काम ये हैं :—ये म्नानागार (नहाने की जगह) और कपड़े धोने की जगहों का प्रबन्ध करती हैं, कहीं आग लगे तो उसे बुझाने के लिए पानी का इन्तजाम करना, इनका आवश्यक कर्तव्य है। ये कसाईखाने बनवाती हैं और ट्रामवे तथा छोटी लाइन की रेलें चलाती हैं। ये पुस्तकालय, अजायबघर, सार्वजनिक उद्यान (पब्लिक पार्क) आदि भी बनवाती हैं।

जिला-कौंसिल की कुछ आमदनी फीस और जुर्माने से हो जाती है, और उनकी शेष आय वह रकम है, जो ब्रिटिश सरकार से उन्हें काउन्टी-कौंसिल द्वारा मिलती है। नगर-जिला कौंसिलों का निर्धारित कर वसूल करने का अधिकार है। ग्राम जिला-कौंसिलों का खर्च उम फण्ड में चलता है, जो जुदा-जुदा पैरिशों से वसूल किये हुए 'दरिद्र रक्षा-कर' ('पुअर-रेट') के इकट्ठा होने से बनता है।

म्युनिसिपल कौंसिल - म्युनिसिपल कौंसिलें उन बड़े-बड़े शहरों में होती हैं, जो काउन्टी-कौंसिलों के अधिकार में नहीं हैं। इनमें मेयर, एलडरमेन, और साधारण सदस्य होते हैं। साधारण सदस्य तीन वर्ष के लिए चुने जाते हैं परन्तु एक-तिहाई सदस्यों का चुनाव हर साल, सितम्बर की पहली तारीख को होता है। म्युनिसिपल कौंसिलों के निर्वाचकों की योग्यता वही होती है, जो काउन्टी-कौंसिल के निर्वाचकों की। 'एलडरमेन' साधारण सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। उनकी संख्या, साधारण सदस्यों की संख्या की एक-तिहाई रहती है। ये छः साल के लिए चुने जाते हैं, पर आधे एलडरमेनों का चुनाव हर तीसरे साल

होता है। मेयर, कौंसिल द्वारा एक साल के लिए चुना जाता है; उसका अगले साल भी निर्वाचन हो सकता है। वह कौंसिल का सभापति होता है। वह 'म्युनिसिपल बरो' की ओर से मेहमानदारी या अतिथि-सन्कार का कार्य करता है। वह कौंसिल की सब कमेटियों का सदस्य, और 'बरो' की न्यायाधीश-समिति का सभापति, होता है। यदि बिना विशेष कारण के, मेयर दो महीने तक, और 'एलडरमैन' या साधारण सदस्य छः महीने तक, अपने 'बरो' से गैरहाजिर रहें, तो उनका स्थान खाली हो जाता है।

कौंसिल, 'बरो' के लिए उपनियम बना सकती हैं। यह उसकी जायदाद का प्रबन्ध करती है। जिन 'बरो' में दस हजार से अधिक जनसंख्या है, वे प्रारम्भिक शिक्षा के लिए उत्तरदायी होती हैं। ये जानवरों की छूत सम्बन्धी बीमारियों, तोल माप, और खाद्य पदार्थों की विक्री सम्बन्धी कानूनों का अमल में लाती हैं। जिन 'बरो' की जनसंख्या बीस हजार से अधिक है, वे पुलिस का भी प्रबन्ध कर सकती हैं।

'बरो' की आय के साधन ये हैं:—फीस, जायदाद की आमदनी, विशेष कार्यों के लिए ब्रिटिश सरकार से मिलनेवाला धन; और 'बरो' के कर।

पेरिश-कौंसिल—पेरिश-कौंसिल में सभापति, और ५ से १५ तक सदस्य रहते हैं। ये तीन साल के लिए, १५ अप्रैल को चुने जाते हैं। यदि बिना विशेष कारण, कौंसिल का सदस्य, उसकी बैठक से, छः महीने से अधिक समय तक गैरहाजिर रहे तो उसका स्थान खाली हो जाता है। पेरिश-कौंसिल जन्म-मृत्यु तथा विवाह-शादियों का लेखा रखती है, और किसानों को भूमि दिलाने का प्रबन्ध करती है। यह नीचे लिखे कार्य भी कर सकती है:—गाँव में रोशनी; पहरा देना; और स्मशान, स्नानागार, आग बुझाने के एंजिन, मनोरंजन या दिलबहलाव आदि का प्रबन्ध करना।

गरीबों और अपाहिजों को सहायता पहुँचाने के लिए कुछ पेरिशों की मूनियन या समिति स्थापित की गयीं हैं। 'बरो' में भी ऐसी समितियों

की स्थापना हुई है। समिति की एक संस्था संग्रहक बोर्ड (बोर्ड-ऑफ-गार्डियन्स) कहलाती है। उसका प्रधान कार्य दग्गिर लोगों का भोजन-वस्त्र देना तथा चिकित्सा सम्बन्धी सहायता पहुँचाना और मुर्दों के गाड़ने का प्रबन्ध करना है। यह दरिद्रों की आजीविका के लिए काम की व्यवस्था करता है; दग्गिरालयाँ और अपाहिजग्वानों का प्रबन्ध करता है। बोर्ड की आय का मुख्य साधन दरिद्र-रत्ना-कर है।

लन्दन का स्थानीय शासन—इंग्लैंड की राजधानी लंदन है। उसकी कुल जनसंख्या ८७ लाख है; यह समग्र भर के किसी भी राज्य की राजधानी की जनसंख्या से अधिक है। यहाँ के स्थानीय शासन की एक अलग ही व्यवस्था है। इसका स्थानीय शासन स्वामक दो संस्थाओं द्वारा होता है:—(१) लन्दन कारपोरेशन, और (२) लन्दन काउन्टी-कौंसिल। लन्दन कारपोरेशन का कार्यक्षेत्र प्राचीन लन्दन शहर है; और, लन्दन काउन्टी-कौंसिल का कार्यक्षेत्र है, उसके बाहर, नया बसा हुआ लन्दन शहर। लन्दन कारपोरेशन का कार्य लार्ड मेयर, एलडरमेन, और साधारण सदस्यों द्वारा होता है। लन्दन काउन्टी-कौंसिल नये लन्दन शहर का सब (अट्टाईस) काउन्टी-कौंसिलों के ऊपर है। इसका सङ्गठन तथा अधिकार इंग्लैंड की दूसरी काउन्टी-कौंसिलों जैसे हैं। इसे लन्दन कारपोरेशन के सम्बन्ध में भी कुछ अधिकार हैं।

स्थानीय संस्थाएँ और केन्द्रीय सरकार—उन्नामर्वा और वामर्वा सदी में, यहाँ स्थानीय संस्थाओं पर केन्द्रीय सरकार का निरीक्षण और नियंत्रण करने का अधिकार कमशः बड़ा है। अब (१) नीचे निम्ने विभाग व्यापक रूप से उनका निरीक्षण करते हैं—स्वास्थ्य-मंत्री, शिक्षा-बोर्ड, व्यापार-बोर्ड यातायात-मंत्री, गृह-कार्यालय (होम-ऑफिस) और बिजली कमिश्नर। प्रत्येक विभाग के अधिकारी का अपने अपने विषय सम्बन्धी अधिकार है, मिसाल के तौर पर स्वास्थ्य मंत्री स्थानीय संस्थाओं के स्वास्थ्य-कार्य का निरीक्षण करता है। (२)

कुछ विषयों में केन्द्रीय मंत्री ऐसे नियम बना देते हैं, जो स्थानीय संस्थाओं को पालन करते होते हैं। (३) आम तौर से स्थानीय संस्थाओं का ऋण तभी मिलता है, जब केन्द्रीय विभाग उसकी मंजूरी देदे। (४) विशेष कार्यों के लिए केन्द्रीय सरकार की सहायता उसी दशा में मिलती है, जब वह कार्य सन्तोषजनक रीति में किया जाय। (५) स्थानीय संस्थाओं के हिसाब की जाच ज़िले के लेखा-परीक्षक (आडीटर) करते हैं, जिनकी नियुक्ति स्वास्थ्य-मंत्री द्वारा होता है। (६) जनता स्थानीय अधिकारियों के सम्बन्ध में, केन्द्रीय विभागों से शिकायत कर सकती है; इस पर उसकी जाच होकर आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

केन्द्रीय सरकार केवल निरीक्षण या नियंत्रण करती है, वास्तविक कार्य-सम्पादन तो स्थानीय संस्थाओं द्वारा ही होता है, जो जनता द्वारा निर्वाचित सदस्यों की होती हैं। केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त स्थायी कर्मचारी किसी कार्य को स्वयं नहीं करते। इस प्रकार यहाँ अधिकारों का केन्द्रीकरण नहीं है, स्थानीय संस्थाएँ अपने-अपने क्षेत्र में स्वतंत्रता का उपयोग करती हैं, और ब्रिटिश जनता की, विविध क्षेत्रों में, स्वाधीनता बढ़ाने में सहायक होती हैं।



दूसरा खंड ब्रिटिश साम्राज्यके अन्य भाग



तेरहवाँ परिच्छेद

साधारण परिचय

इस भूमंडल में, समय-समय पर कितने ही साम्राज्य हुए हैं। अब भी कई साम्राज्य मौजूद हैं। उनके विविध गुण दोषों का विचार न करके, हमें यहाँ केवल यही कहना है कि इस समय जनसंख्या और विस्तार के विचार से ब्रिटिश साम्राज्य सब से बड़ा-चड़ा है। इसके सब भागों का कुल क्षेत्रफल १३४ लाख वर्ग मील, और जनसंख्या, लगभग ५० करोड़ है। यह क्षेत्रफल और जनसंख्या, संसार के स्थल भाग के क्षेत्रफल, और कुल जनसंख्या के चौथाई चौथाई के लगभग है। इस साम्राज्य की ५० करोड़ जनसंख्या में से करीब पाँच करोड़ तो ब्रिटिश संयुक्त राज्य में ही है। शेष पैतालीस करोड़ में से लगभग उनतालीस करोड़ जनता अकेले भारतवर्ष की है। इस प्रकार ब्रिटिश साम्राज्य की विशालता का मुख्य आधार भारतवर्ष ही है। भारत-के बिना, ब्रिटिश साम्राज्य का अन्य साम्राज्यों की तुलना में कोई खास स्थान नहीं रहता।

ब्रिटिश साम्राज्य का निर्माण कैसे हुआ ?—साम्राज्य-स्थापना के विचार से इंग्लैंड की स्थूल रूप से तीन हालतें रही हैं:—
(१) सोलहवीं सदी में कुछ देशों का पता लगाया गया।

(२) मतरहवा सदी में कुल्ल उपनिवेश बसाये गये, (३) पाँछे, विजय और कूटनीति में, और चतुराई या हांशयारी में अनेक प्रदेशों पर अधिकार किया गया ।

संसार के जो हिस्से इस साम्राज्य में शामिल हुए हैं, उनमें से एक भारतवर्ष को छोड़कर शेर या तो बीगन थे, या बहा ऐसे आदमी रहते थे, जिन बेचारे के पास 'सभ्य' मनुष्यों से लड़ने के साधन या इच्छा न थी । योरपियनों की जो टोली जहाँ पहुँच गयी, उसने वहाँ अधिकार कर लिया । पंद्रहवीं सदी के अन्त में योरपीय देशों के साहसा यात्री नये नये ऐसे देशों की खोज में निकले, जो उन्हें मालूम न थे । स्पेन पुर्तगाल इस कार्य में सबसे आगे थे । फ्रांस और हालैंड भाँ इंगलैंड से पहले कार्यक्षेत्र में आगये थे । इसलिए अंगरेजों की इन्हीं देशों के आदिमियों से मुठभेड़ हुई, नये प्रदेशों के मूल निवासियों से नहीं । दूसरे योरपियन, आरम्भ में अंगरेजों की अपेक्षा बलवान थे, तो भी वे हार गये । इसका एक कारण यह हुआ कि उन्हें लड़ाई के लिए अपने-अपने देशों से जन-धन का इन्तजाम करना पड़ता था, इसके खिलाफ, अंगरेज उस समय के धार्मिक अत्याचार आदि के कारण नये प्रदेशों में ही जाकर बस गये थे । इसके अलावा दूसरे योरपियन देशों की शक्ति बढी हुई थी । वे योरप में ठबदया जमाने के लिए आपस में लड़ते रहते थे, और विदेशों में भी पैर जमाना चाहते थे । आपस की हाँड़ के कारण इनकी शक्ति बहुत घट चुकी थी । इसलिए इंगलैंड को इन पर विजय पाने में विशेष अमुविधान न हुई । स्पेनवालों ने सोलहवीं सदी के अन्त (मन् १५८८ ई०) में इंगलैंड पर आक्रमण किया, परन्तु उस समय खाड़ी में भयंकर तूफान आजाने से उसका 'अरमाडा' नाम का विशाल बेड़ा नष्ट हो गया और इंगलैंड की, दूसरे देशों पर धाक जम गयी । फिर इसने दूसरों के द्वारा खोज किये हुए, और दूसरों के साफ किये हुए नये देशों पर धीरे धीरे अधिकार करने की ठानी, और ऊपर बताये हुए कारणों से

यह हममें सफल हो गया। इस तरह ब्रिटेन की साम्राज्य-पताका अमरीका, अफ्रीका, और आस्ट्रेलिया आदि के विविध भागों तथा बहुत नए टापुओं पर फहराने लगी।

यह तो साम्राज्य के उन भागों की बात हुई, जो वारान थे, जिनके निवासी असभ्य थे। भारतवर्ष ऐसा नहीं था। अंगरेज यहाँ हमें जीतने के इरादे में नहीं आये थे। यहाँ आने का उनका मुख्य प्रकट या ज़ाहिश उद्देश्य व्यापार करना था, और वे नम्र व्यापारी के रूप में ही यहाँ आये। धीरे-धीरे अपनी कौटिल्य की रक्षा के लिए ये सैनिक प्रवृत्त करने लगे। उन दिनों यहाँ पुर्तगाल, हालैंड और फ्रांस वाले भी अड़्डा जमाने की कोशिश में थे, उनकी अंगरेजों में ईर्ष्या और हाँड़ होना स्वाभाविक थी। विदेशी ताकतों के आपस में घोर युद्ध हुए, जिनमें अज्ञान अथवा फूट के कारण भारतवासियों ने भी भाग लिया। अन्त में विजय अंगरेजों की रही, और इन्होंने सन् १८५७ तक छल बल या कौशल से भारत के बहुत से हिस्से पर प्रत्यक्ष अथवा गौण रूप से अपना अधिकार जमा लिया। याद रहे कि योरपियनों ने अकसर चालाकियाँ, युक्तियों और पटुयंत्रों से काम लिया, और कुछ खास दशाओं में ही तलवार का उपयोग किया। फिर, योरपियन सैनिकों की संख्या भी उस समय यहाँ बहुत कम थी। अंगरेजों ने ज्यादातर यहाँ के ही एक देशी राज्य के राजा या सरदारों को धन या पद का लालच देकर उनके बल पर दूसरे राज्य को, और कभी-कभी उसी राज्य का 'विजय' किया। इस प्रकार उन्होंने अधिकांश में भारतवासियों की ही सहायता से, उनकी तलवार से, इस देश में अपना साम्राज्य स्थापित किया।

साम्राज्य-निर्माण के कारण—ब्रिटिश साम्राज्य के बनने में नीचे लिखी बातें सहायक हुई हैं :—

(क) इंगलैंड की भौगोलिक स्थिति, जिसका वर्णन इस पुस्तक के पहले अध्याय में किया जा चुका है, इस कार्य के लिए अनुकूल थी। देश छोटा तथा चारों तरफ समुद्र से घिरा होने के कारण अच्छी तरह

सुरक्षित भी था। फिर यहाँ जीवन-निर्वाह की कठिनाइयों से लाचार होकर, अंगरेजों को बाहर जाने-आने और विघ्न-बाधाओं का सामना करने की आदत डालनी पड़ी। इससे इन्हें उपनिवेश बसाने में सुविधा मिली।

(ख) इंगलैंड की सोलहवीं सतरहवीं सदी की धार्मिक असहिष्णुता ने भी अंगरेजों को साम्राज्य-निर्माण में बहुत सहायता दी। जिन लोगों को धार्मिक अत्याचार न सह सकने के कारण स्वदेश में रहना कठिन हो गया, वे जहाज़ों पर चढ़कर इधर-उधर निकल पड़े और तरह तरह की मुसीबतों का सामना करके संसार के बहुत से हिस्सों में पहुँच गये।

(ग) अंगरेज पादरियों का भी साम्राज्य-निर्माण में बड़ा भाग है। अपने राज्य या देश-भाइयों को सहायता पाकर, ये अपने धर्म और अपनी सभ्यता का प्रचार करने के लिए, दूर देशों में गये। धीरे-धीरे इन्होंने उनके निवासियों को ईसाई बनाया। जब जब इन नये ईसाइयों तथा पुराने धर्म वालों का विरोध हुआ और अशान्ति मची तो इन्होंने उसके खूब बड़े-चढ़े समाचार भेजकर अपने देशवालों की तथा अपने धर्म वाले दूसरे लोगों की, सहानुभूति प्राप्त की, और अन्त में सैनिक शक्ति से रौब जमाकर अंगरेजों ने नये देश में कुछ न कुछ अधिकार पा लिया।

[श्री० डाक्टर वी० शिवराम ने अपनी पुस्तक (कम्पेरेटिव कालो-नियल पालिसी) में लिखा है कि केवल मिशनरियों के ही कार्य से ब्रिटिश साम्राज्य में आस्ट्रेलिया, फिजी, दक्षिण और मध्य अफ्रीका, सीरालोन, वर्मा और गायना आदि महत्वपूर्ण उपनिवेशों में अपनी जड़ जमायी। इन तमाम स्थानों में व्यापारिक सम्बन्ध या राजनैतिक नियंत्रण होने से बहुत पहले मिशनरियों के अड्डे बन गये थे।]

(घ) नेपोलियन ने कहा था कि अंगरेज जाति दुकानदारों की जाति है। अंगरेजों के व्यापार-कौशल ने भी इनका साम्राज्य बढ़ाने में

बड़ा सहारा लगाया है। भारतवर्ष आदि अनेक देशों में पहले पहल व्यापार के नाते ही अंगरेजों ने अपने पैर जमाये थे।

(च) अंगरेजों की महाजनी प्रकृति भी साम्राज्य-विस्तार में सहायक हुई है। संयुक्त-राज्य अमरीका के भूतपूर्व राष्ट्रपति विलसन का यह कथन ठीक ही है कि पूंजी की चालें विजय की चालें हैं। जिस निर्वल देश ने अंगरेजों से रुपया उधार लिया, वह पीछे जाकर इनके प्रभाव में आ गया; इन्हें वहाँ व्यापार आदि की विशेष सुविधाएँ मिल गयीं। अपनी रक्षा के लिए इन्होंने वहाँ अपनी सेना रख ली, और एक-एक मंजिल तय करके, बहुधा अग्रणी की जमानत में देश का एक भाग गिरवी रखकर, इन्होंने सारे देश में अपना सौब जमा लिया। फ़ारिस, चीन, मिश्र आदि में कुछ-कुछ इसी तरह अंगरेजों का दग्वल हुआ।

जो हो, अंगरेज कई कारणों से बाहर गये, उन देशों की हालत देखी भाली। जहाँ जैसा मौका मिला, उससे लाभ उठाया और साम्राज्य कायम किया। जुदा-जुदा देशों का कुछ खास विचार आगे प्रसंग आने पर किया जायगा।

साम्राज्य में रहनेवाली जातियाँ—मोटे तौर से साम्राज्य के सब हिस्से दो श्रेणियों में बाँटे जा सकते हैं। एक श्रेणी में वे भाग हैं, जिनमें खुद अंगरेजों की, या दूसरी योरपीय जातियों के आदमियों की, संख्या अथवा प्रभुता विशेष है। इनमें सभ्यता, विज्ञान, नानि आदि की विशेष उन्नति है। इन्हें स्वराज्य के लगभग पूरे अधिकार हैं। दूसरी श्रेणी में वे भाग हैं, जिनके निवासी गैर-योरपियन जातियों के हैं; इनमें विविध प्रकार की उन्नति बहुत कम है, ये आधुनिक सभ्यता में पिछड़े हुए माने जाते हैं, या इनमें आपसी मतभेद है और संगठन की कमी है। ये भाग ज्यादातर परतंत्र हैं। इन गैर-योरपियन या अनगोरी जातियों की पराधीनता के कारण ही छोटे से ब्रिटिश

टापू का इतना बड़ा साम्राज्य बना हुआ है। अब हम यह विचार करते हैं कि राजनैतिक दृष्टि से इस साम्राज्य के कितने भाग हैं।

राजनैतिक भाग— ब्रिटिश साम्राज्य का संगठन बहुत पेचीदा है। ब्रिटिश संयुक्त राज्य को छोड़कर, बाकी साम्राज्य के मुख्य राजनैतिक भाग ये हैं :-

(१) डोमिनियन या स्वराज्य-प्राप्त प्रदेश। इनमें (क) केनेडा, (ग्व) दक्षिण अफ्रीका का यूनियन, (ग) आस्ट्रेलिया, (घ) न्यूजीलैंड, (च) न्यूफाउंडलैंड और (ल) आयर (दक्षिण आयरलैंड) है। इनके दो भेद किये जा सकते हैं :- (अ) जो उपनिवेश हैं, और (आ) जो उपनिवेश नहीं हैं। ऊपर जो लः डोमिनियन बतायी गयी हैं, उनमें से प्रथम पाँच तो (स्वराज्य-प्राप्त) उपनिवेश ही हैं, केवल आयर ही ऐसा है, जो उपनिवेश नहीं है।

(२) भारतवर्ष और बर्मा।

(३) उपनिवेश-विभाग के अधीन प्रदेश। इनमें से ज्यादातर उपनिवेश हैं। इनकी संख्या बहुत बड़ी है। इनमें से कुछ में उत्तम-दायी शासन आरम्भ किया गया है; मिसाल के तौर पर सीलोन (लका)।

(४) रक्षित राज्य (प्रोटेक्टोरेड स्टेट्स)। इनमें प्रभुत्व तो अपने-अपने राजा का है, परन्तु ब्रिटिश सरकार को बाहरी विषयों में, अथवा बाहरी और भीतरी दोनों प्रकार के विषयों में; कुछ राजनैतिक अधिकार हैं उदाहरण के लिए, मुडान।

[जब किसी कमज़ोर शासक को किसी के हमले का डर होता है, अथवा जब कोई उस पर हमला कर देता है, तो वह अक्सर अपनी रक्षा के लिए या तो हमला करनेवाले राज्य की ही, या किसी दूसरे बलवान राज्य की, शरण लेकर उसकी कुछ अधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर हो जाता है। इस प्रकार वह अपने राज्य को हारा हुआ या पराधीन बनाने की जोखिम उठाने की अपेक्षा, उसे किसी का रक्षित राज्य बनाना स्वीकार कर लेता है। संरक्षक बननेवाले राज्य को

अपने रक्षित राज्य में कुछ अधिकार सहज ही मिल जाते हैं। इस लिए अकसर बलवान राज्यों की यह इच्छा रहती है कि अधिक-से-अधिक देश हमारी संरक्षकता स्वीकार करले। वे इस बात का प्रयत्न करते रहते हैं कि अवसर मिलते ही, वे उन राज्यों को अपनी संरक्षकता में ले आवे, जो उनसे कमजोर होने पर भी उनके अधीन न हों।]

रक्षित राज्यों के मुख्य लक्षण ये होते हैं:—(क) ये संरक्षक राज्य के अंग नहीं होते, (ख) संरक्षक राज्य उनके बाहरी मामलों के सम्बन्ध में पूरा अधिकार रखता है, कोई दूसरा राज्य इन राज्यों से सीधा राजनैतिक सम्बन्ध नहीं कर सकता, यदि कोई राजनैतिक सम्बन्ध स्थापित होता है तो संरक्षक राज्य द्वारा ही हो सकता है। (ग) संरक्षक राज्य को अपने रक्षित राज्य की शासनपद्धति में ऐसी व्यवस्था करना होती है कि वहाँ दूसरे राज्यों की जनता के नागरिक अधिकारों का उचित ध्यान रहे। (घ) रक्षित राज्य बनने से अकसर उस राज्य का, अधीन राज्य बनजाने का रास्ता खुल जाता है।

ब्रिटिश साम्राज्य के दूसरे भागों की शासनपद्धति आगे बतायी जायगी।

चौदहवाँ परिच्छेद

स्वराज्य-प्राप्त प्रदेश और ब्रिटिश सरकार

डोमिनियन स्टेट्स—ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्येक स्वराज्य-प्राप्त प्रदेश की शासनपद्धति के सम्बन्ध में अलग-अलग लिखने से पहले इस बात का विचार किया जाना आवश्यक है कि इन प्रदेशों का ब्रिटिश सरकार से क्या सम्बन्ध है। यहाँ 'स्वराज्य-प्राप्त प्रदेश' शब्द का व्यवहार उन राज्यों के लिए किया जाता है, जिन्हें अंगरेजी में 'डोमिनियन' कहा जाता है। इन प्रदेशों के पद या स्थिति के लिए अंगरेजी

शब्द 'डोमिनियन स्टेट्स' है। और, क्योंकि इस समय ये अपने भीतरी तथा बाहरी सब विषयों में करीब करीब पूरा स्वराज्य पाये हुए हैं, अतः 'डोमिनियन स्टेट्स' का अर्थ व्यवहार में साम्राज्यान्तर्गत (साम्राज्य के अन्दर) स्वराज्य हो गया है। कुछ लेखक 'डोमोनियन स्टेट्स' के लिए 'अपनिवेशिक स्वराज्य' शब्द का प्रयोग करते हैं।

साम्राज्यान्तर्गत स्वराज्य-प्राप्ति का क्रम—ब्रिटिश साम्राज्य के सब भागों को उनका वर्तमान राजनैतिक पद एक ही रीति में नहीं मिला। शासन-सुधार का क्रम अलग-अलग रहा है। खास प्रगति उन उपनिवेशों में हुई, जिनमें अंगरेजों या योरपियनों की संख्या अधिक थी। पहले उपनिवेशों में भीतरी शासन का अधिकार पाने पर जोर दिया गया, पीछे कुछ ने अपने बाहरी यानी दूसरे देशों सम्बन्धी नीति भी खुद ही तय करने की ओर ध्यान दिया। जिन उपनिवेशों ने इसमें सबसे ज्यादा सफलता पायी, वे अब स्वराज्य पाये हुए प्रदेश हैं; ये बहुत कुछ इंग्लैंड की बराबरी के हो गये हैं।

कभी कभी 'ब्रिटिश साम्राज्य' के लिए 'ब्रिटिश कामनवेल्थ' शब्द का उपयोग किया जाता है। 'कामनवेल्थ' का अर्थ है, जनपद या राष्ट्र-मंडल। परन्तु ब्रिटिश कामनवेल्थ कहते समय ब्रिटिश साम्राज्य की पूर्णता का इतना ध्यान नहीं रखा जाता, जितना इस बात का कि साम्राज्य में कई (छः) भाग ऐसे हैं, जो प्रायः इंग्लैंड की बराबरी के हैं, और अपने भीतरी या बाहरी विषयों में एक दूसरे के अधीन नहीं हैं।

साम्राज्यान्तर्गत भागों के स्वराज्य की प्रगति एक सदा से हुई है, तो भी पिछले तीस वर्ष से इसमें बहुत वृद्धि हुई है; इसका मुख्य कारण यह है जब से इन प्रदेशों ने यॉरपीय महायुद्ध (१९१४-१८) में भाग लिया, उनमें राष्ट्रीयता की भावना का बहुत तेज विकास हुआ और वे यह चाहने लगे कि हम विदेश-नीति में भी अपना स्वतन्त्र और स्पष्ट मत सूचित किया करें। पीछे शान्ति-परिषद और राष्ट्र-संघ

में शामिल होने से उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व मिल गया। सन् १९२६ की साम्राज्य-परिषद ने ब्रिटिश साम्राज्य की उस समय की परिस्थिति का नियमानुसार मान लिया है। इसके बाद की वैधानिक बातें प्रायः उस परिषद की रिपोर्ट में बताये हुए मिष्ठान्तों में ही निकली हैं।

इम्पीरियल कान्फ्रेंस—उन्नीसवीं सदी के पिछले हिस्से तक ब्रिटिश सरकार उपनिवेशों के मामलों में बहुत-कुछ स्वयं ह. निर्णय कर देती थी, उनमें विशेष परामर्श नहीं किया जाता था। सबसे पहले 'कालोनियल कान्फ्रेंस' (उपनिवेश-परिषद) सन् १८८७ में महारानी विक्टोरिया की जुबिली के अवसर पर हुई। उपनिवेशों के विषय में कोई खास निर्णय नहीं हुआ; उसमें पहले साम्राज्य के संघ-शासन की चर्चा थी, उसका भी प्रस्ताव उपस्थित न किया गया। पीछे इस परिषद के अधिवेशन १८९७, १९०२ और १९०७ में हुए। सन् १९०७ ई० से परिषद का नाम 'इम्पीरियल कान्फ्रेंस' या साम्राज्य-परिषद हो गया। इसके अधिवेशन महत्वपूर्ण होने लगे। यह विचार हुआ कि स्वराज्य-प्राप्त उपनिवेशों के प्रधान मंत्री, तथा साम्राज्य के अन्य भागों की ओर से इंगलैंड का उपनिवेश-मंत्री इसमें सम्मिलित हो, सभापति का पद इंगलैंड का प्रधान मंत्री ग्रहण किया करे और अधिवेशन चौथे वर्ष हो, परिषद के प्रस्ताव परामर्श के रूप में ही हों, विरुद्ध मत रखनेवालों के लिए उनका बंधन न हो।

इम्पीरियल कान्फ्रेंस का पहला अधिवेशन सन् १९११ में हुआ। ग्रेटब्रिटेन चाहता था कि उपनिवेश उसकी जल-सेना के लिए सहायता दें, परन्तु आस्ट्रेलिया आदि ने अपनी छोटी-छोटी जल-सेनाएँ अलग रखना ही अच्छा समझा। सन् १९१५ में महायुद्ध के कारण कान्फ्रेंस का साधारण अधिवेशन न हो सका। पीछे सन् १९१७ में इंगलैंड के प्रधान मंत्री ने स्वराज्य-प्राप्त उपनिवेशों के प्रधान मंत्रियों को इंगलैंड के युद्ध-मंत्रिमंडल की खास बैठकों में भाग लेने के लिए बुलाया।

भारतवर्ष के भी 'प्रतिनिधि' लिये गये। इस प्रकार बड़ा हुआ मंत्रिमंडल 'साम्राज्य-युद्ध मंत्रिमण्डल' कहा जाने लगा। युद्ध और शान्ति सम्बन्धी बहुत महत्वपूर्ण तथा जरूरी विषयों का विचार इसी में हुआ। इसका सभापति इंग्लैंड का प्रधान मंत्री होता था। युद्ध के कम महत्व के विषय, या ऐसे विषय जिनका युद्ध से सीधा सम्बन्ध नहीं था, उनका विचार साम्राज्य-युद्ध-परिषद में हुआ; इसका सभापति इंग्लैंड का उपनिवेश-मंत्री होता था।

यह निश्चय किया गया कि स्वराज्य-प्राप्त उपनिवेशों को साम्राज्य-कामनवेल्थ के स्वतन्त्र राष्ट्र, और भारतवर्ष को उसका एक महत्वपूर्ण अंग, माना जायगा। इन उपनिवेशों तथा भारतवर्ष को विदेश-नीति के सम्बन्ध में अपना मत प्रकट करने का पूरा अधिकार होगा। इस बात की यथेष्ट व्यवस्था की जायगी कि जिन महत्वपूर्ण विषयों का सम्बन्ध साम्राज्य के कई भागों से हो, उनका निर्णय आपस की सलाह से किया जाय; और, उस सलाह के आधार पर, अलग-अलग सरकारों के निश्चय के अनुसार, सम्मिलित कार्रवाई की जाय।

योरपीय महायुद्ध (१९१४-१८) में उपनिवेशों तथा भारतवर्ष ने इंग्लैंड की खूब सहायता की। महायुद्ध समाप्त होने पर स्वराज्य-प्राप्त उपनिवेशों ने वासाई के संधि-पत्र पर हस्ताक्षर करके राष्ट्र-संघ की स्वतन्त्र सदस्यता प्राप्त की। तब से ये प्रदेश प्रायः ब्रिटेन की बराबरी के हो गये। यद्यपि भारतवर्ष की ओर से भी, वासाई के संधि-पत्र पर हस्ताक्षर किये गये थे, और यह देश राष्ट्र-संघ का सदस्य भी बनाया गया, इसे वह राजनैतिक पद प्राप्त नहीं हुआ, जो स्वराज्य-प्राप्त प्रदेशों को मिला।

साम्राज्य-परिषद में गत योरपीय महायुद्ध से पहले भारतवर्ष की ओर से कोई अलग आदमी भाग नहीं लेता था; पीछे भारत-मंत्री, तथा भारत-सरकार से नामजद किये हुए दो आदमी इसके अधिवेशनों में शामिल होने लगे। साम्राज्य-परिषद के, सन् १९२६ के अधिवेशन में

सर्वसम्मति से यह स्वीकार किया गया कि ग्रेटब्रिटेन, और साम्राज्य के स्वराज्य प्राप्त प्रदेशों का पद आपस में बराबर है। भीतरी या बाहरी किसी विषय में कोई दूसरे के अधीन नहीं है; बादशाह के प्रति राजभक्ति रखने से सब एक सूत्र में बंधे हैं, और ब्रिटिश कामनवेल्थ के सदस्य होने की हैसियत से वे स्वतंत्रता पूर्वक मिले हुए हैं।

परिषद ने यह भी निश्चय किया कि हरेक स्वराज्य-प्राप्त प्रदेश का गवर्नर जनरल बादशाह का प्रतिनिधि है, उसका उस प्रदेश के शासन सम्बन्धी महत्वपूर्ण विषयों में वही पद है, जो बादशाह का ग्रेटब्रिटेन में है। परिषद ने इन प्रदेशों के संधि करने के भी कुछ अधिकारों को स्वीकार किया। उसकी सिफारिश के अनुसार सन् १८२६ में इन प्रदेशों की मावी शासन-व्यवस्था के सम्बन्ध में विचार करने के लिए एक कमेटी नियत की गयी। इस कमेटी ने सिफारिश की कि ब्रिटिश पार्लिमेंट सन् १८२६ की परिषद के निश्चय के आधार पर एक कानून बनाये। साम्राज्य-परिषद के अगले अधिवेशन में, जो सन् १८३० में हुआ, इस विषय पर आवश्यक विचार हुआ। अन्त में पार्लिमेंट ने परिषद के सन् १८२६ और १८३० के प्रस्तावों को अमल में लाने के लिए सन् १८३१ में 'वेस्टमिन्स्टर-स्टेट्यूट' नाम का कानून बनाया। स्वराज्य-प्राप्त उपनिवेशों और आयरिश फ्री स्टेट ने इसी वर्ष इस कानून को स्वीकार कर लिया। अब ब्रिटिश सरकार और स्वराज्य-प्राप्त प्रदेशों का सम्बन्ध इसी कानून के अनुसार है।

वेस्टमिन्स्टर कानून—इस कानून की प्रस्तावना में कहा गया है कि (क) क्योंकि बादशाह ब्रिटिश कामनवेल्थ के सदस्यों के स्वतंत्र मेल की निशानी है, और वे सदस्य बादशाह के प्रति राजभक्ति रखते हुए आपस में मिले हुए हैं, बादशाह के उत्तराधिकार, पद या सम्मान आदि के कानून के परिवर्तन के बारे में ब्रिटिश पार्लिमेंट के साथ-साथ स्वराज्य-प्राप्त प्रदेशों की पार्लिमेंटों की भी स्वीकृति आवश्यक होगी। (ख) अब से, ब्रिटिश संयुक्त राज्य की पार्लिमेंट द्वारा बनाया हुआ

कोई कानून किसी स्वराज्य-प्राप्त प्रदेश के कानूनों का भाग नहीं माना जायगा, जब तक कि वह प्रदेश उसके लिए प्रार्थना न करे, और उससे सहमत न हो।

इस कानून में 'डोमिनियन' (स्वराज्य-प्राप्त प्रदेश) की कोई परिभाषा या व्याख्या न देकर उनके नाम गिना दिये गये हैं। इस कानून की मुख्य बात यह है कि साम्राज्य के किसी स्वराज्य-प्राप्त प्रदेश का भविष्य में बननेवाला कोई कानून या उसका कोई अंश इस आधार पर रद्द नहीं होगा कि उसका ब्रिटिश पार्लिमेंट द्वारा बनाये हुए कानून या नियम से मेल नहीं बैठता। स्वराज्य-प्राप्त प्रदेश की पार्लिमेंट का यह अधिकार होगा कि वह ब्रिटिश पार्लिमेंट के कानून को उस सीमा तक रद्द या संशोधित करे, जहाँ तक उसका सम्बन्ध उस प्रदेश से हो।

अब स्वराज्य-प्राप्त प्रदेशों की शासन-नीति सम्बन्धी कुछ मुख्य मुख्य बातों पर ब्योरेवार विचार किया जाता है।

गवर्नर-जनरल—स्वराज्य-प्राप्त प्रदेशों में से, अब आयरलैंड में तो गवर्नर-जनरल है ही नहीं। न्यूजीलैंड ने अपने गवर्नर-जनरल को और न्यूफाउंडलैंड ने अपने गवर्नर को, पहले की तरह बादशाह के एवं ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में रखा है। शेष तीन उप-निवेशों में गवर्नर-जनरल का वही स्थान है, जो बादशाह का इंग्लैंड की शासन-व्यवस्था में है; वह बादशाह का प्रतिनिधि है, न कि ब्रिटिश सरकार या उसके किसी अंग का।

[ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में केनेडा और दक्षिण अफ्रीका में हाई-कमिश्नर और आस्ट्रेलिया में 'रेप्रजेजेटिव' रहता है। आयरलैंड में इस प्रकार का कोई पदधिकारी नहीं रहता।]

अब ब्रिटिश सरकार और साम्राज्य के अन्य स्वराज्य प्राप्त भागों की सरकारों में जो पत्रव्यवहार होता है, वह प्रधान मन्त्रियों द्वारा होता है, न कि गवर्नर-जनरल द्वारा। गवर्नर-जनरल को मुख्य मुख्य सरकारी कागज़ों की कापी भेज दी जाती है, उसे प्रबन्धकारिणी सभा के

निश्चयों की सूचना उसी प्रकार दी जाती है, जिस प्रकार इंग्लैंड के बादशाह को वहाँ के मंत्रिमंडल के निश्चयों की ।

गवर्नर-जनरल बादशाह का प्रतिनिधि होने के कारण सीधा बादशाह से पत्रव्यवहार कर सकता है । गवर्नर-जनरल की नियुक्ति बादशाह करता है, परन्तु नियुक्ति स्वराज्य-प्राप्त प्रदेश की इच्छा के अनुसार ही की जाती है । गवर्नर-जनरल का कार्यकाल साधारण तौर से पाँच या छः साल होता है । इस बीच में उसके वेतन में कर्मा नहीं की जाती ।

आस्ट्रेलिया (की कामनवेल्थ) के छः प्रान्तों में से हरेक के लिए गवर्नर की नियुक्ति भी बादशाह द्वारा होती है । इनकी नियुक्ति बादशाह ब्रिटिश सरकार के परामर्श के अनुसार करता है ।

संधि करने का अधिकार—जब कोई स्वराज्य-प्राप्त प्रदेश साम्राज्य में बाहर के देश से संधि करना चाहता है तो उसे इस बात का अच्छी तरह विचार कर लेना चाहिए कि इस का साम्राज्य के दूसरे हिस्सों की सरकारों पर क्या प्रभाव पड़ने की सम्भावना है; और, जिन सरकारों से उस संधि का सम्बन्ध आता हो, उन्हें उसकी सूचना दे देनी चाहिए, जिससे वे इसके विषय में विचार कर सकें । इस प्रकार की सूचना पानेवाली हरेक सरकार का कर्तव्य है कि वह जहाँ तक होसके, जल्दी उस संधि के सम्बन्ध में अपना विचार ज़ाहिर करे । जब तक कि संधि का प्रस्ताव करनेवाली सरकार को दूसरी सरकारों के विरोध की सूचना न मिले, वह यह मानते हुए अपनी कार्रवाई जारी रख सकती है कि संधि आम तौर से सब को मान्य है । तो भी दूसरी सरकारों पर किसी प्रकार का बंधन डालने वाली बात करने से पहले यह आवश्यक है कि उनकी साफ राजामन्दी ले ली जाय । यदि सूचना पानेवाली कोई सरकार संधि के बारे में विशेष विचार करना आवश्यक समझे तो वह इस के लिए अपना प्रतिनिधि नियत करदे । ऐसे प्रतिनिधियों से विचार-विनिमय और समझौते के बाद संधि का मसविदा

तैयार किया जाता है, और उस पर उक्त प्रदेश का, बादशाह द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि हस्ताक्षर करता है। इसके बाद संधि करनेवाले प्रदेश की सरकार अपनी पार्लिमेंट की सलाह से उस पर अपनी मंजूरी देती है। तब वह संधि अमल में आती है। इस में ब्रिटिश सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करती।

जब कोई स्वराज्य-प्राप्त प्रदेश दूसरे स्वराज्य-प्राप्त प्रदेश या प्रदेशों से संधि करना चाहता है, या संधि का विषय ऐसा होता है, जिसका सम्बन्ध साम्राज्य भर से होता है तो साम्राज्य की एकता की भावना रखने का प्रयत्न किया जाता है। साम्राज्य के स्वराज्य-प्राप्त प्रदेशों तथा इंगलैंड की सरकार उसके सम्बन्ध में आपस में विचार-विनिमय करती हैं। यदि आवश्यक होता है तो सब सरकारों के प्रतिनिधियों की कान्फ्रेंस की जाती है। कान्फ्रेंस में सौच विचार या बहस के बाद संधि की शर्तें तय की जाती हैं। संधि के अन्तिम स्वरूप का निश्चय होजाने पर विविध सरकारों के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर होते हैं। पीछे हरेक सरकार अपनी-अपनी पार्लिमेंट की सलाह से संधि की स्वीकृति देती है।

यदि ब्रिटिश सरकार किसी देश से संधि करती है तो वह संधि साम्राज्य के किसी स्वराज्य-प्राप्त प्रदेश पर उस समय तक लागू नहीं होती, जब तक कि उस प्रदेश की सरकार स्वतंत्र रूप से उस पर अपनी स्वीकृति न दे दे।

[सन् १९२२ में ब्रिटिश सरकार ने टर्की से लासेन की संधि की। हालांकि इसके मसविदे के बारे में कनेडा की सरकार को सूचित कर दिया गया था, उसने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसे ऐसी संधि का उत्तरदायित्व लेना पसन्द न था, जिसके करने में उसके प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया। सन् १९२३ में कनेडा की संयुक्त-राज्य अमरीका से 'हेलिवट फिशरी ट्रीटी' नाम की संधि हुई, इसके सम्बन्ध में बातचीत ('नेगोसियेशन') ब्रिटिश सरकार के, वाशिंगटन में रहनेवाले राजदूत द्वारा हुई थी, और यह कार्य कनेडा की

सरकार की इच्छानुसार हुआ था । परन्तु जब यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि केनेडा के मंत्री के साथ ब्रिटिश राजदूत के भी उस पर हस्ताक्षर हो तां केनेडा की सरकार ने साफ-साफ कह दिया कि संधि का सम्बन्ध केनेडा की ब्रिटिश प्रजा और केनेडा की सरकार से है; इसलिए इस पर केवल केनेडा के ही प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर होने चाहिए । पीछे यह दृष्टिकोण ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार कर लिया । केनेडा की इस संधि सम्बन्धी व्याख्या को संयुक्त-राज्य अमरीका ने भी मान लिया और संधि नियमित रूप से होगयी । सन् १९२३ की साम्राज्य-परिषद ने स्वाधीन प्रदेशों के संधि करने के अधिकार सम्बन्धी इस तरह की कार्रवाई का समर्थन कर दिया ।]

विदेश-नीति—साम्राज्य-परिषद में यह निश्चय हुआ था कि विदेश-नीति का ज्यादातर उत्तरदायित्व अभी कुछ समय तक ब्रिटिश सरकार पर रहना चाहिए । परन्तु यह ध्यान रखा जायगा कि ब्रिटिश साम्राज्य का कोई स्वराज्य-प्राप्त प्रदेश अपनी सरकार की स्वीकृति के बिना, किसी बन्धन को मानने के लिए मजबूर न होगा । दो प्रदेशों ने साफ कह दिया था कि यद्यपि हमने पिछले योरपीय महायुद्ध में इंगलैंड की सहायता की है, हम भविष्य में उस समय तक मदद नहीं करेंगे जब तक युद्ध के बारे में हमारा परामर्श पहले से न ले लिया जायगा, और हम उससे सहमत न हो जायेंगे ।

स्वराज्य-प्राप्त प्रदेश विदेशी राज्यों में अपने स्वतंत्र राजदूत रख सकते हैं । उदाहरण के लिए केनेडा का अपना राजदूत वाशिंगटन (अमरीका के संयुक्त-राज्य) में रहता है ।

स्वराज्य-प्राप्त उपनिवेशों की विदेश-नीति सम्बन्धी एक विचार करने की बात हिन्दुस्तानियों के वहाँ जाने और बसने की है । अक्सर इन उपनिवेशों में भारतवासियों को जाकर रहने का अधिकार नहीं है । यद्यपि उनका क्षेत्रफल बहुत अधिक है, और वहाँ की पैदावार से जितनी जनता का निर्वाह हो सकता है, उनकी अपेक्षा वहाँ बहुत कम

लोगों की आबादी है। किसी उपनिवेश में तो खुले तौर से, और किसी में सभ्यता या योग्यता के नियम की आड़ में, इन्हें वहाँ रहने के अयोग्य ठहराया जाता है। उपनिवेशों में वर्णभेद की भावना प्रचंड है, वे अरनगोरी का निवास पसन्द नहीं करते, और जो भारतवासी वहाँ जाकर रहने लग गये हैं, उन्हें निकालने के लिए तरह-तरह के उपाय काम में लाते हैं। खासकर दक्षिण अफ्रीका का यूनियन यह चाहता है कि उन्हीं भारतवासियों को बराबरी का अधिकार दिया जाय, जो योरपीय सभ्यता को अपना ले; दूसरे भारतवासी वहाँ से निकाल दिये जायें।

साम्राज्य-परिषद् दक्षिण अफ्रीका आदि उपनिवेशों पर दबाव डाल कर उनकी नीति भारतवासियों के अनुकूल नहीं बना सकी; हाँ, वह कभी-कभी कुछ समझाने-बुझाने का काम करती है। उसका मत है कि जो भारतवासी कानून के अनुसार इन उपनिवेशों में बस गये हैं, उनका नागरिकता का अधिकार स्वीकार किया जाय। परन्तु उपनिवेश इस बात का निश्चय करने में स्वाधीन हैं कि वे अपनी जनता में कहीं तक दूसरे देशों के आदिमियों को मिलने दें।

रक्षा सम्बन्धी नीति—आरम्भ में, साम्राज्य के सभी भागों की रक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार अपनी सेनाओं द्वारा प्रबन्ध करती थी। इसमें धीरे-धीरे परिवर्तन हुआ। सन् १६८३ और १६८६ की साम्राज्य-परिषदों में यह निश्चय हुआ कि साम्राज्य के प्रत्येक स्वराज्य-प्राप्त भाग की पार्लिमेंट अपनी-अपनी सरकार की सिफारिश पर यह निश्चय करे कि उसे अपने प्रदेश की रक्षा के लिए क्या-क्या उपाय करने चाहिएँ। अपने यहाँ की भीतरी तथा बाहरी रक्षा करने का मुख्य उत्तरदायित्व उस प्रदेश की सरकार पर है। जहाँ तक सम्भव हो, प्रत्येक प्रदेश में जल-सेना, स्थल-सेना और वायु-सेना की उन्नति इस प्रकार की जाय कि उसकी व्यवस्था, ट्रेनिंग, हथियार, स्टोर और दूसरा मामान एक ही ढङ्ग का हो, जिससे वह दूसरे उपनिवेशों की सेना से, आवश्यकता

होने पर, शीघ्र ही सहयोग कर सके। साम्राज्य-परिषद रक्षा सम्बन्धी मोटी-मोटी बातों का विचार करती है। इस विषय का विशेष विचार करने के लिए साम्राज्य-रक्षा-कमेटी है, और व्यंरेवार बातों को उसकी एक उपसमिति तय करती है, जिसका नाम 'ओवरसीज़ डिफेन्स सब-कमेटी' है।

न्याय सम्बन्धी अपील—प्रिवी कौंसिल के सम्बन्ध में, चौथे परिच्छेद में कहा जा चुका है। उसकी न्याय-उपसमिति साम्राज्य के विविध भागों के मुकदमों की अन्तिम अपील सुनती है। इसमें स्वराज्य-प्राप्त उपनिवेशों तथा भारतवर्ष के भी कुछ न्यायाधीश होते हैं। स्वार्धान उपनिवेशों में से आस्ट्रेलिया ने सन् १९०० में अपने शासन-विधान में यह व्यवस्था करली कि वहाँ के विधान सम्बन्धी विषयों में वहाँ का हाईकोर्ट अन्तिम निर्णय किया करे। सन् १९०६ में दक्षिण अफ्रीका ने भी इस दिशा में कदम बढ़ा दिया। आयरिश फ्री-स्टेट ने तो प्रिवी-कौंसिल की उपसमिति से अपना सम्बन्ध हटा ही लिया। दूसरे प्रदेशों के भी बहुत कम मुकदमों की अपीलें इस उपसमिति में जाती हैं। ये प्रदेश अपने-अपने शासन विधान में इस विषय का संशोधन करके, प्रिवी-कौंसिल से अपना सम्बन्ध हटा सकते हैं।

साम्राज्य के स्वराज्य-प्राप्त प्रदेश अब खुद अपने भाग्य के निर्माता हैं: किसी हिस्से पर दूसरे हिस्से का दबाव नहीं है। हरेक हिस्सा अब यह खुद निश्चय करता है कि दूसरे हिस्सों से वह कहाँ तक सहयोग करे। इस प्रकार धीरे-धीरे, लेकिन बड़ी मजबूती से, ये अपनी स्वतंत्रता बढ़ाते जा रहे हैं।

साम्राज्य से सम्बन्ध-विच्छेद—कुछ वर्षों से यह प्रश्न राज-नीतिज्ञों के सामने रहा है कि क्या स्वराज्य-प्राप्त प्रदेश ब्रिटिश साम्राज्य से अपना सम्बन्ध तोड़ सकते हैं। ब्रिटिश सरकार इसका ठीक-ठीक जवाब देने से बचती रही है। सन् १९३० के साम्राज्य-सम्मेलन ने भी इस विषय में कुछ निश्चय नहीं किया। सन् १९३३ में आयरिश

फ्री-स्टेट ने ब्रिटिश सरकार से इस बात का साफ उत्तर चाहा कि यदि आयरिश जनता ब्रिटिश कामनवेल्थ से अपना सम्बन्ध तोड़ने का फैसला करे तो क्या वह युद्ध या आक्रमण की कार्रवाई समझी जायगी। ग्रेट ब्रिटेन ने बड़ी चतुराई से कहा कि वह ऐसे प्रश्न का उत्तर देना नहीं चाहता, जो विलकुल मनगढ़ंत या कल्पनात्मक है, और इसलिए जब तक असल में सकट मौजूद न हो, वह यह नहीं बतला सकता कि वैसा होने की दशा में उसका क्या रुख होगा। साधारण तौर से स्वराज्य-प्राप्त प्रदेशों को जिस राजनैतिक या आर्थिक अधिकार की आवश्यकता प्रतीत होती है, उसके उपयोग में ग्रेट ब्रिटेन बाधक नहीं होता; और ये प्रदेश साम्राज्य में बने रहने में अपनी कोई हानि नहीं समझते।

पन्द्रहवाँ परिच्छेद



आयर (दक्षिण आयरलैंड)

आयर (दक्षिण आयरलैंड) का क्षेत्रफल १ करोड़ ७० लाख एकड़ या सत्ताईस हजार वर्गमील, और आबादी ३० लाख है, जिसमें से लगभग २८ लाख रोमन कैथलिक है। इस राज्य में लीस्टर, मंस्टर, और कनाट नाम के तीन प्रान्त, और अल्स्टर प्रान्त के तीन जिले हैं। इसकी राजधानी डबलिन है। इस राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य के स्वराज्य-प्राप्त भागों में खास स्थान है। इस परिच्छेद में इस की ही शासनपद्धति बतलायी जायगी। पहले इसका कुछ ऐतिहासिक परिचय प्राप्त कर लेना उपयोगी होगा।

ऐतिहासिक परिचय—पहले खंड में, उत्तरी आयरलैंड के सम्बन्ध में लिखते हुए यह बताया जा चुका है कि सन् १८०१ में

आयर्लैंड और ग्रेट ब्रिटेन की पार्लिमेंट मिला दी गयी थी। परन्तु आयर्लैंड के निवासी, खासकर उत्तरी आयर्लैंड को छोड़कर उसके शेष भाग के रहनेवाले, अपनी आजादी चाहते रहे तथा उसके लिए कोशिश करते रहे। ये अंगरेजों से मिलकर एक न हो सके। इसके मुख्य कारण ये थे:—(१) ग्रेट ब्रिटेन के अधिकांश आदमी प्रोटेस्टेन्ट ईसाई हैं, और दक्षिण आयर्लैंड के हैं रोमन कैथलिक। इन दोनों सम्प्रदायों में पहले बहुत संघर्ष रहा है, और अब भी इनमें काफी मेल नहीं है। (२) ग्रेट ब्रिटेन की जनता को जो नागरिकता के अधिकार बहुत समय से प्राप्त हैं, वे आयर्लैंड वालों को थोड़े समय से ही मिले हैं। इससे पहले दोनों देशों की जनता में सरकार ने बहुत भेद-भाव रखा है। (३) आयर्लैंड में बहुत-से अंगरेज बसे थे, और वहाँ की भूमि पर अधिकार करके बड़े-बड़े जमींदार बन गये थे, जबकि आयर्लैंड वाले ज्यादातर मामूली किसान और मजदूर ही रह गये थे। आयर्लैंड पर अधिकार कर लेने के बाद अंगरेज चाहते थे कि यह देश हमेशा ग्रेट ब्रिटेन के अधीन रहे। इसका एक कारण यह भी था कि अंगरेजों का फ्रांस वालों से अक्सर युद्ध होता रहता था, और क्योंकि फ्रांस की ज्यादातर जनता रोमन कैथलिक सम्प्रदाय की थी, इससे अंगरेजों को यह आशंका रहती थी कि फ्रांस से युद्ध होने की दशा में कहीं आयर्लैंड उसका ही साथ न दे दे, और इस प्रकार ईंग्लैंड पर दक्षिण और पश्चिम दोनों दिशाओं से आक्रमण हो सके।

उन्नीसवीं सदी के अन्तिम भाग तक आयर्लैंड में कई सुधार हो गये थे, परन्तु आयर्लैंड की जनता इससे संतुष्ट नहीं थी। वे स्वराज्य अर्थात् 'होम रूल' चाहते थे। वे अपनी भाषा, संस्कृति और धर्म की अलहदगी के कारण अंगरेजों से जुदा जातीयता का अनुभव करते थे। धीरे धीरे 'होमरूल' आन्दोलन बढ़ता गया। ब्रिटिश पार्लिमेंट के आयरिश सदस्यों ने पार्लिमेंट में स्वराज्य के लिए भरसक प्रयत्न किया; उधर आयर्लैंड में आयरिश भाषा की उन्नति, स्वदेशी वस्तु-प्रचार,

अंगरेजी माल का बहिष्कार और लगान बन्दी आदि के आन्दोलन खूब जोर से हुए। अन्त में, ब्रिटिश पार्लिमेंट में आयरिश होमरूल बिल अर्थात् आयरलैंड के स्वराज्य का मसविदा पेश किया गया। परन्तु वह स्वीकार नहीं हुआ। कुछ समय बाद दूसरी बार भी वैसा मसविदा रद्द हो जाने पर आयरलैंड निवासी स्वराज्य के लिए तीव्र आन्दोलन करने लगे। बीसवीं पदी के आरम्भ में 'सिनफीन' आन्दोलन शुरू हुआ। इस दल के आदमियों ने बड़े-बड़े कष्ट सहकर भी स्वराज्य की कोशिश जारी रखी।

स्मरण रहे कि इस स्वराज्य-आन्दोलन में उत्तरी आयरलैंड का सहयोग नहीं हुआ। यहाँ की जनता अधिकतर अंगरेज है। ये अंगरेज आयरलैंड के स्वराज्य दिये जाने के विरोधी रहे हैं। इनका कथन यह रहा है कि आयरलैंड में आयरिश लोग बहुसंख्यक हैं, और यहाँ स्वराज्य हो जाने पर वे हमारे साथ ज्यादाती या अन्याय करेंगे। इसलिए या तो आयरलैंड को स्वराज्य दिया ही न जाय, और अगर दिया जाय तो उत्तरी आयरलैंड को, जिसमें ज्यादातर अल्पसंख्यक है, अपना शासन उससे अलग रखने का अधिकार रहे।

सन् १९१४ में आयरलैंड के शासन का नया कानून पास हुआ। परन्तु महायुद्ध के कारण वह अमल में नहीं आया। राष्ट्रीय नेताओं ने ब्रिटिश सरकार से संधि करके अपने स्वराज्य-आन्दोलन को युद्ध-काल तक के लिए स्थगित कर दिया था, परन्तु जनता अपनी आजादी की लड़ाई चलाती ही रही। सन् १९१६ में ब्रिटिश सरकार का खुलकर विरोध किया गया और आयरलैंड को प्रजातंत्र घोषित कर दिया गया। ग्रैंट ब्रिटेन और आयरलैंड में सन् १९१६ में हथियारों से लड़ाई हुई, जो सन् १९२१ तक जारी रही। आयरिश जनता द्वारा निर्वाचित 'डिल' (आयरिश पार्लिमेंट) ने जनवरी १९१६ में फिर आयरलैंड की स्वतंत्रता की घोषणा की। सन् १९२० में ब्रिटिश पार्लिमेंट ने कानून पास करके उत्तरी आयरलैंड और दक्षिण आयरलैंड के लिए

अलग-अलग पार्लिमेंट की व्यवस्था की। उत्तरी आयरलैंड ने इसे स्वीकार कर १९२१ में पार्लिमेंट का निर्वाचन किया, परन्तु दक्षिण आयरलैंड तो पहले से ही प्रजातंत्र की घोषणा कर चुका था, उसने सन् १९२१ ई० की संधि से आयरिश फ्री स्टेट की स्थापना की। इस विषय का कानून १९२२ में अमल में आया। इस से आयरलैंड में दो पार्लिमेंट होगयीं।। उत्तरी आयरलैंड की पार्लिमेंट तो ब्रिटिश पार्लिमेंट के ही अधीन रही। शेष आयरलैंड, 'आयरिश फ्री स्टेट' के नाम में, एक जुदा राज्य हो गया; इसका और ब्रिटिश संयुक्त-राज्य का शासन-प्रबन्ध अलग-अलग होने लग गया। इसकी, डबलिन शहर में, स्वतंत्र पार्लिमेंट होने लगी, जिसे 'डेल' कहते हैं। आयरिश फ्री स्टेट की शासनपद्धति की रचना खुद इस राज्य के निवासियों ने, अपने लिए की: और ब्रिटिश पार्लिमेंट ने उसे स्वीकार कर लिया।

सन् १९२२ ई० का कानून जिस संधि के अनुसार बनाया गया था, उसके सम्बन्ध में आयरिश नेताओं में मतभेद रहा। प्रजातन्त्रवादी लोगों ने संधि से असंतोष जाहिर किया और आयरलैंड के बेटवारे को अस्वीकार करके इसे एक अखंड और स्वतन्त्र राष्ट्र घोषित किया। डी० वेलेरा को प्रेसिडेन्ट तथा विदेश-मंत्री के पद पर नियुक्त किया गया। कुछ समय तक ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध घोर युद्ध रहा। तो भी दस वर्ष तक, संधि का समर्थन करनेवाले दल का ही बहुमत रहा। सन् १९३२ के चुनाव में डी० वेलेरा के दल की विजय हुई।

डी० वेलेरा बादशाह के प्रति राजभक्ति की शपथ लेने के विरुद्ध थे। उन्होंने जल्दी ही इस शपथ की प्रथा उठा देने का प्रस्ताव 'डेल' (प्रतिनिधि-सभा) में पास करा लिया। सिनेट ने उसे पास न किया। पीछे १८ महीने की आवश्यक मियाद बीत जाने पर वह फिर 'डेल' में पेश किया गया। इस सभा में इस बार भी वह बहुमत से स्वीकार हुआ। सिनेट द्वारा नामंजूर हो जाने पर भी अब वह नियमानुसार कानून बन गया। दूसरा काम डी० वेलेरा ने यह किया कि इंग्लैंड की

लगान सम्बन्धी रकम देना बन्द कर दिया। पहले कहा जा चुका है कि आयरलैंड में प्रायः सारी जर्मन अंगरेज ज़मींदारों के अधिकार में थी। उन्नीसवीं सदी के अन्त में ब्रिटिश सरकार ने उनसे कुल जमीन खर्गद कर किसानों में बांट दी थी। ज़मींदारों को दी गयी रकम के सम्बन्ध में आयरलैंड के किसानों से लगान वसूल किया जाता था। यद्यपि जर्मन उत्तरी आयरलैंड के किसानों को भी दी गयी थी, उनसे यह कर नहीं लिया जाता था। फिर, इस मद में आयरलैंड ब्रिटेन को काफी रकम दे चुका था, और अब आर्थिक संकट के समय आयरलैंड वाले यह रकम नहीं दे सकते थे। डी० वेलेरा इस मामले को एक निस्पक्ष अन्तर्राष्ट्रीय पंचायत के सामने रखने का तैयार थे, परन्तु ब्रिटेन ने यह स्वीकार न किया कि साम्राज्य के बाहर का आदमी ऐसे निर्णय में भाग ले। उसने रुपया वसूल करने के लिए आयरिश माल पर टैक्स बैठाया तो इसके जवाब में डी० वेलेरा ने ब्रिटिश माल पर कर लगा दिया। आयरिश फ्री-स्टेट से 'यूनियन जैक' नाम का अंगरेजी झंडा हटा दिया गया; वहाँ अब स्वतंत्र आयरिश पताका पहनाने लगी। डी० वेलेरा की स्पष्ट नीति यह रही कि शासन-विधान की उन सब धाराओं में संशोधन या परिवर्तन कर दिया जाय जो एक राष्ट्र की पूर्ण प्रभुता के अधिकार के विरुद्ध हो। इस तरह सन् १९३६ के अन्त में, शासन-विधान मूल मसविदे से काफी बदल गया। आखिर, १९३७ में जनता के मत के अनुसार नया विधान बनाया गया। इसके अनुसार इस राज्य का नाम 'आयरिश फ्री स्टेट' हटा कर पुराना नाम 'आयर' (आयरलैंड) रखा गया। उत्तरी आयरलैंड अभी इसमें शामिल नहीं है, पर डी० वेलेरा ने आयरलैंड की अखंडता का दावा करते हुए इस विधान में उसके लिए दरवाज़ा खुला रखा है।

सन् १९३७ का विधान—इस विधान की प्रस्तावना की भाषा बहुत मार्मिक और हृदयग्राही है। इसमें प्रभु ईसा मसीह के प्रति अधीनता सूचित की गयी है, जिसने आयरिश जनता के पूर्वजों की,

कठिन परीक्षा की सदियों में, रक्षा की । राष्ट्र की न्यायोचित स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए पूर्वजों के वीरतापूर्ण संघर्ष को याद किया गया है । विधान का लक्ष्य यह बताया गया है कि सार्वजनिक हित की उन्नति हो, व्यक्तियों के सम्मान और स्वतंत्रता का निश्चय रहे, सच्ची सामाजिक व्यवस्था प्राप्त हो, देश में एकता हो, और अन्य राष्ट्रों से मेल-जोल रहे ।

विधान में कहा गया है कि आयरलैंड एक प्रभुताप्राप्त, स्वतंत्र और प्रजातंत्र राज्य है । आयरिश राष्ट्र का यह चिरस्थायी, कभी न मिटने-वाला, और प्रभुतायुक्त अधिकार है कि खुद अपनी शासनपद्धति पसन्द करे, दूसरे राष्ट्रों के साथ अपने सम्बन्ध ठहराये और अपने राजनैतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक जीवन का, अपनी प्रतिभा और परम्पराओं के अनुसार, विकास करे । राष्ट्रीय झण्डा तिरंगा है, उसमें हरा, सफेद और नारङ्गी रङ्ग होता है । सरकारी कामकाज की प्रमुख भाषा आयरिश है; हाँ, अङ्गरेजी के इस्तेमाल की भी इजाजत है ।

दूसरे योरपीय महायुद्ध (१९३९-४५) में आयर तटस्थ रहा; उसने इङ्गलैंड के पक्ष में होकर जर्मनी से युद्ध नहीं छोड़ा । इससे कई मवाल पैदा हुए, जैसे—क्या आयर ब्रिटिश साम्राज्य या ब्रिटिश राष्ट्र-मंडल (कामनवेल्थ) का सदस्य है ? और, क्या कोई सदस्य ऐसे समय तटस्थ रह सकता है, जब कि सम्राट् ने युद्ध छोड़ रखा हो । जुलाई सन् १९४५ में आयर के प्रधान मंत्री डी० वेलेरा से 'डेल' में यह पूछा गया कि आयर 'रिपब्लिक' (गणतंत्र) है या नहीं । इसके उत्तर में डी० वेलेरा ने बताया कि "आयर रिपब्लिक भी है, और उसके साथ ही ब्रिटिश कामनवेल्थ का सदस्य भी है । अगर कुछ आदमी आयर को रिपब्लिक नहीं मानते तो मैं उनसे बहस नहीं करता, उनकी और हमारी भाषा (विचार-धारा) में समानता नहीं है ।"

यह कहा जा सकता है कि सन् १९३७ से जहाँ तक भीतरी मामलों का सम्बन्ध है, आयर रिपब्लिक है; और विदेश-नीति सम्बन्धी कुछ

बातों में वह ब्रिटिश साम्राज्य या कामनवेल्थ का सदस्य है। वह ऐसी 'डोमीनियन' है, जिसमें बादशाह की तरफ से गवर्नरजनरल आदि कोई एजेंट नहीं रहता। वहाँ स्वदेश सम्बन्धी किसी भी कानून या महत्वपूर्ण आज्ञापत्र पर प्रेसिडेन्ट के ही हस्ताक्षर होते हैं। घरू विषयों में बादशाह का कोई स्थान नहीं है। लेकिन यह माना गया है कि बाहरी मामलों में, आयर के मंत्रियों की सलाह लेकर, बादशाह आवश्यक कार्रवाई कर सकता है। अपने राज्य से बाहर आयर के सब नागरिक ब्रिटिश नागरिक हैं, और इस हैसियत से उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य में कुल नागरिक अधिकार, और विदेशों में सुरक्षा के अधिकार प्राप्त हैं।

प्रेसिडेन्ट—प्रेसिडेन्ट (राष्ट्रपति) निर्वाचकों के प्रत्यक्ष मत द्वारा चुना जाता है। उसका कार्यकाल सात वर्ष का होता है, परन्तु उसका दूसरी बार भी निर्वाचन हो सकता है। इस पद पर वही आदमी चुना जाता है, जो ३५ वर्ष या अधिक उम्र का हो। अपना पद ग्रहण करते समय वह इस बात की प्रतिज्ञा करता है कि मैं शासन-विधान की रक्षा करूँगा, इसके नियमों के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करूँगा और अपनी योग्यता को आयरिश जनता के हित और सेवा में लगाऊँगा।

प्रेसिडेंट 'डेल' (आयरिश प्रतिनिधि-सभा) द्वारा नामजद व्यक्ति को 'टोईसीच' या प्रधान मंत्री नियुक्त करता है, और प्रधान मंत्री द्वारा नामजद व्यक्तियों को पार्लिमेंट की स्वीकृति लेकर, दूसरे मन्त्रियों के पद पर नियुक्त करता है। वह प्रधान मन्त्री की सिफारिश पर पार्लिमेंट का अधिवेशन करता है, तथा उसे भंग करता है। वह सेना सम्बन्धी सबसे ऊँचा अधिकारी है। वह किसी कानूनी मसविदे को सुप्रीम कौर्ट के पास इस बात का फैसला करने के लिए भेज सकता है कि वह मसविदा विधान से बेमेल तो नहीं है। वह डेल के बहुसंख्यक तथा सिनेट के कम-से-कम एक-तिहाई सदस्यों के संयुक्त आदेश से किसी कानूनी मसविदे पर जनमत ले सकता है। प्रेसिडेन्ट को

उसके कार्य-सम्पादन के सम्बन्ध में परामर्श देने के लिए एक संस्था 'कौंसिल-आफ-स्टेट' या राजपरिषद होती है ।

राजपरिषद के सदस्यों में से प्रधान मन्त्री, सहायक प्रधान मन्त्री, चीफ-जस्टिस, हाईकोर्ट का अध्यक्ष, 'डेल' का सभापति, सिनेट का सभापति, और अटार्नीजनरल अपने पद के कारण सदस्य होते हैं । इनके अलावा कुछ दूसरे आदमी भी इसके सदस्य होते हैं; ये नये प्रेसिडेन्ट के पद ग्रहण करने तक सदस्य रहते हैं ।

प्रबन्धकारिणी सभा—राज्य की प्रबन्धकारिणी सभा या सरकार में कम-से-कम ७ और अधिक-से-अधिक १५ सदस्य (मन्त्री) होते हैं । इनकी नियुक्ति प्रेसिडेन्ट करता है । सरकार का प्रमुख अधिकारी प्रधान मन्त्री होता है । सरकार 'डेल' के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, और उसकी सहमति बिना किसी युद्ध में भाग नहीं ले सकती । प्रधान मन्त्री प्रेसिडेन्ट को स्वदेश तथा विदेश नीति सम्बन्धी सब बातों की सूचना देता है । वह एक मन्त्री को अपना सहायक नामजद करता है । ये दोनों अधिकारी तथा राजस्व-मन्त्री 'डेल' के सभासदों में से होते हैं । दूसरे मंत्री 'डेल' या 'सिनेट' किसी के भी सदस्यों में से हो सकते हैं, परन्तु सिनेट के सदस्यों में से दो से अधिक मन्त्री नहीं हो सकते । हरेक मन्त्री पार्लिमेंट की दोनों सभाओं में से, जिसमें वह चाहे, उपस्थित हो सकता है, और भाषण दे सकता है । प्रधान मन्त्री, प्रेसिडेन्ट के हाथ में त्यागपत्र देकर अपने पद को छोड़ सकता है । जब 'डेल' के सदस्यों का बहुमत उसका समर्थन करनेवाला न हो तो उसे त्यागपत्र दे देना होता है; हां, यह बात उस दशा में नहीं होती, जब उसके परामर्श के अनुसार प्रेसिडेन्ट 'डेल' को भङ्ग कर दे और नये चुनाव में 'डेल' का बहुमत प्रधान मन्त्री का समर्थन करनेवाला हो । प्रधान मन्त्री के त्यागपत्र देने की दशा में, दूसरे मन्त्रियों का भी त्यागपत्र दिया जाना सम्भाव्य जाता है । प्रधान मन्त्री को छोड़कर, दूसरे

मन्त्री अपना त्यागपत्र प्रधान मन्त्री द्वारा (प्रेसिडेन्ट को) देने हैं । मन्त्रियों को कानून से तय किया हुआ वेतन मिलता है ।

सरकार को कानूनी विषयों में सलाह देने के लिए अटार्नीजनरल रहता है । उसकी नियुक्ति, प्रधान मन्त्री द्वारा नामजदगी होजाने पर प्रेसिडेन्ट द्वारा की जाती है । उसे निर्धारित वेतन मिलता है । प्रधान मन्त्री के त्यागपत्र दे देने की दशा में उसे भी अपने पद से अवकाश ग्रहण करना पड़ता है ।

पार्लिमेंट—आयरिश पार्लिमेंट में प्रेसिडेन्ट और दो सभाएँ होती हैं:—डेल या प्रतिनिधि-सभा (हाउस-ऑफ-रेप्रेजेंटेटिव्स) और सिनेट । डेल का नया निर्वाचन अकसर सात वर्ष में होता है । डेल में १३८ सदस्य होते हैं, प्रत्येक बालिग स्त्री और पुरुष को मताधिकार है । सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकाकी हस्तातर मत-प्रणाली के आधार पर चुने जाते हैं । कम-से-कम बीस हजार, और अधिक-से-अधिक तीस हजार, आदमियों की ओर से एक प्रतिनिधि लिया जाता है । सिनेट में ६० सदस्य होते हैं; इनमें से ११ सदस्य प्रधानमन्त्री द्वारा नामजद होते हैं, ६ सदस्य विश्वविद्यालयों द्वारा निर्वाचित होते हैं, और शेष ४३ सदस्य निम्नलिखित पांच तरह के निर्वाचक संघों में से चुने जाते हैं:—(१) शिक्षा, साहित्य, भाषा, कला, संस्कृति आदि (२) कृषि और मछली पकड़ना, (३) श्रम, (४) उद्योग और वाणिज्य, (५) शासन और समाज-सेवा । सिनेट का नया निर्वाचन 'डेल' के भङ्ग के होने के ६० दिन के भीतर किया जाता है ।

कानून बनाने का पूरा अधिकार आयर की पार्लिमेंट को है; हाँ, इसके अधीन कानून बनानेवाली दूसरी संस्थाओं की व्यवस्था की जा सकती है । यह पार्लिमेंट कोई ऐसा कानून नहीं बनायेगी, जो इस विधान से बेमेल हो । पार्लिमेंट की दोनों सभाएँ अपने-अपने सदस्यों में से सभापति और उपसभापति का चुनाव करती हैं, उनके अधिकार और कर्तव्य निर्धारित करती हैं । इन पदाधिकारियों को मिलनेवाला भत्ता

आदि कानून से निश्चित किया जाता है। पार्लियामेंट की हरेक सभा अपनी कार्यपद्धति आदि के स्थायी नियम बनाती है, और अपने सदस्यों का वेतन आदि ठहराती है। कोई आदर्मा एक ही समय में दोनों सभाओं का सदस्य नहीं हो सकता; यदि एक सभाका कोई सदस्य दूसरी सभा का सदस्य बन जाता है, तो उसे पहली सभा की मेम्बरी से इस्तीफा देना पड़ता है।

कानून कैसे बनते हैं—हरेक सार्वजनिक कानून का मसविदा 'डेल' में स्वीकार हो जाने पर सिनेट में भेजा जाता है, और (अगर वह धन सम्बन्धी नहीं होता तो) सिनेट उस पर संशोधन कर सकती है। 'डेल' उन संशोधनों पर विचार करती है। सिनेट द्वारा पास किया हुआ सार्वजनिक कानूनी मसविदा 'डेल' में उपस्थित किया जाता है।

किसी मसविदे के विचार या संशोधन के लिए सिनेट को अधिक-से-अधिक नव्वे दिन का समय दिया जाता है। यदि सिनेट इतने समय में मसविदे को रद्द करदे, या उसमें ऐसे संशोधन करदे, जिन्हे 'डेल' स्वीकार न करे, तो यदि डेल चाहे तो वह मसविदा १८० दिन बाद दोनों सभाओं द्वारा पास हुआ समझा जाता है। इस प्रकार सिनेट अधिक-से-अधिक २७० दिन तक किसी कानून के बनाने की कार्यवाई को रोक सकती है।

दोनों सभाओं द्वारा पास होने पर मसविदा प्रधान मंत्री द्वारा प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर के लिए उपस्थित किया जाता है, और उसके हस्ताक्षर होने पर वह कानून बन जाता है, और अमल में आता है।

धन सम्बन्धी (कर लगाने या ऋण लेने आदि के) कानूनी मसविदे का विचार 'डेल' में ही शुरू होसकता है, सिनेट में नहीं। 'डेल' में पास होजाने पर वह मसविदा सिनेट में जाता है, और वहाँ यदि कोई संशोधन हो तो उसके सहित, अथवा बिना संशोधन, इक्कीस दिन के भीतर 'डेल' में वापिस आजाता है। यदि इक्कीस दिन के भीतर वह

वापिस न आये, या ऐसे संशोधनों सहित आये जिन्हें 'डेल' स्वीकार न करे, तो वह दोनों सभाओं द्वारा पास हुआ समझा जाता है।

न्यायालय—आयर की सर्वोच्च अदालत 'सुप्रीम कोर्ट' है; उसमें चीफ-जस्टिस तथा चार दूसरे जज होते हैं। उसमें हाईकोर्ट के हरेक फैसले की अपील होसकती है, और उसका निर्णय अन्तिम होता है। उसकी अपील अब इङ्गलैंड की प्रिवी-कौंसिल में नहीं होती। हाईकोर्ट में एक प्रेसिडेंट (अध्यक्ष) तथा पांच साधारण जज होते हैं। उसमें सब प्रकार के मामलों का फैसला होसकता है, चाहे वह दीवानी हो या फौजदारी। उसे यह निर्णय करने का भी अधिकार है कि कोई कानून बंध है या नहीं। प्रत्येक जज को अपना कार्य आरम्भ करने से पहले निर्धारित प्रकार की शपथ लेनी होती है। सुप्रीम कोर्ट तथा अन्य कोर्टों के लिए जजों की नियुक्ति प्रेसिडेंट (राष्ट्रपति) द्वारा की जाती है। जज अपना कार्य सम्पादन करने के लिए सर्वथा स्वतंत्र हैं; वे केवल शासन-विधान और कानून के अधीन होते हैं। कोई जज अपने पद से केवल दुराचार या अयोग्यता के कारण ही अलग किया जा सकता है, और तब भी यह आवश्यक है कि पार्लिमेंट की दोनों सभाएँ उसे अलग करने का प्रस्ताव पास करे। जब ऐसा प्रस्ताव पास होजाता है तो प्रधान मंत्री उसे प्रेसिडेंट (राष्ट्रपति) के पास भेजता है, और वह उस जज को अलग करता है। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के अलावा छोटी बड़ी दूसरी बहुत-सी अदालतें हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध—आयर्लैंड का आदर्श ऐसी शान्ति और मित्रता-पूर्ण सहयोग है, जिसका आधार अन्तर्राष्ट्रीय न्याय और सदाचार हो। यह राज्य दूसरे राज्यों से व्यवहार करने में अन्तर्राष्ट्रीय कानून के उन सिद्धान्तों को स्वीकार करता है, जो आम तौर से मान्य होते हैं। विदेश-नीति सम्बन्धी व्यवहार सरकार करती है, और वह इसके लिए कानून द्वारा निर्धारित पद्धति या संस्थाओं से काम लेती है। सरकार द्वारा किये हुए सुलहनामे (एग्रीमेंट) 'डेल' के सामने

उपस्थित किये जाते हैं। जिस मुलहनामे के अनुसार राज्य को कुछ खर्च करना आवश्यक हो, उसका बन्धन राज्य पर उसी दशा में होगा, जबकि डेल उसकी शर्तों को स्वीकार करले। किसी अन्तर्राष्ट्रीय मुलहनामे का वही स्वरूप राज्य को मान्य होगा, जो आयर की पार्लिमेंट का दोनों सभाएँ निश्चित करे।

नागरिकों के मूल अधिकार—इस राज्य की शासनपद्धति की एक बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ शासन-विधान में नागरिकों के मूल अधिकार भी शामिल हैं, जिनमें मुख्य ये हैं:—

(क) सब नागरिक (पुरुष हों या स्त्रियाँ) कानून के सामने बराबर हैं। (ख) राज्य अपने कानूनों से नागरिकों के वैयक्तिक अधिकारों की रक्षा करने का जिम्मा लेता है। (ग) राज्य प्रत्येक नागरिक की जान, माल और कीर्ति सम्बन्धी अधिकारों की, अनुचित आक्रमण से, रक्षा करेगा। (घ) राज्य द्वारा नागरिकों को कुलीनता ('नोबिलिटी') सम्बन्धी उपाधि नहीं दी जायगी। (च) ऐसी शिकायत मिलने पर कि कोई आदमी कानून के विरुद्ध बन्दी या कैदी बना कर रखा गया है, हाईकोर्ट तथा हरेक जज इस विषय की जाँच करेगा, और उचित समझने पर उसे छोड़े जाने की आज्ञा देगा। (छ) किसी नागरिक के रहने के स्थान में कोई आदमी उसकी सम्मति या अनुमति बिना, कानून के अनुसार ही घुस सकता है। (ज) हरेक आदमी को धार्मिक स्वतंत्रता होगी। किसी धर्म का पक्षपात नहीं किया जायगा। राज्य केथलिक धर्म को विशेष स्थिति को मान्य करता है, जिसके अनुयायी यहाँ के बहुसंख्यक नागरिक हैं। (झ) प्रत्येक व्यक्ति को भाषण तथा लेखन सम्बन्धी स्वतंत्रता होगी; और, सबको बिना शस्त्रों के इकट्ठे होने का अधिकार होगा। (ट) प्रारम्भिक शिक्षा निःशुल्क होगी। राज्य शिक्षा सम्बन्धी दूसरी सुविधाओं और संस्थाओं की व्यवस्था करेगा। (ठ) राज्य की कुदरती सम्पत्ति विदेशियों को नहीं दी जायगी। (ड) राज्य नागरिकों के पारिवारिक संगठन और

सत्ता की रक्षा का जिम्मा लेता है। (ढ) राज्य इस बात का प्रयत्न करेगा कि माताएँ अपनी आर्थिक आवश्यकताओं के कारण ऐसा मेहनत करने को मजबूर न हों, जिससे वे अपने घर सम्बन्धी कर्तव्य पालन न कर सकें। (त) राज्य विवाह-प्रथा की रक्षा करने की प्रतिज्ञा करता है; विवाह-विच्छेद (तलाक) सम्बन्धी कोई कानून नहीं बनाया जायगा। (थ) ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जायगा, जिससे लोगों को उनकी निजी जायदाद पर अधिकार न रहे, या सम्पत्ति को दूसरों को देने या वर्सीयत करने आदि में बाधा हो।

समाज-नीति सम्बन्धी सिद्धान्त—पार्लिमेंट के पथ-प्रदर्शन या रहनुमाई के लिए विधान में समाज-नीति सम्बन्धी कुछ सिद्धान्त दिये गये हैं। उनका उद्देश्य यह है कि राज्य में सम्पत्ति का बँटवारा और साख की व्यवस्था इस प्रकार हो कि उससे सर्वसाधारण जनता का हित हो, भूमि पर निर्वाह करनेवाले परिवारों की सुरक्षा हो, और प्रत्येक नागरिक को अपनी यथेष्ट आजीविका पाने का अधिकार हो। राज्य इस बात का जिम्मा लेता है कि निर्बल, बालक, विधवा, अनाथ और बूढ़ों की आवश्यकतानुसार सहायता की जाय; वह इस बात की कोशिश करेगा कि नागरिकों को आर्थिक आवश्यकता की वजह से कोई ऐसा पेशा करना न पड़े, जो स्त्रियों (या पुरुषों) के करने योग्य न हो, अथवा उनकी उम्र या शक्ति के अनुकूल न हो।

विधान में संशोधन कैसे हो ?—यदि शासन-विधान में कोई संशोधन करना (या कुछ घटाना बढ़ाना) हो तो, इस विषय का प्रस्ताव 'डेल' में होगा, और जब वह प्रस्ताव पार्लिमेंट की दोनों सभाओं से पास होजायगा, या कानून के अनुसार पास समझा जायगा, तो जनता का निर्णय जानने के लिए उस पर निर्वाचकों का मत लिया जायगा। यदि निर्वाचकों का बहुमत उस संशोधन के पक्ष में होगा तो वह संशोधन जनता द्वारा मान्य समझा जायगा। पीछे उस पर प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर होजाने के बाद वह अमल में लाया जायगा।

सोलहवाँ परिच्छेद

स्वराज्य-प्राप्त उपनिवेश

[(क) केनेडा, (ख) दक्षिण अफ्रीका का यूनियन, (ग) आस्ट्रेलिया, (घ) न्यूजीलैंड और, (च) न्यूफाउंडलैंड]

अङ्गरेजोंके उपनिवेश संसार के जुदा जुदा हिस्सों में हैं। सब उपनिवेशों में से सिर्फ पाँच स्वराज्य पाये हुए हैं:—केनेडा, दक्षिण अफ्रीका का यूनियन, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, और न्यूफाउंडलैंड। इन उपनिवेशों का कुल क्षेत्रफल लगभग ७५ लाख वर्ग मील, यानी सारे ब्रिटिश साम्राज्य के आधे से अधिक है।

इन उपनिवेशों की शासनपद्धति कुछ उसी ढङ्ग की है, जैसी ग्रेट-ब्रिटेन की; और क्योंकि उसका विचार इस पुस्तक के पहले खंड में खुलासा तौर पर किया जा चुका है, इन उपनिवेशों के सम्बन्ध में, थोड़े में ही लिखा जाता है। इन उपनिवेशों का ब्रिटिश सरकार से जो सम्बन्ध है, वह चौदहवें परिच्छेद में व्योरेवार बताया गया है, उसे यहाँ दोहराने की जरूरत नहीं।

(क) केनेडा

यह उपनिवेश उत्तरी अमरीका का उत्तरी हिस्सा है। यहाँ की गरीबी जनता उन लोगों की है, जो सतरहवीं सदी में योरप के 'धार्मिक' अन्याचारों के कारण यहाँ आये थे। इस उपनिवेश के जुदा-जुदा हिस्सों में अंगरेज समय-समय पर आकर बसे; कुछ हिस्से युद्ध या संधि से भी ब्रिटिश साम्राज्य में आये हैं। इस उपनिवेश का कुल क्षेत्रफल सैंतीस लाख वर्गमील है। यहाँ की जनसंख्या सन् १९४१ की गणना के अनुसार एक करोड़ पन्द्रह लाख थी।

ऐतिहासिक परिचय—योरपीय जातियों में सबसे पहले यहाँ आकर बसने वाले फ्रांसीसी थे। अंगरेज यहाँ बहुत पीछे, सन् १७१३ ई० से आने लगे। उस वर्ष फ्रांस और इंग्लैंड की एक लम्बी लड़ाई खतम हुई, और, फ्रांस ने अंगरेजों को केनेडा की कुछ ज़मीन और न्यूफाउन्डलैण्ड दिया। केनेडा का कुछ और हिस्सा इङ्गलैंड को, फ्रांस में, एक दूसरी लड़ाई की सुलह होने पर, मिला।

केनेडा के उत्तर में अंगरेजों का बल अधिक था, और दक्षिण भाग में फ्रांसीसियों की संख्या विशेष थी। ये लोग आपस में लड़ते रहते थे। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने सन् १८३६ में लार्ड डरहम को यहाँ भेजा कि वह जाँच करके बतलावे कि इन दोनों हिस्सों का आपसी मनमोटाव किस तरह दूर हो। लार्ड डरहम की रिपोर्ट केनेडा के राजनैतिक इतिहास में बड़े महत्व की है। केनेडा में उस समय जातिगत बैर विरोध बहुत अधिक था, अंगरेज और फ्रांसीसी बात-बात में आपस में लड़ते भगड़ते थे; अज्ञान फैला हुआ था; केनेडा वाले उस समय अपने देश की रक्षा करने में भी अममर्थ थे। यह सब होते हुए भी, लार्ड डरहम ने अपनी रिपोर्ट में उदारता और दूरन्देशी से जोरदार शब्दों में यह सिफारिश की कि केनेडा को उत्तरदायी शासन दिया जाय; उसके दोनों हिस्सों को मिलाकर उनका शासन केनेडा की पार्लिमेंट के अधीन कर दिया जाय। इंग्लैंड के कुछ राजनीतिज्ञ इसमें सहमत न थे, वे दमन-नीति के पक्ष में थे। उनके विचार से सारे असंतोष और विद्रोह का एक ही उपाय था—दमन और दण्ड से शिक्षा देना। परन्तु केनेडा के, और खुद इङ्गलैंड के, सौभाग्य से उनकी कुछ न चली; और, ब्रिटिश सरकार ने लार्ड डरहम की रिपोर्ट स्वीकार कर ली।

शासनपद्धति—सन् १८६७ ई० में ब्रिटिश पार्लिमेंट में, 'ब्रिटिश उत्तरी अमरीका कानून' पास हो गया। इसमें उन प्रस्तावों को कानूनी रूप दिया गया, जो क्यूबेक (केनेडा) में बहुत वादविवाद या बहस

मुवाहसे, और समझौते के बाद खुद केनेडा वालों ने किये थे। पहले पुराना केनेडा (आन्टेरिया और क्यूबेक), नोवास्कोशिया तथा न्यूब्रंजविक एक राज्य में मिले। पीछे सन् १८७१ ई० में ब्रिटिश कालम्बिया भी इसी संघ में शामिल हांगया। न्यूफाउन्डलैंड इस संघ में शामिल नहीं हुआ। केनेडा की शासनपद्धति १८६७ के कानून के अनुसार है, उसमें पीछे समय-समय पर आवश्यक संशोधन हुए हैं। ये संशोधन केनेडा की सरकार की इच्छा के अनुसार ब्रिटिश पार्लिमेंट ने किये हैं। केनेडा का विधान सिद्धान्त से संघात्मक, कठिनाई से बदलने वाला, और लिखित है। इन बातों में यह संयुक्त-राज्य अमरीका की शासनपद्धति से मिलता है; इंगलैण्ड से नहीं। परन्तु व्यवहार में केनेडा की शासनपद्धति ब्रिटिश शासनपद्धति की ही नकल है।

संघ-पार्लिमेंट—केनेडा की पार्लिमेंट की दो सभाएँ हैं:—(१) सिनेट और (२) कामन्स-सभा। सिनेट में ६६ सदस्य होते हैं। ये केनेडा की सरकार की सिफारिश पर इंगलैण्ड के बादशाह की और में, केनेडा के गवर्नर-जनरल द्वारा जन्म भर के लिए नामजद किये जाते हैं; इसमें शर्त यह होती है कि उनकी उम्र ३० वर्ष से अधिक हो, वे विदेशी न हों, और उनमें से प्रत्येक के पास चार हजार डालर अर्थात् लगभग बारह हजार रुपये की जायदाद हो। 'स्पीकर' (अध्यक्ष) को मिला कर १५ सदस्यों का 'कोरम' होता है।

केनेडा के जुदा-जुदा हिस्सों से लिये जानेवाले सदस्यों की संख्या कानून से निर्धारित है। गवर्नर-जनरल की सिफारिश से चार हिस्सों में से हरेक का एक-एक या दो-दो सदस्य और लिये जा सकते हैं। इस प्रकार सदस्यों में आठ तक वृद्धि हो सकती है। सिनेट के कुल सदस्यों की संख्या १०४ से अधिक नहीं हो सकती।

कामन्स-सभा की उम्र अकसर पांच वर्ष होती है। यह जनता की चुनी हुई होती है, इसके सदस्यों के चुनाव के लिए हरेक बालिग स्त्री-पुरुष को मत देने का अधिकार है। इसके सदस्यों में से ३५ क्यूबेक

प्रान्त के होते हैं। यह संख्या १६३१ की मनुष्य-गणना के आधार पर ४४,१८६ आदिमियों के पीछे एक प्रतिनिधि के हिसाब से, निश्चित की गयी थी। दूसरे प्रान्तों के प्रतिनिधियों की संख्या का जनता से यही अनुपात रहता है; और उनकी कुल संख्या प्रत्येक मनुष्य-गणना के बाद होनेवाले निर्वाचन में बदलती रहती है। सन् १६४० में कामन्स-सभा के कुल सदस्य २४५ थे। सभा का कार्य चलाने के लिए 'स्पीकर' (अध्यक्ष) को मिलाकर कम-से-कम २० सदस्यों की हाज़री ज़रूरी है।

नीचे लिखे विषयों के सम्बन्ध में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संघ-पार्लियमेंट को है:—व्यापार और वाणिज्य, सार्वजनिक ऋण, कर (टेक्स) लगाना, डाक, सेना और देश-रक्षा, मुद्रा और टकसाल आदि। खेती, और विदेशियों का इस राज्य में आना आदि कुछ विषयों का कानून बनाने का अधिकार संघ को भी है, और प्रान्तों को भी। संघ का बनाया कानून सब प्रान्तों में लागू होता है; और कोई प्रान्त इन विषयों के सम्बन्ध में उसी दशा में और उसी सीमा तक कानून बना सकता है, जबकि वह संघ के कानून से बेमेल न हो।

गवर्नर-जनरल और प्रबन्धकारिणी सभा—यहाँ के लिए गवर्नर-जनरल की नियुक्ति इंगलैंड के बादशाह द्वारा होती है। उसे अपने कार्य में प्रिवी कौंसिल से सहायता मिलती है। सन् १६४२ में वेनेडा में जिम मंत्रिमंडल का संगठन हुआ, उसमें प्रधान मंत्री के अलावा १६ दूसरे मंत्री थे। इनमें से एक मंत्री बिना विभाग था, और शेष को अलग-अलग कार्य सौंपे हुए थे। मंत्री अपने शासन-कार्य के लिए कामन्स-सभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं।

प्रान्तीय शासन—वेनेडा के नौ प्रान्तों में से हरेक में एक लेफ्टिनेन्ट-गवर्नर रहता है, जो इस राज्य के गवर्नर-जनरल द्वारा, प्रबन्धकारिणी सभा की सलाह से, नियुक्त किया जाता है। आठ

प्रान्तों में एक-एक, और एक (क्यूबेक) में दो व्यवस्थापक सभाएँ हैं । प्रान्तीय मंत्री अपने शासन-कार्य के लिए प्रान्तीय व्यवस्थापक सभा के प्रति उत्तरदायी रहते हैं । प्रान्तीय सरकार उन्हीं अधिकारों का उपयोग कर सकती हैं, जो उसे केनेडा की केन्द्रीय सरकार द्वारा मिले हों । इस राज्य के पश्चिमोत्तर प्रदेश और यूकोन प्रदेश का शासन कौंसिल-सहित कमिश्नर करते हैं ।

नीचे लिखे विषयों के सम्बन्ध में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडलों को है:—प्रान्तीय शासनपद्धति का संशोधन (लेफ्टिनेंट-गवर्नर के पद के विषय को छोड़ कर), प्रान्तीय राजस्व, प्रान्तीय अधिकारियों की नियुक्ति और वेतन, प्रान्तीय न्यायालय, प्रान्त की सीमा के अन्दर की रेल, नहर, तार, सार्वजनिक भूमि की विक्री, अस्पताल, आदि । गवर्नर-जनरल किसी प्रान्तीय कानून को रद्द कर सकता है, पर वह यह कार्य अपने मंत्रिमंडल की सलाह से करता है ।

विधान में संशोधन कैसे हो सकता है ?—केनेडा के प्रांतों की शासनपद्धति के संशोधन का जिक्र ऊपर किया जा चुका है । संघ की शासनपद्धति के विषय में संघ-पार्लिमेंट कोई संशोधन नहीं कर सकती । ऐसा संशोधन ब्रिटिश पार्लिमेंट ही करती है, (वह यह कार्य केनेडा की पार्लिमेंट तथा जनता की इच्छा के अनुसार ही करती है) । विधान में इस प्रकार का बन्धन होने का कारण यह है कि उसके बनाये जाने के समय यहाँ के कैथलिक धर्मानुयायी फ्रांसीसियों को, अल्पसंख्यक होने के कारण, जातिगत आशंकाएँ थीं । इसलिए केनेडा की पार्लिमेंट को विधान-संशोधन का अधिकार नहीं दिया गया ।

(ख) दक्षिण अफ्रीका का यूनियन

दक्षिण अफ्रीका के यूनियन के चार भाग हैं:—(१) केप-आफ-गुड-होप या उत्तम-आशा अंतरीप, (२) नेटाल, (३) ट्रांसवाल, और (४) आरेंज फ्री स्टेट । इन चारों का क्षेत्रफल पौने पाँच लाख वर्ग मील, और

जनसंख्या (सन् १९३६ की गणना के अनुसार) छियानवे लाख हैं । सन् १९४२ में आवादी एक करोड़ सात लाख होने का अनुमान था, इनमें यॉरपियन सिर्फ़ बाइस लाख थे । यूनियन की राजधानी प्रीटोरिया है । दक्षिण अफ्रीका में कई अन्य प्रदेश भी हैं, और उनमें कुछ ब्रिटिश साम्राज्य के अन्दर भी हैं—यथा बसुटोलैंड, बिचुआनालैंड, रोडेशिया और सुआजीलैंड । इनमें से कोई प्रदेश इस यूनियन में शामिल नहीं है ।

ऐतिहासिक परिचय—पन्द्रहवीं सदी के अंत में यॉरप वालों को उत्तमाशा अन्तरीप मालूम हुआ, तब से वे लोग दक्षिण अफ्रीका में जाने, और पीछे धीरे-धीरे वहाँ बसाते लगे । सन् १६५० में उत्तमाशा अन्तरीप के पास डच लोगों की एक बस्ती बनी थी । सन् १७९५ ई० में इस पर अंगरेजों का अधिकार हागया । डच लोग धीरे धीरे अफ्रीका के भीतरी हिस्सों में नेटाल आदि नये उपनिवेश बसाते गये । ये डच लोग बोंअर कहलाते हैं । इनकी नयी जगहों में और विशेषकर नेटाल के मुख्य नगर डरबन में अंगरेज आ बसे । आखिर, सन् १८४४ ई० में नेटाल अंगरेजी राज्य में मिला लिया गया । तब अधिकांश बोंअर लोगों ने पीछे हट कर आग्रेन्ज फ्री स्टेट और ट्रांसवाल के प्रजातन्त्र राज्य कायम किये, परन्तु इंगलैंड उन पर अधिकार जमाने की कोशिश करता रहा । अन्त में आग्रेज फ्री स्टेट सन् १८४८ में, और नेटाल १९०२ में अंगरेजों के अधीन होगया ।

इस प्रकार दक्षिण अफ्रीका के चार उपनिवेश ब्रिटिश साम्राज्य के अन्दर आ गये । सन् १९०६ ई० में आग्रेन्ज फ्री स्टेट तथा ट्रांसवाल को स्वराज्य मिल गया, और तीन वर्ष बाद सन् १९०९ में अन्तरीप उपनिवेश, नेटाल तथा उन दोनों राज्यों का मिलाकर एक सम्मिलित राज्य स्थापित किया गया । इसका नाम 'दक्षिण अफ्रीका का यूनियन' हुआ ।

शासनपद्धति—इस यूनियन की शासनपद्धति सन् १९०६ के दक्षिण-अफ्रीका-कानून के अनुसार है। इसे यहाँ के ही आदमियों ने आपस में सोच विचार और बादविवाद करके तय किया था। ब्रिटिश पार्लिमेंट ने इसमें कुछ परिवर्तन किये बिना ही, इसे स्वीकार कर लिया था।

सन् १९०६ के बाद, समय-समय पर शासन-विधान में आवश्यक-तानुसार संशोधन होते रहे हैं। संशोधन दक्षिण-अफ्रीका-यूनियन की पार्लिमेंट द्वारा ही किये जाते हैं। अन्तिम संशोधन सन् १९३७ में किया गया था।

यूनियन-पार्लिमेंट—यूनियन की पार्लिमेंट में दो सभाएँ हैं:—
(१) सिनेट और (२) असेम्बली। इनके अधिवेशन केपटाउन में होते हैं। सिनेट की आयु दस वर्ष की होती है। इस में चालीस सदस्य होते हैं। इनमें से आठ को गवर्नर-जनरल और उसका कौंसिल नामजद करती है; इन आठ सदस्यों में से चार स्वामकर इसलिए लिये जाने हैं कि उन्हें गैर-यंगरियन जातियों की आवश्यकताओं और इच्छाओं का ज्ञान हो। शेष ३२ सदस्यों का निर्वाचन प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल की संयुक्त सभा द्वारा होता है। प्रत्येक प्रान्त का व्यवस्थापक मंडल आठ-आठ सिनेटरी (सिनेट के सदस्यों) का चुनाव करता है। यंगरियन ब्रिटिश प्रजा के आदमी ही चुने जा सकते हैं। सदस्य बनने के लिए उम्मेदवार कम-से-कम तीस वर्ष का होना चाहिए, उसमें किसी प्रान्त के निर्वाचक बनने की योग्यता होनी चाहिए। उसके लिए यह भी आवश्यक है कि वह दक्षिण-अफ्रीका के यूनियन में पाँच वर्ष रहा हो, और उसके पास कम-से-कम पाँच सौ पौंड की जायदाद हो। कोरम बारह सदस्यों का होता है।

सन् १९३६ के नेटिव-प्रतिनिधित्व कानून के अनुसार, यह व्यवस्था की गयी है कि सिनेट में चार सदस्य मूल निवासियों की और से चुने जाया करें, प्रत्येक प्रान्त का एक-एक प्रतिनिधि हो। इस तरह चुने

हुए सिनेटरों का कार्य-काल पाँच-पाँच वर्ष होगा। उनमें उन्हीं योग्य-ताओं का होना आवश्यक है, जो दूसरे निर्वाचित प्रतिनिधियों में होती हैं।

असेम्बली में, १६३६ की मनुष्य-गणना के सम्बन्ध में नियुक्त कमीशन की सिफारिश के अनुसार, १५० सदस्य हैं; प्रत्येक प्रान्त के सदस्यों की संख्या इस प्रकार है—उत्तमाशा अंतरीप ५६, नेग्राल १३, ट्रासवाल ६०, आरंज फ्री स्टेट १५। इक्कीस वर्ष से अधिक आयु के हरेक व्यक्ति (पुरुष या स्त्री) को मताधिकार है। सदस्य यॉरपियन ब्रिटिश प्रजा के ही हो सकते हैं, जिनमें निर्वाचक की योग्यता हो, और जो यूनियन में पाँच वर्ष रहे हों। असेम्बली की आयु पाँच वर्ष होती है। केप के नेटिव निर्वाचकों को असेम्बली के लिए तीन अतिरिक्त सदस्य चुनने का अधिकार है, ये सदस्य पाँच वर्ष तक बने रहते हैं; चाहे इस बीच में असेम्बली भंग ही क्यों न होजाय। असेम्बली में कोरम तीस सदस्यों का होता है।

दोनों सभाओं के हरेक सदस्य को राजभक्ति की शपथ लेनी पड़ती है। एक सभा का सदस्य, दूसरी सभा की सदस्यता के लिए निर्वाचित नहीं हो सकता। परन्तु मंत्री उस सभा में भी उपस्थित हो सकता तथा भाषण दे सकता है, जिसका वह सदस्य न हो; हाँ, वह अपना मत उसी सभा में दे सकता है, जिसका वह सदस्य हो। नीचे लिखी बातों से आदमी मेम्बरी के लिए अयोग्य माने जाते हैं:—(१) कोई ऐसा सरकारी पद ग्रहण करना, जिससे आमदनी होती हो (इसमें कुछ अपवाद हैं), (२) दिवालिया होना, (३) घोर अपराध, और (४) पागलपन।

धन सम्बन्धी कानूनी मसविदों का विचार असेम्बली में ही शुरू होता है; सीनेट उनमें परिवर्तन नहीं कर सकती। यदि असेम्बली में कोई कानूनी मसविदा दो बार स्वीकार हो जाय और सिनेट उसे अस्वीकार करदे तो गवर्नर-जनरल उसे दोनों सभाओं के संयुक्त

अधिवेशन में पेश करेगा, और उसमें जो निर्णय होगा, उसके अनुसार कानून बनेगा ।

सन् १९३६ के कानून से नेटिव प्रतिनिधि कौंसिल बनायी गयी है, इसमें २२ सदस्य होते हैं:—छः सरकारा; चार नामजद, जो गवर्नर जनरल द्वारा नियुक्त हों; और बारह निर्वाचित, जिनमें से तीन-तीन सदस्य प्रत्येक प्रान्त के होते हैं । इस कौंसिल का कार्य नीचे लिखे विषयों का विचार करना और उन पर अपनी सम्मति देना है:—
(१) कोई कानूनी मसविदा, जहाँ तक उसका सम्बन्ध नेटिव जनता (मूल निवासियों) से हो । (२) कोई विषय, जो मंत्री इस कौंसिल के पास भेजे । (३) कोई विषय, जिसका व्यापक रूप से नेटिव लोगों से सम्बन्ध हो ।

गवर्नर-जनरल और प्रबन्धकारिणी सभा—यूनियन का गवर्नर-जनरल इंग्लैंड के बादशाह द्वारा नियुक्त होता है । उसका वेतन यूनियन के कोष से दिया जाता है । वह प्रबन्धकारिणी सभा की सलाह से काम करता है । उसमें, सन् १९३६ में, प्रधान मंत्री सहित ११ मंत्री थे, जिनमें से एक मंत्री नेटिव जनता सम्बन्धी विषयों के लिए था, और एक विभाग रहित । मंत्रियों की नियुक्ति गवर्नर-जनरल द्वारा, पार्लिमेन्ट के सदस्यों में से, होती है । प्रधान मंत्री को ३५०० पौंड और दूसरे मन्त्रियों को २५०० पौंड वार्षिक वेतन मिलता है ।

प्रान्तीय शासन—यूनियन के चारों प्रान्तों में एक-एक एड-मिनिस्ट्रैटर (शासक), एक-एक व्यवस्थापक परिषद, तथा एक-एक प्रबन्धकारिणी कमेटी होती है । प्रान्त का शासन एडमिनिस्ट्रैटर के नाम से होता है, उसे गवर्नर-जनरल पाँच वर्ष के लिए नियुक्त करता है । व्यवस्थापक परिषदों की आयु पाँच-पाँच वर्ष होती है, वे अपना सभापति अपने सदस्यों में से निर्वाचित करती हैं । उनके सदस्यों की संख्या इस प्रकार है:—उत्तमाशा अन्तरीप ६१, नेटाल २५, ट्रांसवाल ५७, आरेंज फ्री स्टेट २५ । इन सदस्यों का निर्वाचन उसी पद्धति से

होता है, जैसे पार्लिमेंट के सदस्यों का; परन्तु यह प्रतिबन्ध नहीं है कि वे योरपियन ही हों। केप के नेटिव निर्वाचकों को प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषद के लिए दो सदस्य निर्वाचित करने का अधिकार है। प्रत्येक प्रान्तीय प्रबन्धकारिणी कमेटी में चार-चार मंत्री होते हैं, उसका सभापति एडमिनिस्ट्रेटर होता है। मंत्रियों का निर्वाचन व्यवस्थापक परिषदे करती है। यह आवश्यक नहीं है कि ये मंत्री अपने-अपने प्रान्त की व्यवस्थापक परिषद के सदस्य हों; उससे बाहर के भी आदमी मंत्री चुने जा सकते हैं।

प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषदे अपने क्षेत्र सम्बन्धी ऐसे ही आर्डिनेन्स बना सकती है, जो यूनियन-पार्लिमेंट के कानून से बेमेल न हों। उनके आर्डिनेन्सों को गवर्नर-जनरल रद्द कर सकता है।

विधान में संशोधन कैसे हो सकता है ?—यूनियन की पार्लिमेंट निर्धारित नियमों के अनुसार, विधान में संशोधन कर सकती है। संशोधन सम्बन्धी कानून का मसविदा पार्लिमेंट की दोनों सभाओं के संयुक्त अधिवेशन में पास होना चाहिए; उसके तीसरे वाचन के समय दोनों सभाओं के कुल सदस्यों में से कम-से-कम दो-तिहाई उसमें सहमत होने चाहिए।

(ग) आस्ट्रेलिया

आस्ट्रेलिया महाद्वीप अपने आकार में भारतवर्ष से भी बड़ा है। इसका क्षेत्रफल लगभग तीस लाख वर्गमील है। परन्तु इसका अधिकांश भाग गैर-आबाद है, इसकी कुल जनसंख्या सन् १९३३ की मनुष्यगणना के अनुसार सवा छ्वांठ लाख थी। सन् १९३८ में यहाँ की जनता लगभग सत्तर लाख होने का अनुमान किया गया था। आस्ट्रेलिया छः प्रान्तों का मिलकर बना हुआ संघ है।

ऐतिहासिक परिचय—आस्ट्रेलिया के उत्तरी किनारे की खोज १६०६ में, सबसे पहले डच लोगों ने की थी। इस सदी के अन्त में अंगरेज भी वहाँ गये। परन्तु सबने यही कहा कि भूमि बंजर है, और

मूल निवासी भगड़ालू हैं। इसलिए बहुत समय तक खोज का काम बन्द रहा। इस बीच में डच लोगो की सामुद्रिक प्रभुता जाती रही। अन्त में केण्टेन कुक नामक अंगरेज १७६८ में वहाँ 'पूर्वी' किनारे की ओर पहुँचा। उसने खबर दी कि यहाँ की भूमि उपजाऊ तथा बसाने योग्य है।

सन् १७८३ ई० में अमरीका के संयुक्त-राज्य कहे जानेवाले उप-निवेश ब्रिटिश साम्राज्य से अलग हो गये थे। इस घटना से अंगरेजों का ध्यान आस्ट्रेलिया की तरफ खास तौर से गया। बात यह थी कि अब तक कैदी, या अपने देश से निकाले हुए अंगरेज, अमरीका भेज दिये जाते थे, पर अब वहाँ के लोगो ने उन्हें लेना अस्वीकार कर दिया। ये कैदी या निर्वासित व्यक्ति अकसर वे लोग होते थे, जो अपने स्वतन्त्र धार्मिक या राजनैतिक विचारों के कारण अपराधी समझे जाते थे। इन्हें रखने के लिए ब्रिटिश सरकार अब ऐसी भूमि चाहती थी, जो ऐसी उपजाऊ हो कि इन्हें खाने का सामान मिलने में कठिनाई न हो, और जो इतनी दूर हो कि ये वहाँ से जल्दी इंगलैंड न आ सकें। ये दोनों बातें आस्ट्रेलिया में पूरी हो सकती थीं। इसलिए सन् १७८८ ई० में इन अपराधियों का जहाज़ यहाँ भेज दिया गया। इन्होंने इसे अपना देश समझा और ये उसकी उन्नति में लग गये। पीछे इनके आन्दोलन से, १८४० में इंगलैंड ने यहाँ दूसरे अपराधियों को भेजना बन्द कर दिया। इस समय के आसपास यहाँ सोने की खानें मिल जाने से देशोन्नति बहुत तेजी से हुई।

शासनपद्धति—धीरे धीरे आस्ट्रेलिया के रहनेवाले योरपियनों ने उत्तरदायी शासन की माँग पेश की और उसके लिए आन्दोलन किया। सन् १८५१ ई० में न्यूसाउथवेल्स, विक्टोरिया, दक्षिण-आस्ट्रेलिया, और टस्मानिया ने, जो अच्छी तरह संगठित हो गये थे, मिलकर अपनी शासनपद्धति का मसविदा तैयार किया। ब्रिटिश पार्लिमेंट को इसे स्वीकार करना पड़ा। पीछे १८५६ में क्वीन्सलैंड को, और १८६०

में पश्चिमी आस्ट्रेलिया को उत्तरदायी शासन दिया गया। पहले ये उपनिवेश सीमा आदि के लिए आपस में झगड़ा कर बैठते थे। अन्त में इन सबने एक संघ बना लिया और उसकी शासनपद्धति सन् १९०० ई० में ब्रिटिश पार्लिमेंट से स्वीकृत कराली। तब से यहाँ उस वर्ष के पार्लिमेंट के कानून के अनुसार, शासन होने लगा। उसके बाद समय-समय पर शासन-विधान में आवश्यकतानुसार संशोधन होते रहे हैं। संशोधन आस्ट्रेलिया की कामनवेल्थ की पार्लिमेंट के ही कानून द्वारा हुए हैं। विधान में इस बात की व्यवस्था है कि आस्ट्रेलिया के संघ में कोई नया प्रांत बन सके या शामिल किया जा सके।

संघ-पार्लिमेंट—पूरे आस्ट्रेलिया (कामनवेल्थ) सम्बन्धी कानून बनाने का अधिकार संघ-पार्लिमेंट को है। इसमें इंगलैंड के बादशाह के प्रतिनिधि के रूप में गवर्नर-जनरल होता है। उसके अलावा पार्लिमेंट में दो सभाएँ हैं:—(१) सिनेट, और (२) प्रतिनिधि-सभा (हाउस-ऑफ़-रेप्रेजेंटेटिव्स)। सिनेट में आस्ट्रेलिया के सब (छः) प्रान्तों में से हरेक के छः-छः, इस प्रकार कुल छत्तीस सदस्य होते हैं, जो छः वर्ष के लिए चुने जाते हैं। प्रान्त के करीब आधे सदस्यों का नया चुनाव हर तीसरे वर्ष होता है। सिनेट अपने सदस्यों में से एक को अपना सभापति निर्वाचित करती है। कोरम एक-तिहाई सदस्यों का होता है।

प्रतिनिधि-सभा में लगभग ७५ सदस्य होते हैं। आस्ट्रेलिया के हरेक प्रान्त के प्रतिनिधि, आबादी के अनुपात से, लिये जाते हैं। आबादी में अन्तिम मनुष्य-गणना या मर्दुमशुमारी का विचार किया जाता है, और मूल निवासियों का हिसाब नहीं लगाया जाता। जो प्रान्त शुरू से ही शामिल हैं, उनमें से किसी के पाँच से कम प्रतिनिधि नहीं लिये जाते। प्रतिनिधि-सभा का नया संगठन करीब तीन साल बाद होता है। वह अपने एक सदस्य को सभापति चुनती है। कोरम एक-तिहाई सदस्यों का होता है।

पार्लिमेंट की दोनों सभाओं का हरेक सदस्य जन्म से ब्रिटिश प्रजा का आदमी होना चाहिए, अथवा उसे ब्रिटिश संयुक्त-राज्य या आस्ट्रेलिया के किसी प्रान्त की नागरिकता मिले कम-से-कम पाँच साल का समय होजाना चाहिए। उसमें (वह पुरुष हो या स्त्री) बालिग होने के अलावा निर्वाचक होने की योग्यता होनी, और उसका आस्ट्रेलिया में तीन साल रह चुकना आवश्यक है। यदि पार्लिमेंट का कोई सदस्य आस्ट्रेलिया के किसी प्रान्त का पार्लिमेंट का मेम्बर हो तो उसे संघ-पार्लिमेंट में भाग लेने से पूर्व वह मेम्बरों छोड़ देना चाहिए। मूल निवासियों (नेटिव) को छोड़कर बाकी सब बालिग स्त्री पुरुषों को मताधिकार है।

धन सम्बन्धी कानूनी मसविदों पर विचार करने का कार्य प्रतिनिधि-सभा में ही हो सकता है, सिनेट में नहीं। सिनेट उसमें कोई संशोधन नहीं कर सकती। यदि प्रतिनिधि-सभा किसी कानूनी मसविदे को दो बार स्वीकार करले और सिनेट उसे अस्वीकार करे तो गवर्नर-जनरल दोनों सभाओं को भंग कर सकता है। यदि नये निर्वाचन के बाद फिर भी प्रतिनिधि-सभा उस मसविदे को स्वीकार करे और सिनेट अस्वीकार, तो दोनों सभाओं का संयुक्त अधिवेशन होता है, और उसके निर्णय के अनुसार काम होता है।

संघ-पार्लिमेंट का खासकर नीचे लिखे विषयों के कानून बनाने का अधिकार है:—व्यापार, जहाज चलाना, राजस्व, मुद्रा, बैंकिंग, रक्षा, विदेशों सम्बन्धी विषय, डाक, तार, मर्दमशुमारी, ताल, माप, रेल, ऐसे औद्योगिक विषयों के झगड़े निपटाना जिनका क्षेत्र एक प्रान्त की सीमा से बाहर हो, और देश की हालत जाहिर करने वाले आंकड़े (स्टैटिस्टिक्स)। इन्हें छोड़कर, शेष सब विषयों के अपने-अपने क्षेत्र सम्बन्धी कानून बनाने का अधिकार प्रत्येक प्रान्त को है। अगर किसी प्रान्त का कोई कानून उस विषय के संघ-कानून से मेल न खाता हो, तो संघ का कानून मान्य होता है।

गवर्नर-जनरल और प्रबन्धकारिणी सभा—आस्ट्रेलिया का गवर्नर-जनरल इंगलैंड के बादशाह द्वारा नियुक्त होता है। वह प्रबन्धकारिणी सभा की सलाह से काम करता है, जिसमें अक्सर सात से ग्यारह तक मंत्री होते हैं। मंत्री प्रतिनिधि-सभा के सदस्यों में से लिये जाते हैं, और उस सभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं।

प्रान्तीय शासन—आस्ट्रेलिया में छः प्रान्त हैं। हरेक प्रान्त में बादशाह द्वारा नियुक्त एक गवर्नर रहता है, जो गवर्नर-जनरल के अधीन नहीं होता। क्वीन्सलैण्ड में एक ही व्यवस्थापक सभा है; इसे छोड़कर अन्य प्रान्तों में दो-दो व्यवस्थापक सभाएँ हैं, जिन्हें अपने-अपने प्रान्त के लिए कानून बनाने तथा कर या टेक्स लगाने का अधिकार है। मताधिकार प्रत्येक बालिग स्त्री पुरुष को है।

इस शासनपद्धति की विशेषताएं—यहाँ की शासनपद्धति की मुख्य-मुख्य विशेषताएं ये हैं:—

१—पार्लिमेंट की दोनों सभाओं के निर्वाचन के लिए प्रत्येक बालिग पुरुष स्त्री को मताधिकार है।

२—प्रान्तों के गवर्नर इंगलैंड के बादशाह द्वारा नियुक्त किये जाते हैं, और वे उससे सीधा सम्बन्ध रखते हैं।

३—संघ-सरकार को वे ही अधिकार प्राप्त हैं, जो उसे कानून द्वारा दिये गये हैं, शेष सब अधिकार प्रान्तीय सरकारों को प्राप्त हैं।

४—प्रबन्धकारिणी सभा पूरे तौर से प्रतिनिधि-सभा के प्रति उत्तरदायी है।

५—शासनपद्धति को, यहाँ की पार्लिमेंट का बहुमत, अथवा प्रतिनिधि-सभा का बहुत भारी बहुमत होने पर, निर्वाचक आसानी से बदल सकते हैं।

विधान में परिवर्तन कैसे हो सकता है ?—विधान-परिवर्तन सम्बन्धी कानूनी मसविदा पार्लिमेंट की दोनों सभाओं में साफ बहुमत से पास होना चाहिए। दोनों सभाओं द्वारा पास होने के कम-से-कम

दो, और अधिक-मे-अधिक छः महीने बाद उस पर हरेक प्रान्त के निर्वाचकों के मत लिये जायेंगे। यदि उस मसविदे को कोई सभा दो बार स्वीकार कर ले और दूसरी सभा उसे अस्वीकार करे तो भी गवर्नर-जनरल उस मसविदे के सम्बन्ध में प्रत्येक प्रान्त के निर्वाचकों का मत ले सकता है। यदि ज्यादातर प्रान्तों में निर्वाचकों का साफ बहुमत उस मसविदे के पक्ष में हो, और मत देनेवाले सब निर्वाचकों का भी बहुमत उसके पक्ष में हो तो गवर्नर-जनरल उसपर बादशाह की स्वीकृति लेता है, और वह कानून बन जाता है।

(घ) न्यूजीलैंड

इसमें दो द्वीप हैं—उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप। यह आस्ट्रेलिया के दक्षिण-पश्चिम में है। इसका क्षेत्रफल एक लाख वर्ग मील से अधिक है। मनुष्यगणना हर पाचवे साल होती है। सन् १९३६ की गणना के अनुसार यहाँ की आबादी १५ लाख है। यहाँ के मूल निलामी 'माओरी' कहलाते हैं।

ऐतिहासिक परिचय—योरपवालों को न्यूजीलैंड का पता सन् १६४२ में लगा था। इसके किनारे की विशेष खोज कप्तान कुक ने सन् १७६९ में की। सन् १८३० ई० में यहाँ योरपियन अच्छी संख्या में आगये। ये उत्तरी द्वीप में बस गये। १८३९ में फ्रांस वालों ने इस भूमि पर अधिकार करना चाहा, पर अंगरेजों ने बाजी मारली। ठीक तरह बस जाने पर, यहाँ के योरपियनों ने स्वराज्य की माँग की। ब्रिटिश पार्लिमेंट ने सन् १८५२ में यहाँ पार्लिमेंट स्थापित करने का कानून बनाया, और पीछे इस कानून में समय-समय पर संशोधन किया। आस्ट्रेलिया की भूमि से बहुत फासले पर स्थित होने के कारण, इस उपनिवेश ने उसके संघ में शामिल होना पसन्द नहीं किया, और अपनी शासनपद्धति अलग रखी। सन् १९०८ से न्यूजीलैंड की पार्लिमेंट

खुद ही यहाँ के शासन-विधान में संशोधन करती है। विधान में ऐसी व्यवस्था है कि मूल निवासियों सम्बन्धी शासन-प्रबन्ध, तथा उनके आपसी व्यवहार में, उनके नियम तथा रीति-रिवाज का ध्यान रखा जाय, और, कुछ ऐसे जिले अलग रखे जायें, जहाँ उनके नियम तथा रीति रिवाज का पालन हो। लेकिन मूल निवासियों की संख्या अब बहुत कम रह गयी है।

पार्लिमेंट—यहाँ की पार्लिमेंट (‘जनरल असेम्बली’) में दो सभाएँ हैं:—(१) व्यवस्थापक परिषद् अर्थात् ‘लेजिस्लेटिव कौंसिल, और (२) प्रतिनिधि-सभा अर्थात् ‘हाउस-ऑफ-रेजेन्टेन्स’। व्यवस्थापक परिषद् के सदस्य ४३ तक होते हैं, जिनमें से माओरी जाति के ३ सदस्य गवर्नर-जनरल द्वारा नियुक्त होते हैं, और शेष, सदस्य हर सातवें वर्ष निर्वाचित होते हैं। सन् १९४३ में सदस्यों की संख्या ३६ थी। उम्मेदवार बनने के लिए किसी जायदाद का रखना आवश्यक नहीं है।

प्रतिनिधि-सभा में ८० सदस्य होते हैं, जो सर्वसाधारण द्वारा तीन साल के लिए चुने जाते हैं। इनमें से चार माओरी होते हैं। सन् १९१९ से स्त्रियाँ भी सदस्य हो सकती हैं।

प्रत्येक पुरुष और स्त्री, जिसका नाम निर्वाचक-सूची में दर्ज हो, सदस्य बन सकती है। योरपियन सदस्यों के निर्वाचन के लिए वेलोग मतदाता होते हैं, जो विदेशी न हों, एक साल तक न्यूजीलैंड में, और तीन महीने निर्वाचन-जिले में रहे हों। कोई व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचक-सूचियों में अपना नाम दर्ज नहीं करा सकता। माओरियों के चारों निर्वाचन-जिलों में प्रत्येक बालिग माओरी मत दे सकता है। स्त्रियों का मताधिकार सन् १८९३ में मिला।

यदि गवर्नर-जनरल किसी विषय का कानून बनवाना चाहता है, तो वह उसका मसविदा पार्लिमेंट की किसी सभा में भेज सकता है। इस पर नियमानुसार विचार किया जाता है। जब पार्लिमेंट की दोनों

सभाओं में किसी कानूनी मसविदे के सम्बन्ध में मतभेद होता है, तो गवर्नर-जनरल द्वारा दोनों सभाओं का संयुक्त अधिवेशन किया जाता है।

गवर्नर-जनरल को अधिकार है कि वह पार्लिमेंट द्वारा पास किये हुए किसी कानूनी मसविदे को बादशाह की ओर से स्वीकार करे या अस्वीकार करे, अथवा उसे बादशाह की स्वीकृति के लिए रख छोड़े। वह उस मसविदे में आवश्यक संशोधन करके उसे फिर पार्लिमेंट की सभाओं के विचार के लिए भेज सकता है। ऐसा होने की दशा में सभाएँ उस पर नियमानुसार विचार करती हैं। बादशाह की स्वीकृति के लिए रख छोड़ा हुआ कानूनी मसविदा उसकी स्वीकृति प्राप्त होने तक अमल में नहीं आता। बादशाह उसे दो साल तक अस्वीकार कर सकता है।

गवर्नर-जनरल और प्रबन्धकारिणी सभा—यहाँ का गवर्नर-जनरल बादशाह द्वारा नियुक्त होता है। वह बादशाह का ही नहीं, ब्रिटिश सरकार का भी प्रतिनिधि होता है। उसका संयुक्त पद गवर्नर-जनरल और कमांडर-इन-चीफ है। वह आम तौर से प्रबन्धकारिणी सभा की सलाह से काम करता है। प्रबन्धकारिणी सभा में १२ मंत्री होते हैं; वे अपने शासन-कार्य के लिए व्यवस्थापक सभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं।

(च) न्यूफाउंडलैंड

यह उपनिवेश केनेडा के पूर्व में, एक छोटा-सा टापू है। इसका क्षेत्रफल ४३ हजार वर्गमील और जनसंख्या लगभग तीन लाख है। थोरपवालों में, सब से पहले इस का पता जोन केबट ने सन् १४९७ में लगाया था। इस उपनिवेश का ऐतिहासिक परिचय केनेडा के प्रसंग में दे दिया गया है। यह केनेडा के संघ में शामिल होने के लिए राजामन्द नहीं हुआ, उससे अलग ही रहा।

शासनपद्धति; सन् १९३४ से पूर्व—फरवरी १९३४ से पहले यहाँ पार्लिमेंट में दो सभाएँ थीं:—(१) व्यवस्थापक परिषद (लेजिस्लेटिव कौंसिल), और (२) व्यवस्थापक सभा (असेम्बली)। व्यवस्थापक परिषद में २४ से अधिक सदस्य नहीं होते थे। उनकी नियुक्ति गवर्नर करता था। व्यवस्थापक सभा में २७ निर्वाचित सदस्य होते थे। स्त्रियों को सन् १९२५ से सत्ताधिकार था। यहाँ का गवर्नर इंग्लैंड के बादशाह द्वारा नियुक्त होता था। वह प्रबन्धकारिणी सभा की सलाह से काम करता था, जिसमें बारह से अधिक मंत्री नहीं होते थे।

वर्तमान शासनपद्धति—सन् १९३३ में एक शाही कमीशन इस लिए नियुक्त किया गया कि न्यूफाउण्डलैंड की आर्थिक स्थिति की जाँच करके इस उपनिवेश की भावी व्यवस्था के सम्बन्ध में अपनी मम्मति सूचित करे। उस कमीशन ने यह सिफारिश की कि यहाँ के व्यवस्थापक मंडल तथा प्रबन्धकारिणी सभा को स्थगित किया जाय, और जब तक यह उपनिवेश फिर स्वावलम्बी न होजाय, यहाँ की शासन और व्यवस्था का पूर्ण अधिकार एक गवर्नर को रहे, जो एक कमीशन की सलाह से कार्य करे। कमीशन में छः सदस्य रहें, जिनमें से तीन न्यूफाउण्डलैंड के हों, और तीन ब्रिटिश संयुक्त-राज्य के। कमीशन का सभापति गवर्नर हुआ करे। कमीशन-सहित गवर्नर स्वराज्य-प्राप्त उपनिवेशों सम्बन्धी ब्रिटिश मंत्री के प्रति उत्तरदायी रहे। इस उपनिवेश के पुनर्निर्माण-काल में राजस्व का साधारण उत्तरदायित्व ब्रिटिश सरकार पर होगा। इन सिफारिशों के अनुसार, सन् १९३४ ई० से इस उपनिवेश की शासनपद्धति की नयी व्यवस्था की गयी।



उत्तरदायी शासनपद्धति—ब्रिटिश साम्राज्य के स्वराज्य-प्राप्त प्रदेशों की शासनपद्धति का वर्णन ऊपर किया जा चुका है। जुदा-जुदा

सतरहवाँ परिच्छेद

— ८१७ —

भारतवर्ष और बर्मा

भारतवर्ष की शासनपद्धति कैसी है, यहाँ स्वधीनता पाने के लिए क्या क्या प्रयत्न किये गये और इस समय इसकी राजनैतिक स्थिति कैसी है, इसका खुलासा विचार श्री० केला जी की 'भारतीय शासन' (नवाँ संस्करण) और 'हमारी राष्ट्रीय समस्याएँ' (सातवाँ संस्करण) में किया गया है। यहाँ खासकर बर्मा के विषय में लिखा जाता है। इसका क्षेत्रफल २ लाख २३ हजार वर्ग मील, और जनसंख्या, सन् १९४१ की मधुमशुमारी के अनुसार, डेढ़ करोड़ है।

सन् १९३५ से पहले बर्मा का शासन भारतवर्ष के एक प्रान्त की हैसियत से किया जाता था। उस वर्ष के विधान द्वारा वह सन् १९३७ में भारतवर्ष से अलग किया गया। तब से यहाँ के गवर्नर का, सीधा सम्राट् से सम्बन्ध हो गया। ब्रिटिश पार्लिमेंट के प्रति जो व्यक्ति भारत-मंत्री होने की हैसियत से भारतवर्ष के सुशासन के लिए उत्तरदायी होता है; वही बर्मा-मंत्री होने की हैसियत से बर्मा के सुशासन के लिए जिम्मेवर माना जाने लगा। बर्मा के व्यवस्थापक मंडल में दो सभाएँ हो गयीं— सानेट और प्रतिनिधि सभा; उन्हें सैनिक, विदेश और व्यापार सम्बन्धी विषयों को छोड़कर, शेष विषयों पर कानून बनाने का अधिकार था।

सन् १९३९ से (दूसरा) योरपीय महायुद्ध आरंभ हुआ। इस समय बर्मा का प्रधान मंत्री यू० सा० थे। उन्होंने लन्दन जाकर ब्रिटिश अधिकारियों से बर्मा की आजादी की माँग की। अमरीका की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए वे वाशिंगटन भी गये। वे वहाँ से लौट ही रहे थे कि जापान का हंगलैंड और अमरीका से युद्ध ठन गया, और अंगरेज

प्रचलित है, उसे संघ (‘फिडरल’) शासनपद्धति कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका के यूनियन की शासनपद्धति के भी कुछ लक्षण इसी में मिलते हैं। संघ-शासन वाले राज्य में सारी शासन-सत्ता एक केन्द्रीय सरकार के अधीन नहीं होती, बल्कि एक लिखित विधान के अनुसार, केन्द्रीय सरकार तथा प्रान्तीय सरकारों में बटी होती है। व्यापार, युद्ध, सिक्का आदि जिन बातों का सम्बन्ध सारे राज्य से हो, उनके बारे में नियम बनाने का अधिकार केन्द्रीय व्यवस्थापक मंडल को होता है, और उनको अमल में लाने का काम केन्द्रीय सरकार करती है। प्रान्तीय सरकारें अपने-अपने प्रान्त के विषयों में—मिमाल के तौर पर धर्म, शिक्षा, उद्योग-धन्धों आदि के सम्बन्ध में—स्वाधीन रहती हैं। कुछ विषय ऐसे भी होते हैं जिनके सम्बन्ध में अधिकार केन्द्रीय एवं प्रान्तीय दोनों सरकारों को होते हैं। इन सरकारों के अधिकारों की सीमा का निर्णय करने के लिए एक प्रधान न्यायालय रहता है, जिसे संघ-न्यायालय कहा जाता है। संघ-विधान, संघ में शामिल होनेवाले राज्यों का एक तरह का संधि-पत्र होता है, जिसके अनुसार वे अपने कुछ अधिकारों को अपने अधीन रखते हैं, और कुछ को केन्द्रीय सत्ता के सुपुर्द कर देते हैं।

[इसके खिलाफ, एकात्मक (‘यूनीटरी’) शासनपद्धति वाले राज्यों में सब शासन सत्ता केन्द्रीय सरकार के अधीन होती है। यदि वह उचित समझे तो वह अपने कुछ अधिकार प्रान्तीय सरकार को दे सकती है। केन्द्रीय सरकार को प्रान्तीय सरकारों के अधिकार घटाने-बढ़ाने एवं उनकी संख्या या सीमा में भी परिवर्तन करने का अधिकार होता है। ग्रेट-ब्रिटेन आदि देशों में यह पद्धति प्रचलित है।]



सतरहवाँ परिच्छेद

~*~*~

भारतवर्ष और बर्मा

भारतवर्ष की शासनपद्धति कैसी है, यहाँ स्वधीनता पाने के लिए क्या क्या प्रयत्न किये गये और इस समय इसकी राजनैतिक स्थिति कैसी है, इसका खुलासा विचार श्री० केला जी की 'भारतीय शासन' (नवाँ संस्करण) और 'हमारी राष्ट्रीय समस्याएँ' (सातवाँ संस्करण) में किया गया है। यहाँ खासकर बर्मा के विषय में लिखा जाता है। इसका क्षेत्रफल २ लाख २३ हजार वर्ग मील, और जनसंख्या, सन् १९४१ की मधुमशुमारी के अनुसार, डेढ़ करोड़ है।

सन् १९३५ से पहले बर्मा का शासन भारतवर्ष के एक प्रान्त की हैसियत से किया जाता था। उस वर्ष के विधान द्वारा वह सन् १९३७ में भारतवर्ष से अलग किया गया। तब से यहाँ के गवर्नर का, सीधा सम्राट् से सम्बन्ध हो गया। ब्रिटिश पार्लिमेंट के प्रति जो व्यक्ति भारत-मंत्री होने की हैसियत से भारतवर्ष के सुशासन के लिए उत्तरदायी होता है; वही बर्मा-मंत्री होने की हैसियत से बर्मा के सुशासन के लिए जिम्मेवर माना जाने लगा। बर्मा के व्यवस्थापक मंडल में दो सभाएँ हो गयीं—सिनेट और प्रतिनिधि सभा; उन्हें सैनिक, विदेश और व्यापार सम्बन्धी विषयों को छोड़कर, शेष विषयों पर कानून बनाने का अधिकार था।

सन् १९३९ से (दूसरा) योरोपीय महायुद्ध आरंभ हुआ। इस समय बर्मा का प्रधान मंत्री यू० सा० थे। उन्होंने लन्दन जाकर ब्रिटिश अधिकारियों से बर्मा की आजादी की माँग की। अमरीका की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए वे वाशिंगटन भी गये। वे वहाँ से लौट ही रहे थे कि जापान का हंगलैंड और अमरीका से युद्ध ठन गया, और अंगरेज

अधिकारियों ने इस आशंका के आधार पर कि शायद यू० सा० जापान के तरफदार हो, उन्हें रास्ते में ही गिरफ्तार करके नजरबन्द कर लिया ।

सन् १९४२ में बर्मा पर जापान का अधिकार हो गया, और जापान ने बर्मा की आजादी की घोषणा कर दी; हाँ, यह घोषणा कहाँ तक अमल में आयी, यह निश्चित रूप में नहीं कहा जा सकता । तीन साल तक बर्मा की अंगरेजी सरकार भारतवर्ष में (शिमले में) बनी रही; पीछे सन् १९४५ में बर्मा जीते जाने पर वहाँ लौटी । इस अवसर पर ब्रिटिश सरकार ने सूचित किया — (१) तीन वर्ष तक बर्मा में फौजी हुकूमत रहेगी । गवर्नर शासन करेगा । हाँ, बर्मा सलाहकारों से मदद ली जायगी । (२) सन् १९४८ में यहाँ युद्ध से पहले का विधान लागू किया जायगा । उसी विधान के अनुसार निर्वाचन होगा । जिस दल का प्रतिनिधि-सभा में बहुमत होगा, वह मंत्रिमंडल बनायेगा । लेकिन रक्षित विषयों का अधिकार गवर्नर को ही रहेगा । (३) इसके बाद अगर बर्मा के सभी दलों में एकमत हो जाय तो वे अपना विधान बना सकेंगे, पर वह विधान ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर रहने का ही होगा ; यदि विधान सर्व सम्मति से बना तो वह ब्रिटिश पार्लिमेंट में पेश किया जायगा, और पार्लिमेंट उसे आवश्यक संरक्षणों के साथ स्वीकार करेगी । ब्रिटिश सरकार की इस नीति से मालूम होता है कि वह बर्मा को जल्दी ही 'डोमिनियन' बनने, यानी साम्राज्य के अन्दर स्वायत्त पाने देना नहीं चाहती ।

इंग्लैंड में इस वर्ष (१९४५) जो नया चुनाव हुआ है, उसके अनुसार मंत्रिमण्डल मज़दूर दल का बना है, जो प्रायः कुछ उदार समझा जाता है । नये भारत-मंत्री पेथिक लारेन्स ने कहा है कि "मैंने अपने सामने ब्रिटेन तथा भारत और बर्मा के बीच समानता के आदर्श को रखा है, जिसकी हमें पूर्ति करनी है ।" नये पार्लिमेंट के उद्घाटन के समय, १५ अगस्त को सम्राट् ने भी अपने भाषण में कहा है कि

“मेरी सरकार भारतीय लोकमत के नेताओं के सहयोग से भारत में पूर्ण स्वराज्य (सेल्फ गवर्मेंट) शीघ्र स्थापित करने के लिए अधिक-से-अधिक प्रयत्न करेगी।”

समय बतायेगा कि यह बात कब पूरी होती है, और क्या भारत और बर्मा को अपनी आजादी के लिए और भी बहुत कोशिश करना और कठिन परीक्षाओं में से गुजरना है।

अठारहवाँ परिच्छेद



उपनिवेश-विभाग के अधीन भू-भाग

इस परिच्छेद में साम्राज्य के उन हिस्सों की शासनपद्धति का विचार किया जाता है, जो ब्रिटिश सरकार के उपनिवेश-विभाग के अधीन हैं। यद्यपि इनमें सीलोन या लंका आदि कुछ हिस्से ऐसे हैं, जो वास्तव में उपनिवेश नहीं हैं, इन सबको अकसर उपनिवेश ही कहा जाता है।

ये उपनिवेश संसार भर में बिखरे हुए, अनेक छोटे-बड़े टापू या दूसरे ऐसे हिस्से हैं, जिनके ज्यादातर निवासी असंगठित गैर-न्यायप्रिय हैं, तथा असभ्य माने जाते हैं। ये पिछली तीन सदियों में जुदा-जुदा समय में, अंगरेजों के अधिकार में आये। इनमें से बहुत-सों में अंगरेज पहले व्यापार करने के लिए गये थे। कुछ उपनिवेश युद्ध तथा सन्धियों से भी मिले हैं।

अफ्रीका और अमरीका के, या इनके पास के उपनिवेशों में से बहुत-सों की जलवायु अंगरेजों के अनुकूल न होने से, इनमें ज्यादा जनसंख्या इनके मूल निवासियों की ही है। जिन स्थानों की आवश्यकता यहाँ बसनेवाले अंगरेजों के अनुकूल है, उनमें इनकी संख्या खूब बढ़ी,

तथा बढ़ रही है। किसी-किसी की पैदावार अच्छी है, और अंगरेज उससे, तथा उपनिवेश के मूल निवासियों की सस्ती मजदूरी से, खूब लाभ उठाते हैं। अदन और जिवरालटर आदि कुछ उपनिवेश अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण ही विशेष महत्व के हैं।

दो श्रेणियाँ—शासनपद्धति के विचार से, हम इन उपनिवेशों को दो श्रेणियों में बाँट सकते हैं—पहली श्रेणी उन उपनिवेशों की है, जिनमें उत्तरदायी शासनपद्धति आरम्भ हो गई है; ये दक्षिणी रोडेशिया, मालटा और लका हैं। दूसरी श्रेणी में वे बहुत से उपनिवेश हैं, जिनमें उत्तरदायी शासनपद्धति नहीं है। इन्हें राजकीय उपनिवेश (क्राउन कालोनी) कहा जाता है। इसका कारण यह है कि प्रायः इनमें बादशाह के 'आर्डर-इन-कौंसिल' द्वारा बनाये हुए कानूनों का व्यवहार होता है।

उत्तरदायी शासनपद्धति वाले उपनिवेश—(१) दक्षिणी रोडेशिया—यह दक्षिण अफ्रीका में है। इसका क्षेत्रफल डेढ़ लाख वर्गमील और जनसंख्या सन् १९४१ की मनुष्यगणना के अनुसार चौदह लाख पचास हजार है, जिनमें योरपियन केवल ३६ हजार हैं। यह सन् १९२३ तक ब्रिटिश-दक्षिण-अफ्रीका-कम्पनी के अधीन था। उस वर्ष यह नियमानुसार ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया गया। यहाँ करीब-करीब सब भीतरी मामलों में उत्तरदायी शासन है; हाँ, मूल निवासियों के सम्बन्ध में कुछ प्रतिबन्ध हैं। शासन-कार्य गवर्नर और प्रबन्धकारिणी सभा द्वारा होता है। यहाँ कानून बनाने के लिए व्यवस्थापक सभा (असेम्बली) है। इसमें तीस सदस्य हैं। इसका कार्यकाल पाँच वर्ष है। सन् १९३८ ई० से मताधिकार २१ वर्ष से अधिक आयु के, निर्धारित योग्यता वाले, ब्रिटिश प्रजाजनों को है।

(२) मालटा—यह टापू भूमध्य सागर में है। इसका क्षेत्रफल ६५ वर्गमील और पास के टापुओं को मिला कर १२२ वर्गमील है।

यहाँ की जनसंख्या सन् १९३८ में लगभग पौने तीन लाख थी। सन् १९३३ से भीतरी मामलों में उत्तरदायी शासन है। गवर्नर एक कौंसिल द्वारा शासन करता है।

(३) लंका—बहुत प्राचीन काल से इसका भारतवर्ष से गहरा सम्बन्ध रहा है। दोनों की संस्कृति, धर्म, रीति-रिवाज आदि में बहुत समानता है। यहाँ के अधिकांश निवासी बौद्ध धर्मानुयायी हैं। यहाँ की भूमि की पैदावार बढ़ाने में दक्षिण-भारतवालों का बड़ा भाग रहा है। योरपियनों में सबसे पहले पुर्तगालवालों ने सन् १५०५ में इसका पता लगाया। अगली सदी के मध्य में इसे हालैंड वालों ने ले लिया। अठारहवीं सदी में यहाँ अंगरेजों का अधिकार हुआ। सन् १७६३ में यह मदरास प्रान्त की सरकार के अधीन किया गया था। पीछे सन् १८०२ में इसे भारतवर्ष से जुदा कर दिया गया। इसका क्षेत्रफल २५,३३२ वर्गमील, और जनसंख्या लगभग साठ लाख है।

अंगरेजों की अमलदारी के आरम्भ में लंका का शासन एक राजकीय उपनिवेश की तरह था। सन् १९१४-१८ के योरपीय महायुद्ध के समय भारतवर्ष की भाँति यहाँ भी शासन-सुधार का आन्दोलन हुआ। यहाँ की नेशनल कांग्रेस तथा अन्य संस्थाओं के प्रयत्न से सन् १९२२ में यहाँ व्यवस्थापक सभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकता होने लगी, यद्यपि कानून बनाने और शासन करने का सर्वोच्च अधिकार गवर्नर का ही रहा। पीछे लार्ड डोनोमोर की अधीनता में एक कमीशन द्वारा जाँच होने पर सन् १९३१ में शासनपद्धति में परिवर्तन हुआ।

कानून बनाने के लिए यहाँ एक व्यवस्थापक सभा है, जिसे स्टेट कौंसिल (राजपरिषद) कहते हैं। इसमें पचास सदस्य निर्वाचित होते हैं, और आठ नामजद। इनके अलावा इसमें तीन राज्याधिकारी भी बैठते हैं:—चीफ सेक्रेटरी, लीगल सेक्रेटरी, और फाइनेंस (राजस्व) सेक्रेटरी।

यह परिषद सात कमेटियों का चुनाव करती है, हरेक कमेटी को निर्धारित शासन-कार्य सौंपा जाता है। राजप्रबन्ध सम्बन्धी दूसरे कार्य—रक्षा, बाहरी सम्बन्ध, सार्वजनिक शान्ति, निर्वाचन, राजस्व आदि—पर अधिकारियों का नियंत्रण रहता है। कमेटियाँ अपना-अपना सभापति खुद चुनती हैं; ये सभापति गवर्नर द्वारा, एक-एक विभाग के, मंत्री नामजद किये जाते हैं। राजपरिषद के सदस्यों के चुनाव के लिए निर्धारित योग्यता वाली प्रत्येक बालिग स्त्री तथा पुरुष का मतधिकार है। सदस्यों के लिए अंगरेजी भाषा में बोलने, पढ़ने और लिखने की भी योग्यता का होना आवश्यक है।

गवर्नर का अधिकार है कि वह चाहे जिस विभाग का प्रबन्ध अपने हाथ में ले ले। उसे कानून बनाने का भी बहुत अधिकार है। वह राजपरिषद द्वारा पास किये हुए कानूनी मसविदे को अस्वीकार कर सकता है, और किसी मसविदे के सम्बन्ध में यह भी माँग कर सकता है कि गवर्नर की स्वीकृति के लिए उपस्थित किये जाने से पहले वह परिषद के दो-तिहाई सदस्यों द्वारा पास किया जाना चाहिए।

लंका में नौ प्रान्त हैं। प्रत्येक प्रान्त के शासन-प्रबन्ध के लिए एक-एक सरकारी एजेंट रहता है, उसकी सहायता के लिए सहायक और अधीन कर्मचारी होते हैं।

बादशाह को अधिकार है कि आर्डर-इन-कौंसिल के द्वारा यहाँ की शासनपद्धति में परिवर्तन करे, या कोई नया कानून बनाये। राजपरिषद ने इसका विरोध किया है। उसको माँग यह भी है कि राज्याधिकारी कानून बनाने में हिस्सा न लें, गवर्नर के विशेषाधिकार हटा दिये जायँ, और राजस्व सम्बन्धी पूर्णाधिकार कौंसिल के हाथ में रहे। मई १९४३ में ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि लंका उपनिवेश अपना विधान स्वयं बना सकता है। इस पर लंका वाले अपना विधान बनाने लग गये। इस बीच में ब्रिटिश सरकार ने एक कमीशन (सोलवरी कमीशन) इसलिए नियत कर दिया कि लंका में जो तरह-तरह के स्वार्थ या हित हैं, उन्हें

ध्यान में रख कर लंका वालों को अपना विधान बनाने में सलाह मश-
विरा दे। लंका वालों को यह बात नापसन्द थी। वे समझ गये कि
कमीशन का उद्देश्य यह है कि अंगरेजों के हाथ में जो वहाँ के चाय
और रबड़ आदि का व्यापार है, उसे उन्हीं के लिए सुरक्षित रखा
जाय। नवम्बर १९४४ में राजपरिषद ने 'आजाद लंका' (फ्री लंका)
बिल पास किया; उसका मतलब यह था कि लंका को स्वाधीन उप-
निवेश (डोमिनियन) बना दिया जाय। ब्रिटिश उपनिवेश-मंत्री ने उस
प्रस्ताव को बादशाह की मजूरी के लिए नहीं रखा; इसका कारण उन्होंने
यह बतलाया कि प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार के सूचित किये
हुए संरक्षणों का विचार नहीं रखा गया है। इस पर राजपरिषद
ने अपना बहुत विरोध और असन्तोष जाहिर किया; कारण, इससे
लंका के लोगों का आजादी के साथ अपना विधान बनाने का हक
मारा जाता है।

राजकीय उपनिवेश—इन उपनिवेशों के कई भेद हैं—(क)
ऐसे उपनिवेश, जिनमें व्यवस्थापक सभा (असेम्बली) निर्वाचित सदस्यों
की, और व्यवस्थापक परिषद (कौंसिल) नामजद सदस्यों की है; इस
प्रकार शासनपद्धति कुछ अंश में प्रतिनिधिमूलक है; जैसे बहामा, बरवेडोस,
और बरमूडा (अमरीका)

(ख) ऐसे उपनिवेश, जिनकी व्यवस्थापक परिषदों में ज्यादातर
सदस्य चुने हुए हैं, जिनके संगठन में सरकारी सदस्यों का बहुमत होने
की व्यवस्था नहीं है; जैसे ब्रिटिश गायना (दक्षिण अफ्रीका); और
साइप्रस (एशिया)।

(ग) ऐसे उपनिवेश, जिनकी व्यवस्थापक परिषदों में थोड़े से
सदस्य निर्वाचित हैं, जिनके संगठन में सरकारी सदस्यों के बहुमत की
व्यवस्था है; जैसे मारीशस (अफ्रीका); स्टेट सेटलमेंट (पिनांग,
मलाका, सिंगापुर और लबुआन), फिजी (आस्ट्रेलिया); लीवर्ड

द्वीप, ट्रिनिडाड और टोबैगो (अमरीका); सीरालोन, गोल्डकोस्ट, नाइजीरिया, और केनिया (अफ्रीका) ।

(घ) ऐसे उपनिवेश जिनकी व्यवस्थापक परिषदों के सदस्य नामजद हैं; जैसे ब्रिटिश होङ्गकांग और फाकलैंड द्वीप (अमरीका); गेम्बिया (अफ्रीका); सेशलीज (अफ्रीका) ।

(च) ऐसे उपनिवेश जिनमें व्यवस्थापक परिषदे नहीं हैं; केवल बादशाह को ही कानून बनाने का अधिकार है, और वह इस अधिकार का उपयोग इन उपनिवेशों में रहनेवाले गवर्नरों या हाईकमिश्नरों द्वारा करता है; जैसे जिब्राल्टर (योरप); सेंटहेलिना, बसटोलैंड, अशान्टी, (अफ्रीका); जिलवर्ट और ऐलिस द्वीप (आस्ट्रेलिया) ।

जैसे कि पहले कहा जा चुका है; प्रायः इन सब उपनिवेशों के लिए बादशाह अपने आर्डर-इन-कौंसिल द्वारा आवश्यक कानून बना सकता है । इनमें से अधिकांश में शासन-प्रबन्ध के लिए गवर्नर और उनकी प्रबन्धकारिणी कौंसिलें हैं । गवर्नरों को बादशाह ब्रिटिश उपनिवेश-मंत्री के परामर्श के अनुसार नियत करता है । उन्हें शासन सम्बन्धी सब आवश्यक अधिकार होते हैं, परन्तु वे इन अधिकारों का उपयोग उन लिखी हुई हिदायतों के अनुसार ही कर सकते हैं, जो उन्हें, नियुक्ति के समय बादशाह द्वारा दी जाती हैं, अथवा जो उन्हें समय-समय पर उपनिवेश-मंत्री द्वारा मिलती रहती हैं । गवर्नर को शासन-कार्य में सहायता करने के लिए प्रबन्धकारिणी सभा भी रहती है, लेकिन वह इसके बहुमत की अवहेलना कर सकता है । गवर्नर का, गेलें निकालने और बन्दरगाह बनवाने आदि के ऐसे कार्यों की ओर बहुत ध्यान रहता है, जिनमें बड़ा खर्च करना होता है ।

पहले बताया जा चुका है कि स्वराज्य-प्राप्त उपनिवेशों में हिन्दुस्तानियों के लिए प्रायः दरवाजा बन्द है । पर उपनिवेश-विभाग के अधीन अनेक उपनिवेश हिन्दुस्तानियों को माँग रहे हैं । हाँ, माँग रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए । ये उपनिवेश गृहस्थी, पूँजी वाले या ऊँची हैसियत

के हिन्दुस्तानी नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि कुली हिन्दुस्तानी वहाँ जावे। इन उपनिवेशों में हिन्दुस्तानियों के लिए 'कुली' शब्द का व्यवहार किया जाता है, उनसे इनसानियत का व्यवहार नहीं किया जाता। उनकी हालत बहुत शोचनीय है।

स्वराज्य-प्राप्त उपनिवेशों के विषय में ब्रिटिश सरकार यह कह सकती है कि उन्हें अपनी नीति निर्धारित करने की स्वतन्त्रता है; परन्तु उपनिवेश-विभाग के अधीन उपनिवेशों के विषय में तो यह भी नहीं कहा जा सकता। यहाँ भारतवासियों को जो कष्ट है, उसकी पूरी जिम्मेवारी ब्रिटिश सरकार पर है। क्या वह अपना समुचित कर्तव्य पालन करेगा ?

विशेष चर्चा—बहुत समय से दूसरे साम्राज्यों की तरह ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन भागों की जनता अपने जन्मसिद्ध अधिकार—स्वराज्य—से वंचित है। पिछले योरोपीय महायुद्ध (१९१४-१८) में भयंकर नर-संहार होने के बाद जब स्वभाग्य-निर्णय, छोटे राज्यों की स्वाधीनता और आत्म-निर्णय आदि की आवाज़ सुनाई दी तो मानव हृदय ने ठंडी साँस ली थी। यह सोचकर बहुत संतोष किया गया था कि अब नवयुग आने वाला है, हरेक देश की पराधीनता की बेड़ियाँ कट जायेंगी। परन्तु इन्तजार करते-करते एक पीढ़ी बीत गयी; संसार की राज-नीति या कूटनीति वैसी ही बनी रही। इसी का नतीजा दूसरे महायुद्ध के रूप में सब के सामने आया—जो पहले से अधिक विकराल रहा, जिसमें विज्ञान के और भी बढ़िया साधनों से जनता कुचली गयी, धन की तो कुछ बात ही नहीं। जब तक संसार के प्रत्येक भाग को स्वाधीन नहीं किया जायगा, जब तक वर्तमान उपनिवेश-नीति का अन्त नहीं किया जायगा, और जब तक छोटे-बड़े प्रत्येक उपनिवेश को स्वराज्य नहीं मिलेगा, संसार में शान्ति की पुकार केवल मृगतृष्णा और मायाजाल रहेगी। संसार का सुन्दर निर्माण समानता, स्वतन्त्रता और सहयोग के आधार पर ही होना सम्भव है।

इंग्लैण्ड का शासन

और

औद्योगिक क्रान्ति

लेखक

श्री दयाशंकर जी दुबे, एम० ए०, एल-एल बी

अर्थशास्त्र-अध्यापक, प्रयाग विश्वविद्यालय, प्रयाग

और

श्री ओमप्रकाश केला, बी० ए०, साहित्यरत्न

सन् १८४५ से हाई स्कूल कक्षाओं में पढ़नेवाले विद्यार्थियों को भारतीय इतिहास के साथ इंग्लैण्ड की शासनपद्धति और औद्योगिक क्रान्ति का भी ज्ञान होना आवश्यक है। हिन्दी में इस विषय की अभी तक कोई पुस्तक नहीं थी। विद्यार्थियों की आवश्यकता पूरी करने के लिए हमने खास तौर से यह पुस्तक लिखायी है।

विद्यार्थियों की सुविधा के लिए हरेक अध्याय के बाद उसका सारांश और नमूने के प्रश्न भी दे दिये गये हैं। आशा है, अध्यापक और विद्यार्थी इस पुस्तक का उपयोग कर, इससे वथेष्ट लाभ उठावेंगे।

मूल्य एक रुपया

हमारी पुस्तकों की पूरी सूची आगे कवर पर देखें।

भारतीय ग्रन्थमाला

भारतीय शासन (नवौं संस्करण)	१॥
भारतीय विद्यार्थी विनायक (तीसरा संस्करण)	॥२॥
भारत राष्ट्रीय समस्याएँ (सातवाँ संस्करण)	१॥
अन्दी म अर्थशास्त्र और राजनीति (दूसरा संस्करण)	१॥
भारतीय सत्कारिता आन्दोलन (दूसरा संस्करण)	२॥॥
भारतीय वास्तु (चौथा संस्करण)	२॥
विश्व चरना	॥॥
भारतीय राजस्व (दूसरा संस्करण)	॥॥
निर्वाचन पद्धति (चौथा संस्करण)	॥॥
नागरिक कहानियाँ	॥१॥
राजनीति शब्दावली (दूसरा संस्करण)	॥॥
नागरिक शिक्षा (चौथा संस्करण)	॥३॥
ब्रिटिश साम्राज्य शासन (चौथा संस्करण)	१॥
श्रद्धाञ्जली	॥१॥
नव्य विभूतियाँ	॥२॥
अर्थशास्त्र शब्दावली (दूसरा संस्करण)	
भारत के आर्थिक	॥॥
अपराध चिकित्सा	१॥॥
पूर्व की राष्ट्रीय राज	१॥॥
भारतीय अर्थशास्त्र (तीसरा संस्करण)	२॥॥
साम्राज्य और उनका फल	१॥
भारत चरना (तीसरा)	१॥
देशीय राज्य शासन	१॥
	२॥॥
राज	१॥

इंग्लैण्ड का शासन और आर्थिक कहानियाँ

भगवानदास केला, भारतीय ग्रन्थमाला: दारागंज, प्रयाग

